खण्ड-279, अंक-7
गुरूवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1891
(28 अगस्त, 1969 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 279 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | ६७३–६७७ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | ६७८–७०० |
| २५ सदस्यों के निलम्बन के कारण सदन के नियमित रूप से गठित होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. .. .. | ७००–७१५ |
| १९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत) .. | ७१५–७१६ |
| अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत) .. .. | ७१६ |
| अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर (स्वीकृत) .. .. | ७१६ |
| अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत) .. .. | ७१६–७१७ |
| अनुदान संख्या ७—निबन्धन (स्वीकृत) .. .. | ७१७ |
| अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत) .. | ७१७ |
| अनुदान संख्या ५२—पेन्शनों का राशि मूल्य (स्वीकृत) .. | ७१७ |
| अनुदान संख्या ५४—व्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) .. | ७१८ |
| उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ (पुरःस्थापन, विचार एवं पारण) .. | ७१८–७३६ |
| सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्यों की समाप्ति (जारी) .. .. .. | ७६६–७३७ |
| "स्वतंत्र भारत" में श्री सुरेन्द्र विक्रम के सम्बन्ध में गलत समाचार छापने के सम्बन्ध में शिकायत .. .. | ७६७ |
| सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्यों की समाप्ति .. .. .. | ७६७ |
| साहू केमिकल्स के मजदूरों पर प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना .. .. | ७६७ |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ (पुरःस्थापित किया गया) .. .. .. | ७३८ |
| नत्थियां .. .. .. .. | ७६९–७८८ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

बृहस्पतिवार, २८ अगस्त, सन् १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में १०-३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य--३७८

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतिकुर्रहमान, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहम ुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुभुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नर्नसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री

प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
बजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह,श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भया)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल, किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप,
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन सिंडारा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलास, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकुल, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नरायण शुक्ल, श्री

शोनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सतराम, श्री
सतू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कण्डपाल, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन रहत मोलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

**नोट—श्री मंगला प्रसाद, खाद्य तथा रसद मंत्री भी उपस्थित थे।**

---

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# †प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २८ अगस्त, १९६९

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### यू० पी० स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, जिला कानपुर द्वारा लोहे की चादरों की खरीद

**१—शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा), श्री आनन्द सिंह (जिला गोंडा), श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा), श्री दीपनरायन बन, (जिला गोंडा), श्री रघुनाथ सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद) तथा श्री महादेव प्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू०पी० स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, जिला कानपुर ने तमाम इंडेंट्स नालीदार (जी० सी० शीट्स) एवं और प्रकार की लोहे की चादरें प्रोड्यूसर्स से मंगाने के लिये कैंसिल कर दिया है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

जी नहीं ।

### अहरौला थाने में मैसहागांव की कुमारी दुर्गावती के साथ बलात्कार

**२—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत थाना अहरौला में ग्राम मैसहा की कुमारी दुर्गावती ( बालिग) के साथ माह अप्रैल, १९६९ में जबरियन कुछ लोगों ने बलात्कार किया है, जिसकी थाने में नामजद रिपोर्ट भी है ? यदि हां, तो वे कौन लोग हैं और उनकी गिरफ्तारियां अब तक हुई या नहीं ?

मुख्य मंत्री श्री (चन्द्रभानु गुप्त)—

ग्राम मैसहा, थाना अहरौला, जिला आजमगढ़ की अवयस्क कुमारी दुर्गावती के साथ एक व्यक्ति गोरख तिवारी ने अप्रैल सन् १९६९ को बलात्कार किया, जिसकी नामजद रिपोर्ट थाने पर हुई । अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया ।

### देहरादून रेलवे स्टेशन पर गुप्तियों की बरामदगी

**३—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक १२ अगस्त, १९६९ को देहरादून रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्तियों अब्दुल तथा अब्दुल गफ्फार के पास से १६८ अवैध गुप्तियां बरामद की गई ? यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक १२-८-६९ को तो नहीं बल्कि दिनांक ८-८-६९ को रेलवे स्टेशन देहरादून के पास अब्दुल जब्बार और अब्दुल बहाव नामक दो व्यक्तियों से १६१ गुप्तियां बरामद हुई थीं । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक ९-८-६९ को न्यायालय भेजा गया ।

---

†उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४१ के अन्तर्गत छापे गये ।

## सहारनपुर में श्रीमती उमारानी को जलाने का कथित प्रयास

**४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३ अप्रैल, १९६८ को सहारनपुर के बारादरी मोहल्ला में एक नव विवाहिता श्रीमती उमारानी की हत्या मिट्टी के तेल से जलाकर करने का अभियोग लगाते हुए एक प्रार्थना-पत्र लड़की के पिता का राज्यपाल महोदय तथा मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी जांच कराई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस आशय का लड़की के पिता का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई। जांच से किसी आरोप का होना नहीं पाया गया।

## विधायकों के लड़कों को नौकरी में वरीयता देने के लिये कथित-पत्र

**५—श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या यह सत्य है कि १ जुलाई, १९६९ से २० जुलाई, १९६९ की अवधि में पशुपालन निदेशक को पशुपालन विभाग से इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि चूंकि विधायकों को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखने का अवसर अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नहीं मिल पाता, इसलिये विधायकों के लड़कों की नियुक्ति में वरीयता दी जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी नहीं। ऐसा कोई पत्र पशुपालन निदेशक को नहीं भेजा गया है कि विधायकों के लड़कों की नियुक्ति में वरीयता दी जाय।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

## लखनऊ में बन्द किये गये इन्टर कालेज

**६—श्री चन्द्र मोहन (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शहर में इस समय १८ अगस्त, १९६९ तक कितने इटर कालेज बन्द हैं और कितने समय से बन्द हैं तथा क्यों बन्द हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

लखनऊ शहर में निम्नांकित इन्टर कालेज बन्द थे:—

(अ) लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ, ६ अगस्त, १९६९ से बन्द हुआ था किन्तु २२ अगस्त से पुनः खुल गया है।

(ब) नेशनल इन्टर कालेज, लखनऊ, ७ अगस्त, १९६९ से बन्द हुआ किन्तु २५ अगस्त से पुनः खुल गया है।

(स) क्वींस ऐंग्लो संस्कृत इन्टर कालेज, लखनऊ, १२ अगस्त, १९६९ से बन्द है। विद्यार्थियों द्वारा अपनी कुछ मांगों की पूर्ति हेतु अनुशासनहीनता के कारण संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा उक्त विद्यालय बन्द किये गये थे।

## शाहजहांपुर जिले मे उद्योग लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

**७—श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़े उद्योगों के विकास की सुविधा तथा नये बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में लगाने की बजट में घोषणा के अनुसार सरकार शाहजहांपुर जिले में कोई बड़ा उद्योग लगाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वे उद्योग कौन से हैं और कब तक लगाने का निश्चय किया गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

शाहजहांपुर जिले में कोई बड़ा उद्योग लगाने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है। यदि निजी क्षेत्र में कोई उद्योगपति उस जिले में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव करता है तो राज्य सरकार यथासंभव हर आवश्यक सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगी।

## चौबटिया गनाई में शराब की दुकान

**८—श्री हरीदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि चौबटिया गनाई, जिला अल्मोड़ा में सन् १९६७ के अप्रैल में खुली देशी शराब की दुकान को बन्द करने का निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो आवश्यक आदेश कब तक निर्गत किये जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

*१—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री मोतीलाल देहलवी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किये गये]

*२—श्री शिवराज सिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

## वाल्टरगंज चीनी मिल द्वारा अठदमा कांटे का गन्ना न लेना

*३—श्री मुहम्मद नबी (जिला बस्ती)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में चीनी मिल वाल्टरगंज, दिनांक २४ जुलाई, १९६९ को अठदमा कांटे पर गन्ने की लदी हुई सैकड़ों गाड़ी बिना तौले हुये पर्चेजिंग सेंटर बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो सरकार ने गन्ना उत्पादकों की क्षति पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

घटना २४ जुलाई, १९६९ की नहीं है। दिनांक २४ जून, १९६९ को वाल्टरगंज चीनी मिल ने अठदमा क्रय केन्द्र से गन्ना क्रय करना बन्द कर दिया। उस समय उक्त क्रय केन्द्र पर ८० गन्ने से लदी हुई गाड़ियां तौल कराने हेतु खड़ी थीं।

इस सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उक्त चीनी मिल ने अठदमा क्रय केन्द्र पर ३०-६-१९६९ से पुनः गन्ना क्रय करना आरम्भ किया।

*४-५—श्री जगदीश गांधी—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## सरकारी समितियां

*१—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने कौन-कौन-सी सरकारी समितियां अपने अब तक के शासन-काल में गठित कीं और उनके सभापति या अध्यक्ष या संयोजक कौन-कौन हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६९-७७३ पर)

## नौकरियों में परिगणित जातियों का आरक्षण

*२—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि नौकरियों की भर्ती में परिगणित जातीय अभ्यर्थियों को १८ प्रतिशत सुरक्षित जगहें प्राप्त हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

## वनों से गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल में आय

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वनों से पर्वतीय मण्डल के गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल से अलग-अलग वन की आय क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वनों से गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल में हुई आय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

गढ़वाल मण्डल

| वन | वित्तीय वर्ष | आय |
|---|---|---|
| | | रु० |
| आरक्षित वन .. .. .. | १९६८-६९ | २,८१,२९,८९५ |
| सोयम वन .. .. .. | १९६८-६९ | ४०,६०० |
| सिविल वन .. .. .. | १९६८-६९ | ६८,५७४.४६ |
| पंचायती वन .. .. .. | १९६९-६७ | १,०८,०३१ |
| कुमायूं मण्डल | | |
| आरक्षित वन .. .. .. | १९६८-६९ | ६,२२,०९,२३२ |
| सिविल वन .. .. .. | १९६८-६९ | ८३,२३९.९३ |
| पंचायती वन .. .. .. | १९६९-६७ | २,४८,३५१ |

*४—श्री जैराम—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

## भुवाली एवं गेठिया सेनीटोरियम में कर्मचारी तथा रोगी

*५—श्री डूंगर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भुवाली व गेठिया सेनीटोरियम (नैनीताल) में सुपरिन्टेन्डेन्ट सहित कितने डाक्टर, कम्पाउन्डर, नर्स, वार्ड ब्वाय, कुकर, स्वीपर, माली, कार्यालय के लिपिक, चपरासी, चौकीदार, डेपुटेशन पर सार्वजनिक निर्माण के ओवरसियर व कुली सहित कितने कर्मचारी हैं और उनमें कितनी स्थायी और कितने अस्थायी हैं?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

भुवाली एवं गेठिया सेनीटोरियम में कुल कर्मचारियों की संख्या ३४२ है । इनमें १४३ स्थायी एवं १९९ अस्थायी हैं।

*६—श्री डूंगर सिंह—

क्या स्वायत्त मंत्री कृपया बतावेंगे कि भुवाली और गेठिया सेनीटोरियम (नैनीताल) में कितने क्षय रोगियों के रहने की क्षमता है? इस समय कुल मिलाकर कितने रोगी हैं? इनमें कितने रोगियों को रोगी कक्ष व खाना भी मिलता है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

भुवाली एवं गेठिया सेनेटोरियम में इस समय (२७-७-६९)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १—रोगियों की क्षमता | .. | .. | .. | ४५८ |
| २—कुल रोगी | .. | .. | .. | ३६७ |

३—निःशुल्क भोजन तथा रोगी कक्ष पाने वाले रोगियों की संख्या २६७ है ।

*७—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

## केसर शुगर वर्क्स बहेड़ी का चिकित्सालय

*८—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि चार वर्ष से ज्यादा का अरसा हुआ कि सरकार की ओर से बहेड़ी, जिला बरेली केसर शुगर फैक्ट्री की एरिया में कई लाख रुपया लगाकर तहसील की जनता को आसानी के लिये अस्पताल बनवाया था? उसमें सन् १९६६ लगायत ३१ मार्च, १९६९ तक कितनी कीमत की दवा भेजी गई और कितने डाक्टर व कम्पाउन्डर भेजे गये और इनके वेतन पर कितना रुपया खर्च हुआ, कितना पलंग और कितना जरूरी सामान खरीदा गया और इन तीन सालों के भीतर कितने मरीजों का इलाज किया गया और कितने दाखिल हुए ?

श्री कृष्णानन्द राय—

सरकार द्वारा कोई भी चिकित्सालय भवन बहेड़ी में नहीं बनवाया गया है बल्कि केसर शुगर वर्क्स बहेड़ी द्वारा निर्मित चिकित्सालय भवन ६-८-१९६६ से सरकार के अधीन आ गया है ।

सन् १९६६ से ३१-३-१९६९ तक ४,७३३.०८ रुपया की दवा क्रय की गई है। दिनांक २९-१०-१९६६ से १९-२-१९६७ तक महिला चिकित्सक वहां रही तथा ६-८-१९६६ से निरन्तर कम्पाउन्डर कार्य कर रहा है। कम्पाउन्डर के वेतन पर ६,६१४.५५ रुपया खर्च हुआ। महिला चिकित्सक पर जो व्यय हुआ उसकी सूचना नहीं है।

बीस पलंगों तथा अन्य जरूरी सामान ३०,५३८.७१ रुपया में खरीदा गया।

इन नौन सालों में ६२,१७ मरीजों का इलाज किया गया तथा २३२ मरीज दाखिल हुये।

(२८ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

## नैनीताल जिले मे गिधपुरी गांव तथा बस की लूट

*१—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जिला नैनीताल की तहसील सितारगंज में दिनांक २३ अप्रैल, १९६९ को शक्ति फार्म से किच्छा को आती हुई पैसेंजर बस के सभी यात्री सशस्त्र डाकुओं द्वारा लूट लिये गये? यदि हां, तो कितनी सम्पत्ति डकैत ले गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। दिनांक २३-४-१९६९ को इस प्रकार की घटना हुई है जिसमें डाकुओं द्वारा ५,६४३ रुपये २६ पैसे की सम्पत्ति लूटी गई।

*२—श्री इन्द्रलाल—

क्या यह सही है कि इन्हीं डकैतों द्वारा पुनः २४ अप्रैल, १९६९ की रात्रि में गिधपुरी के ग्रामीणों के घर डकैती डाली गई? यदि हां, तो अब तक कितने अपराधी पकड़े गये और ये कहां के रहने वाले हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक २४/२५-४-१९६९ की रात में ये डकैत गिधपुरी में एकत्रित हुए। वहां पर डकैती डालने के पूर्व ही ग्राम वासियों द्वारा मौके पर दो डकैत पकड़े गये तथा एक डकैत मारा गया। बाद में पांच अभियुक्त और पकड़े गये। अधिकांश अभियुक्त बदायूं जिले के हैं।

## मेरठ रेंज से पुलिस कर्मचारियों के स्थानान्तरण

*३—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि २६ फरवरी, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक मेरठ रेंज से कितने नान गजटेड पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण रेंज से बाहर किया गया है तथा स्थानान्तरित कर्मचारी कितने समय से उक्त रेंज में थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

२६ फरवरी, १९६९ से ३० जून, १९६९ की अवधि में ८६ अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का मेरठ रेंज से बाहर स्थानान्तरण किया गया है। इनकी मेरठ रेंज में नियुक्ति का कार्यकाल ५ माह से लेकर २८ वर्ष तक है।

*४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि मेरठ रेंज में कितने इंस्पेक्टर्स एवं सब-इंस्पेक्टर्स १० वर्ष से अधिक और कितने १५ वर्ष की अवधि से अधिक समय से उसी रेंज में हैं और क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

एक इन्सपेक्टर और ३५ सब-इन्स्पेक्टर मेरठ रेंज में १० वर्ष की अधिक अवधि से हैं तथा ३३ सब-इन्सपेक्टर १५ वर्ष की अधिक अवधि से हैं। कोई इन्सपेक्टर इस रेंज में १५ वर्ष की अधिक अवधि से नहीं हैं। रेंज में तैनात रहने की निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है।

## आजमगढ़ जिले में पुलिस अराजकता की शिकायत

*५—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के कितने शिकायती-पत्र आजमगढ़ जिले में पुलिस अराजकता और कानून तथा व्यवस्था से सम्बन्धित गत वर्ष एक वर्ष (मार्च, सन् १९६९ से जुलाई, १९६९) तक सरकार को प्राप्त हुए हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई?

*६—क्या यह सही है कि उक्त अवधि में इस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में और विशेषकर कोतवाली क्षेत्र में लगभग १०० चोरी-डकैती (हत्या के साथ) तथा राहजनी की घटनाएं हुई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

## गढ़वाल जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में आर्थिक वर्ष १९६९-७० में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने की योजना है?

श्री कृष्णानन्द राय—

जिला गढ़वाल में आर्थिक वर्ष १९६९-७० में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना नहीं है।

## हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं को सहायता

*८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी के लघु पत्र-पत्रिकाओं की सहायता के लिये सरकार क्या करने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ऐसी कोई विशेष योजना सरकार के विचराधीन नहीं है, पर हिन्दी के लघु पत्र-पत्रिकाओं की यथासंभव सहायता की जाती है।

*९-१०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

## नगीना की सभा में भाषण तथा मोदीनगर मिलों में छुट्टी न होना

*११—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को सूचना मिली है कि दिनांक १२-१३ अप्रैल, १९६९ को नगीना, जिला बिजनौर में रात्रि को एक आम जलसे में देश की प्रधान मन्त्री को गोली मार देने के भाषण हुये? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। दिनांक १३ अप्रैल, १९६९ को नगीना, जिला बिजनौर में एक आम सभा हुई थी किन्तु उसमें किसी भी वक्ता ने प्रधान मन्त्री को गोली मार देने की बात नहीं कही।

*१२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि डाक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद दिनांक ३, ४ व ५ मई को मोदीनगर में सभी मिलें सरकारी आदेशों के विरुद्ध चलती रहीं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक ३, ४ व ५ मई को मोदीनगर में सभी मिलें कार्यरत रहीं। इन तारीखों में छुट्टी करने के आदेश निगोशियेबिल इंस्ट्रूमेन्ट्स ऐक्ट के अधीन दिये गये थे। ऐसे आदेश गैर सरकारी उद्योगों पर लागू नहीं होते, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

देवीपुरा, थाना सितारगंज की कथित डकैती

*१३—श्री डूंगर सिंह तथा श्री इन्द्र लाल—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक १७ जुलाई, १९६९ को रात्रि में जिला नैनीताल के थाना सितारगंज में ग्राम देवी पुरा में भीषण डकैती पड़ी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक १७-७-१९६९ की रात में ग्राम देवीपुरा, थाना सितारगंज, जिला नैनीताल में कोई डकैती नहीं पड़ी।

*१४—श्री डूंगर सिंह तथा श्री इन्द्रलाल—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि इस डकैती में अपराध का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता।

थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ में दफा ३९४ की रिपोर्ट

*१५—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत कोतवाली थाने में १९ जुलाई, १९६९ ई० को अपराध धारा ३९४ के अन्तर्गत कितने मुकदमें कायम कराये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ में १९ जुलाई, १९६९ को धारा ३९४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत केवल एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चूंकि घटना का संबंध थाना रानीगंज से था अतः रिपोर्ट उस थाने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई।

*१६—श्री वासुदेव सिंह—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

बहराइच जिले में खादी उद्योग में भ्रष्टाचार की शिकायत

*१७—श्री वासुदेव सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री को इसकी जानकारी है कि खादी ग्रामोद्योग समिति, फखरपुर, जिला बहराइच में काफी अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार व्याप्त हैं जिसकी सूचना जून मास में प्रश्नकर्ता ने दी थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

बहराइच जनपद में खादी ग्रामोद्योग समिति, फखरपुर, जिला बहराइच नाम की कोई समिति नहीं है। अतः अनियमितताये एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१८-१९- श्री डी० पी० बोरा—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

थाना सचेंडी, जिला कानपुर की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*२०—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें जो लगभग ३० विधायकों द्वारा प्रेषित पत्र माह मार्च, १९६९ में थाना सचेंडी, जिला कानपुर की पुलिस के विरोध में अन्य प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हुआ था, उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

थाना सचेंडी, जिला कानपुर की पुलिस के विरुद्ध विधायकों का जो पत्र तथा उससे संलग्न प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, उसमें अंकित आरोपों की जांच कराई गई। जांच के आधार पर संबंधित पुलिस सब-इन्स्पेक्टर को दंड दिया गया।

*२१-२२—श्री जगदीश गांधी—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*२३-२४—श्री मंजूर अहमद—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

वाराणसी जिले में प्राइवेट बसों को परमिट तथा गोदौलिया-शिवपुर बस सर्विस

*२५—श्री शंभूनारायण सिंह (जिला फैजाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में इस वक्त प्राइवेट बसों के कितने परमिट दिये गये हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

चूंकि परमिट होल्डरों की लिस्ट बहुत बड़ी है जिसकी प्रतियां बनाने में काफी समय और शक्ति लगेगी अतः माननीय सदस्य उसे मेरे कमरे में आकर देख लें।

*२६—श्री शंभूनारायण सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सिटी बस सर्विस गोदौलिया से शिवपुर स्टेशन तक जो थी उसे तोड़कर शिवपुर चुंगी तक कर दिया है जिससे जनता को परेशानी हो रही है और रोडवेज को घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः शिवपुर तक सिटी रोडवेज की बसें चलाने पर विचार करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

वाराणसी में कोई भी सिटी बस सर्विस गोदौलिया से शिवपुर स्टेशन तक नहीं चलती थी बल्कि विश्वविद्यालय से गोदौलिया होती हुई शिवपुर रेलवे क्रासिंग तक जाती थी। इस बस सेवा को दिनांक २६ जुलाई, १९६८ से बन्द करके गोदौलिया से शिवपुर चुंगी तक कर दिया गया है। ऐसा करने से न तो जनता को परेशानी हो रही है और न ही रोडवेज को घाटा हो रहा है। अतः शिवपुर स्टेशन तक बस सेवा चलान का प्रश्न नहीं उठता है।

*२७-२८—श्री गोविन्द सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये ।]

## सीतापुर जिले के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर के खिलाफ जांच

*२९—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, सन् १९६९ ई० से १५ जुलाई, सन् १९६९ ई० तक सीतापुर जिले में तैनात सब पुलिस इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध घूस लेने व अन्य किस्म के भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज कराये गये हैं ? इन संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस अवधि में जिला सीतापुर के केवल एक सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है ।

*३०—श्री आशाराम इन्दु—

[५वें बुधवार के प्रश्न सं० ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

## चूना पत्थर के खदानों के ठेकेदारों पर देहरादून तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों की रायल्टी

*३१—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून तथा टिहरी-गढ़वाल जिले की चूना पत्थर के खानों के ठेकेदारों पर कितनी धनराशि रायल्टी के रूप में ३० जून, १९६९ तक बाकी है और वह धनराशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

देहरादून तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों की चूना-पत्थर के खदानों के ठेकेदारों पर दिनांक ३० जून, १९६९ तक रायल्टी के रूप में बाकी धनराशि का ब्योरा निम्न प्रकार है—

| | रु० |
|---|---|
| जिला देहरादून | .. १,८८,५२४.४१ |
| जिला टेहरी-गढ़वाल | .. ८४,२८९.७१ |

जिला देहरादून में रायल्टी की बकाया धनराशि की वसूली बकाया मालगुजारी के रूप में की जा रही है । जिला टेहरी-गढ़वाल में रायल्टी की बकाया धनराशि की वसूली के लिये आवश्यक नोटिस जारी किये जा चुके हैं । यदि निर्धारित अवधि के अन्दर ठेकेदारों ने बकाया धनराशि जमा नहीं की तो इस धनराशि की वसूली बकाया मालगुजारी के रूप में की जायेगी ।

*३२—श्री दुर्जन—

क्या सरकार यह ब्योरा कि उपरोक्त किस ठेकेदार के ऊपर कितनी रायल्टी बाकी है, सदन के पटल पर कृपया रखेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

वांछित ब्योरे की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७४-७७५ पर । )

*३३—श्री मनोहरलाल—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

*३४—श्री शिवराजसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

## आगरा मेडिकल कालेज में न्युरो-साइकियाट्री के पद

*३५—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

प्रदेश के किन-किन राजकीय मेडिकल कालेजों में साइकियाट्री के शिक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं और किन में नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

राजकीय मेडिकल कालेजों में केवल आगरा मेडिकल कालेज को छोड़कर साइकियाट्री के शिक्षकों के अलग से कोई पद नहीं है । आगरा मेडिकल कालेज में न्युरो-साइकियाट्री में निम्नलिखित पद हैं—

| | | | |
|---|---|---|---|
| १—रीडर | .. | .. | .. १ |
| २—लेक्चरर | .. | .. | .. १ |

इनके अलावा मानसिक चिकित्सालय, आगरा के अधीक्षक, आगरा मेडिकल कालेज में न्युरो-साइकियाट्री के अल्पकालिक प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं ।

*३६-३७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

## अजगैन थाने में रायपुर गढ़ी की कथित डकैती

*३८—श्री संजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के थाना अजगैन के अन्तर्गत ग्राम रायपुर गढ़ी में किसी धोबी के घर इस वर्ष डकैती पड़ी है और उसमें नामजद अभियुक्त है और उसी ग्राम में किसी डाक्टर के घर फिर डकैती दिन-दहाड़े डाली गई ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ग्राम रायपुर गढ़ी, थाना अजगैन, उन्नाव के अमुक धोबी के यहां दिनांक १६ मार्च, १९६९ को डकैती पड़ने की नामजद सूचना प्राप्त होने पर धारा ३९५, ३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया पर जांच से मामला डकैती का नहीं पाया गया । अतः मुकदमा धारा १४७/४५२/३२३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत परिवर्तित करके विवेचना की गई और चार्ज-शीट अदालत भेजी गई । मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है । इस ग्राम के किसी डाक्टर के घर डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।

*३९—श्री हरीदत्त कांडपाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया ।]

*४०—४१—श्री राम रतन प्रसाद—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये । ]

## गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिये अर्जित भूमि

*४२—श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जो मेडिकल कालेज खुलने जा रहा है, उसके लिए कुल कितनी भूमि ली जा चुकी है और भूमि का कितना मुआवजा दिया जा चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिये १४१.२२ एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है और इस भूमि के लिये ४,४३,०७२.८५ रुपये मुआवजा दिया जा चुका है ।

*४३—श्री राम लगन दुबे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कालेज के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होने में कितनी देर हैं तथा विद्यार्थियों के दाखिले का कार्य कब से आरंभ होने जा रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस कालेज के भवनों के निर्माण के लिये १,२१,२२,००० रुपये लागत के आगणन स्वीकृत कर दिये गये हैं और आशा है कि भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ हो जायेगा । आवश्यक भवन तैयार हो जाने पर ही वहां छात्रों की भर्ती हो सकेगी ।

*४४—४५—श्री राजित राम पांडेय—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

## पिथौरागढ़ जिले में शराब खरीदने के लिये परमिट

*४६—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले में विदेशी शराब की कितनी दुकानों को लाइसेंस दिये गये हैं एवं पूरा जिला शराब के लिये सूखा क्षेत्र होते हुए कितने व्यक्तियों को १ जनवरी, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक शराब पीने एवं खरीदने के लिये परमिट दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

पिथौरागढ़ जिले में विदेशी शराब के लिये कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया गया । विदेशी शराब की एक दुकान जो पहले से चली आ रही थी, यू० पी० इन्टौक्सीकेंट प्रोहिबिशन रूल्स, १९४७ के नियम ८ के अन्तर्गत चलने दिया गया । इस दुकान से शराब केवल परमिट गृहीताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेची जाती है । पिथौरागढ़ में १ अप्रैल, १९६९ से मद्य-निषेध लागू हुआ और उस तिथि के बाद ३० जून, १९६९ तक कुल ५३ व्यक्तियों को शराब खरीदने के लिये परमिट दिये गये ।

*४७—श्री कृष्ण स्वरूप—

[दिनांक २५ अगस्त, १९६९ को तारांकित प्रश्न सं० २१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

## सचिवालय में अस्थायी टंकक

*४८—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी सचिवालय में ५ साल से लेकर ८ साल तक सेवा कार्य करने वाले कितन टंकक हैं जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सचिवालय में इस अवधि वाले कोई टंकक नहीं हैं अतः प्रश्न का दूसरा भाग उठता ही नहीं।

*४९-५०—श्री सतीश चन्द्र—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

## थाना विलासपुर, रामपुर में पुलिस से संघर्ष की रिपोर्ट

*५१—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रामपुर जिले के थाना विलासपुर में एक जून, १९६९ से २० जुलाई, १९६९ के बीच कोई एफ० आई० आर० लिखी गई है जिसमें कि पुलिस एवं कुछ लोगों के एक गिरोह के बीच संघर्ष की सूचना थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। दिनांक १० जुलाई, १९६९ को थाना विलासपुर, रामपुर में इस आशय की रिपोर्ट लिखी गई थी।

इस सूचना के आधार पर धारा १४७ / २२५ / ३५३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा अंकित करके विवेचना की जा रही है। अब तक २ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और १० अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया है।

## रायबरेली जिले में विभिन्न अपराध की घटनाएं

*५२—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जिला रायबरेली में १ जनवरी, १९६९ से ३१ जून, १९६९ तक कितनी डकैती, नकबजनी, कत्ल तथा महिलाओं के अपहरण की घटनाएं हुयीं ?

*५३—क्या गृह मंत्री उपरोक्त घटनाओं की थानेवार विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिए परिशिष्ट 'ग' आगे पृष्ठ ७७६ पर।)

*५४-५५—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

## परिगणित जाति के जिला अधिकारी

*५६—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारियों में कितने प्रतिशत परिगणित जातीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? यदि १८ प्रतिशत से कम हैं तो क्या इनको पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त---

इस समय प्रदेश ५४ जिला अधिकारियों में से ११ जिला अधिकारी परिगणित जाति के हैं जो २० प्रतिशत से अधिक हैं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

## मकरन्दपुर की सभा में न्याय मंत्री के भाषण पर आरोप

*५७---श्री उचित नारायण (जिला फतेहपुर)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक १ मई, १९६९ को न्याय मंत्री ने अपने दौरे के अवसर पर ग्राम मकरन्दपुर जिला फतेहपुर में आम सभा में श्री प्रेम दत्त तिवारी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के यह कहने पर कि उस ग्राम के पुराने जमींदार श्री शिव नारायण दुबे ने मध्यावधि चुनाव में गरीब आदमियों को स्वेच्छा से मतदान नहीं करने दिया तथा वे (श्री शिव नारायण दुबे) गरीब आदमियों की जमीन पर जबरन कब्जा किए हुए हैं न्याय मंत्री ने अपने भाषण में उत्तर देते हुए यह कहा कि ये (शिव नारायण दुबे) आज आपकी जमीन पर जबरन कब्जा किये हैं कल आपकी बहू-बेटियों की इज्जत लेंगे ? ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को गोली से मार देना चाहिये शासन आपकी इसमें मदद करेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

न्याय मंत्री १ मई, १९६९ को नहीं बल्कि १ जून, १९६९ को मकरन्दपुर गये थे और वहां आम सभा को भी सम्बोधित किया था परन्तु प्रश्न में जो बातें लिखी हैं वह उन्होंने वहां पर नहीं कहीं।

## एस० वी० शुगर मिल, बिजनौर पर बकाया

*५८---श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एस० वी० शुगर मिल, बिजनौर पर १९६८-६९ के सीजन का कितना रुपया बाबत कीमत गन्ना किसानों का बकाया है और कितना रुपया उक्त मिल पर क्रमशः सरकार व गन्ना सोसाइटियों का १९६८-६९ का बकाया है, और इस बकाये धन की वसूली हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

एस० वी० शुगर मिल, बिजनौर पर १९६८-६९ के सीजन का ३१ जुलाई, १९६९ तक गन्ने के मूल्य व कमीशन तथा क्रय कर का क्रमश रु० १.३६ लाख, १.४५ लाख तथा रु० ४.८० लाख का बकाया था। चालू सीजन के आरंभ में चीनी उत्पादन रु० १२०.०० प्रतिशत बोरा के दर से बैंक से धन प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर गन्ना मूल्य, कमीशन व क्रय कर भुगतान की व्यवस्था थी। जब इस व्यवस्था से चीनी में रिकवरी कम होने के कारण बकाया की पूरी वसूली होना संभव नहीं प्रतीत हुई तब मिल की चीनी बिक्री पर उपलब्ध मार्जिन धन को भी कुर्क कर लिया गया, तथा मिल से उक्त रु० १२०.०० प्रति बोरा के स्थान पर रु० १३०.०० प्रति बोरा का अपरिवर्तनीय साख-पत्र अपने बैंकरों से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। मिल ने इस संबंध में सिविल जज, बिजनौर के यहां एक वाद सं० ३४/६९ दायर कर दिया तथा न्यायालय के अस्थायी इन्जक्शन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके आधार पर इन्जक्शन आदेश समाप्त होने तक मिल के रु० १२०.०० प्रति बोरा से अधिक की वसूली या अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

## डुमरियागंज थाने में कथित अवैध गांजे की बरामदगी

*५९---श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २० नवम्बर, १९६८ को ग्राम पतरिया, थाना डुमरियागंज, जिला बस्ती के आबकारी इन्सपेक्टर शहर द्वारा ३० मन गांजा अवैध आदमियों सहित पकड़ा गया ? यदि हां, तो उक्त गांजा कहां जमा किया गया तथा पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

दिनांक २० नवम्बर, १९६८ को कोई गांजा अवैध आदमियों सहित आबकारी कर्मचारिगण द्वारा ग्राम पतरिया जिला बस्ती में नहीं पकड़ा गया। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

*६०--श्री राम करन सिंह--

[६ मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## उद्योग विभाग, मऊरानीपुर की जीप

*६१--श्री प्रेम नारायण (जिला झांसी)--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, १९६९ में मऊरानी पुर, जिला झांसी उद्योग विभाग की जीप प्रति दिन कहां-कहां गई, किस काम से गई तथा उस पर बैठ कर जाने वाले लोग कौन-कौन थे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

सूचना सदन की मेज पर रखी है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७७७-७७९ पर)

## विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स प्रा० लि० खड्डा पर बकाया

*६२--श्री रामधारी (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स प्रा० लि० खड्डा के ऊपर सरकारी तथा गैर-सरकारी देय लगभग एक करोड़ बाकी है जबकि उसकी आधार भूत पूंजी लगभग ९ लाख रु० की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे अपने नियंत्रण में लेना आवश्यक समझती है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स प्रा० लि० खड्डा के ऊपर दिनांक ३१ जुलाई, १९६९ तक सरकारी देय गन्ना उपकर तथा क्रयकर के रूप में २०.१७ लाख रुपये का है ? जिसमें से १९.३४ लाख रु० सिविल जज, देवरिया से रोधनादेश के अन्तर्गत है। गैर सरकारी देय में केवल गन्ना के मूल्य, कमीशन तथा ब्याज के बारे में सूचना उपलब्ध है और यह देय उक्त तिथि तक १५.६६ लाख रु० है। इस मिल पर अन्य देयों के बारे में तथा इसकी आधार मूल पूंजी के बारे में शासन के पास कोई सूचना नहीं है।

इस समय सरकार कोई ऐसा विचार नहीं कर रही है।

## स्टोन सप्लाई कम्पनी, धौरा से माइनिंग लीज के लिये प्रार्थना-पत्र

*६३--श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टोन सप्लाई कंपनी धौरा, जिला झांसी के हिस्सेदारों ने दिनांक ७ नवम्बर, १९६८ को माइनिंग लीज प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

भूतपूर्व स्टोन सप्लाई कं०, धौरा, जिला झांसी के ६ कथित हिस्सेदारों ने माइनिंग लीज प्राप्त करने के लिये दिनांक ७ नवम्बर, १९६८ को जिलाधिकारी, झांसी, को प्रार्थना-पत्र दिया था। ये प्रार्थना-पत्र उक्त अधिकारी के विचाराधीन हैं और उनके संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है।

*६४--श्री राम प्यारे शुक्ला--

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक

*६५--श्री शफीक अहमद खां तथा श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक (ज्वाइंट डायरेक्टर) एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक (एडिशनल डायरेक्टर) स्वास्थ्य विभाग के पास सन् १९६४ से १९६९ तक, यानी ५ साल के भीतर कितनी बार सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दीं और फिर वापस लीं तथा किस कारण आई० ए० एस० आफिसर को अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक के पद से हटाकर उनको तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दूसरे अधिकारियों को दे दिया है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

संयुक्त निदेशक एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक के पद एडमिनिस्ट्रेटिव पद हैं और जिन अधिकारियों की इन पर नियुक्ति की जाती है वह अपने पद तथा उनसे संलग्न कार्यों के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करते हैं अतएव उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देने और लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

आई० ए० एस० आफिसर को अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक के पद पर का' करते हुए लगभग ३ वर्ष हो चुके थे और सामान्य नीति के अनुसार उनका तबादला कर दिया गया अतएव जो का' यह कर रहे थे वह या तो अब स्वयं निदेशक कर रहे हैं या उनके अधीनस्थ अधिकारी ।

## लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के पुराने अधिकारी

*६६--श्री शफीक अहमद खां तथा श्री रियासत हुसेन---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पोस्ट ट्रान्सफरेबिल होते हुए भी ४ साल से अधिक समय से लखनऊ में रह रहे हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

ऐसे कुल २८ अधिकारी हैं ।

## बीसलपुर में बृजपाल सिंह के कत्ल की जांच

*६७--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिनांक १५ जुलाई, १९६९ को बीसलपुर, कस्बा व थाना पीलीभीत में दिन-दहाड़े श्री बृजपाल सिंह का कत्ल हो गया और उसमें बीसलपुर के छो' दरोगा के खिलाफ भी रिपोर्ट है यदि, हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

दिनांक १५ जुलाई, १९६९ को श्री बृजपाल सिंह का कत्ल बीसलपुर कस्बे में हो गया था। हरपाल सिंह जो मृतक का साला है, के बयान के आधार पर दिनांक १६ जुलाई, १९६९ को बीसलपुर थाने पर एक मुकदमा धारा ३०२/३२४ भा० दं० वि० का अंकित किया गया। इसी घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई नत्थ सिंह ने थाना कोतवाली, पीलीभीत, पर दिनांक १६ जुलाई, १९६९ को अंकित कराई जिसमें कत्ल में बीसलपुर के छोटे दारोगा की साजिश होने का उल्लेख था। यह रिपोर्ट थाना बीसलपुर स्थानान्तरित हो गई। इस अपराध की भी जांच उप-पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा की जा रही है।

*६८--श्री अनीसुर्रहमान--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

## चुनार की मसजिदों में सुअर

*६९—श्री शिवदास ( जिला मिर्जापुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २२/२३ अगस्त, १९६८ की रात मिर्जापुर जिले के कस्बे चुनार की तीन मस्जिदों में जो सुअर काटकर फेंका गया था और जिसकी जांच गुप्तचर विभाग कर रहा था, उसका प्रमाण क्या हुआ और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस घटना के सिलसिले में धारा २९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा थाना चुनार पर दर्ज किया गया था। गुप्तचर विभाग के अनुसंधान के उपरान्त किसी अभियुक्त का पता न लग सकने के कारण उपरोक्त अभियोग में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई जो न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है।

*७०—श्री प्यारेलाल—

[६ठें बुधवार के तारांकित प्र० सं० ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

## गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों का फण्ड

*७१—श्री रामधारी—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि गोरखपुर रीजन के रोडवेज कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड के रुपये का भ कर गोलमाल हुआ है ? यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन से लोग उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध कौन-कौन से कदम उठाये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कोई गोलमाल नहीं हुआ। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*७२—श्री शिवराज सिंह तथा श्री मंगल उपाध्या—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

## देहरादून रीजन के मृत रोडवेज अधिकारियों के आश्रितों को सहायता

*७३—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती), श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती) तथा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ और १६ जुलाई, १९६७ की रात में जब देहरादून रीजन के असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री बलवीर सिंह, एकाउन्ट आफिसर श्री ब्रह्म स्वरूप सक्सेना तथा क्लिपिक शोफर्ड राजकीय जीप नं० यू० एस० क्यू० २९०९ से सरकारी काम से देहरादून से श्रीनगर (गढ़वाल) जा रहे थे तब रास्ते में जीप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी और उपरोक्त तीनों कर्मचारियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त कर्मचारियों के परिवार को कोई फेमली पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा मुआवजा अभी तक दिया या नहीं ? यदि दिया तो किस-किस को किस-किस मद में, कितना-कितना दिया, यदि नहीं दिया तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

(क) जी हां।

(ख) प्रत्येक तीनों मृतकों के परिवारों को रुपये १,००० की अन्तरिम सहायता का मृत्यु के शीघ्र पश्चात् प्रधान प्रबन्धक द्वारा भुगतान किया गया।

(ग) नियमानुसार इन मृतक कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा देय नहीं है।

(घ) स्वर्गीय श्री बलवीर सिंह, सहायक प्रधान प्रबन्धक तथा स्वर्गीय श्री ब्रह्म स्वरूप सक्सेना, लेखा अधिकारी के आश्रितों को फेमिली पेन्शन तथा ग्रेच्युटी दे के लिए आवश्यक

कार्यवाही की जा रही है तथा स्वर्गीय श्री शेकर्ड, लिपिक के परिवार को पये १,९६० की ग्रेच्युटी रुप ५८.८० पैसे प्रतिमाह पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत की जा रही है।

*७४--श्री सोहन लाल धुसिया, श्री राजबहादुर चन्द तथा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--

क्या यह भी सही है कि श्री ब्रह्म स्वरूप सक्सेना, एकाउन्ट आफिसर के परिवार को अभी तक १ जुलाई, १९६७ से १६ जुलाई, १९६७ तक का वेतन तथा अन्तिम भुगतान नहीं मिला ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

जी नहीं। स्व० श्री ब्रह्म स्वरूप सक्सेना, लेखा अधिकारी के वेतन के भुगतान के आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक २९-४-१९६९ को जारी कर दिए ह। इसकी सूचना उनकी पत्नी को भी भेज दी गई है।

*७५---श्री राम पूजन पटेल---

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

## आजमगढ़ जिले में कांझा का वन

*७६--श्री श्यामलाल--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत ग्राम कांझा में रामवन का जंगल जो लगभग ३०० एकड़ है उसे वन विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया है ? यदि हां, तो उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की ग ी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

आजमगढ़ जिले के ग्राम कांझा में रामवन नाम का ३०० एकड़ का कोई भी जंगल वन विभाग ने अपने अधिकार में नहीं लिया है। इस ग्राम का निहित वन ७०.८०२ एकड़ में है। एक वन रक्षक आजमगढ़ के अन्य वनों के साथ इस वन की भी देखभाल करता है।

## जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सहारनपुर का स्थानान्तरण न होना

*७७--श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सहारनपुर के ही रहने वाले हैं और उन्हें सहारनपुर में तीन वर्ष से अधिक हो ग ं हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण किस कारण नहीं किया गया ?

श्री कृष्णानन्द राय--

सहारनपुर के वर्तमान जिला स्वास्थ्य अधिकारी का निवास स्थान लोक सेवा आयोग को दिये गये प्रार्थना-पत्र में सहारनपुर दर्ज है। उन्होंने अब एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनका निवास स्थान बदल कर बुलन्दशहर कर दिया जाये उनकी प्रार्थना विचाराधीन है। ये सहारनपुर में १२ मार्च, १९६६ से तैनात हैं। इनकी सहारनपुर में तैनाती के तीन वर्ष १२-३-१९६९ में पूर्ण हुये हैं। चूंकि सहारनपुर में इनका कार्य सन्तोषजनक रहा है इसलिये इन्हें सहारनपुर में एक वर्ष और तैनात रहने दिया गया।

## हसनगंज-मोहान-उन्नाव मार्ग के मोटर मालिकों पर बकाया यात्री कर

*७८--श्री राम कुमार (जिला कानपुर)---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हसनगंज-मोहान-उन्नाव मार्ग के कुछ मोटर मालिकान पर यात्रीकर की कुछ रकम बकाया है ? यदि हां, तो किस मालिक पर किस लारी का कितना यात्री-कर कब से बकाया है और उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां, चार मोटर मालिकों पर बकाया है। किस मालिक पर किस लारी का कितना यात्री कर कब से बकाया है और उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, इसका विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७८०—७८१ पर)

## झांसी जिले मे शराब की दुकानों का नीलाम

*७९—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में दिनांक १० मार्च, १९६९ को एक्साइज के कितने ठेके नीलाम किये गये और कुल के कितने के नीलाम किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक १० मार्च, १९६९ को देशी शराब की ८० दुकानें एवं भांग की २९ दुकानें नीलाम की गयी थीं। देशी शराब की ८० दुकानें २३,०१,५०० रु० मूल्य की तथा भांग की २९ दुकानें ७२,९५० रु० मूल्य को नीलाम की गई थीं।

*८०—श्री गुप्तार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ठेके पृथक-पृथक नीलाम किये गये या एक साथ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आबकारी दुकानें पहले पृथक-पृथक नीलाम की गयी थीं, परन्तु जिन दुकानों की बोलियां गत वर्ष की तुलना में कम प्राप्त हुई थीं उनको ग्रुपों में नीलाम कर दिया गया। दूकानों के ग्रुपों में नीलाम करने का कारण यह है कि पृथक-पृथक नीलाम किये जाने पर गत वर्ष की अपेक्षा कम मूल्य प्राप्त हुआ था।

## जिला अस्पताल हरदोई के डाक्टर कनौजिया के विरुद्ध जांच

*८१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिला अस्पताल के डा० जी० एल० कनौजिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं ? यदि हां तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां। सरकार को जो शिकायतें डाक्टर कनौजिया के विरुद्ध मिली हैं उनकी जांच कराई जा रही है।

*८२—श्री शिवराज सिंह—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

## बांदा जिले के उप-अरण्यपाल के विरुद्ध शिकायतें

*८३—श्री हरिवंश (जिला देवरिया) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा के उप-अरण्यपाल के विरुद्ध कितनी शिकायतें जनता एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सन् १९६८ से जुलाई, १९६९ तक प्राप्त हुई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जिला बांदा के उप अरण्यपाल के विरुद्ध सन् १९६८ से जुलाई, १९६९ तक १६ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक शिकायत भारतीय कम्युनिस्ट दल के मंत्री से, पांच शिकायतें गुमनाम दो शिकायतें अधीनस्थ कर्मचारियों से तथा आठ शिकायतें निकाले गये कर्मचारियों से प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में से एक पर जांच हो चुकी है। यह शिकायत भूतपूर्व उप-अरण्यपाल के विरुद्ध थीं और जांच में उन्हें दोषी नहीं पाया गया। शेष १५ शिकायतों पर जो वर्तमान उप अरण्यपाल के विरुद्ध हैं। अभी अरण्यपाल दक्षिणी वृत्त द्वारा जांच की जा रही है।

*८४--श्री हरिवंश तथा श्री शिवकैलाश--

क्या यह सत्य है कि उप-अरण्यपाल के विरुद्ध यह भी आरोप है कि उन्होंने व उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने मिलकर ग्राम मंटौध, थाना मंटौध, जिला बांदा में खड़ा शीशम का पेड़ अपने निजी प्रयोग के लिये कटवाया? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

ग्राम मंटौध, थाना मंटौध जिला बांदा में एक शीशम के पेड़ नाजायज तौर से काटे जाने की शिकायत दिनांक १४ अप्रैल, १९६९ को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता श्री राम भजन नियम द्वारा टेलीफोन पर उप अरण्यपाल बांदा को प्राप्त हुई। विभागीय जांच हुई पर पुलिस के आग्रह पर कि मामला पूरी तरह पुलिस द्वारा तहकीकात होना चाहिए, मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। स्थानीय पाक्षिक समाचारपत्र 'रिश्वत' अंक १० दिनांक २४ जून, १९६९ के प्रकाशन ने यह लिखा कि इस पेड़ को उप अरण्यपाल के सम्भवतः स्वयं कटवाया।

## श्रीमती शान्ती देवी, मिडवाइफ फैजाबाद का स्थानान्तरण रुकना

*८५--श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया) तथा श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल (जिला हरदोई)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि श्रीमती शान्ती देवी, मिडवाइफ फैजाबाद करीब १५ साल से इस जिले में हैं जिनका तबादला वाराणसी हो गया था लेकिन तुरन्त उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया है? यदि सत्य है, तो उसका क्या कारण है?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमती शान्ती देवी, मिडवाइफ, फैजाबाद गत लगभग १० साल से हैं। इनका तबादला वाराणसी हो गया था लेकिन उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया कि उनको कुछ पारिवारिक कठिनाइयां हैं जिनमें उनके बच्चों की शिक्षा भी थी, जिन के कारण वे वाराणसी नहीं जा सकतीं। अनुकम्पा की दृष्टि से उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय जनता का भी एक सम्मिलित प्रार्थना-पत्र आया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि श्रीमती शान्ती देवी का स्थानान्तरण न किया जाये।

## मेरठ में चोरी की गयी दवाओं की बिक्री

*८६--श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि मेरठ के प्यारेलाल शर्मा अस्पताल की दवायें चोरी से बिकती हुई एक मेडिकल स्टोर में दिनांक २४ जुलाई, १९६९ को पुलिस द्वारा पकड़ी गयीं, यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन दवाओं की बिक्री में सम्बन्धित अधिकारियों का हाथ था?

श्री कृष्णानन्द राय--

२४ जुलाई, १९६९ को चोरी से बिकती हुई पुलिस द्वारा जो दवायें पकड़ी गई थीं वह प्यारेलाल शर्मा अस्पताल की नहीं थीं और न इस बिक्री में उक्त अस्पताल के किसी अधिकारी का हाथ था।

## मध्यावधि चुनाव के समय मेरठ जिले में थानाध्यक्ष

*८७--श्री आनन्द सिंह, श्री गंगा प्रसाद, श्री दीपनरायण तथा श्री महेश्वरदत्त सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मध्यावधि चुनाव १९६८-६९ के दौरान मेरठ जिले में कितने बड़े थानेदार नियुक्त थे, तथा क्या यह सत्य है कि सब एक ही जाति विशेष के थे ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? यदि नहीं, तो उनमें कितने किस जाति के थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

छत्तीस बड़े थानेदार (थानाध्यक्ष) नियुक्त थे जो एक ही जाति के नहीं थे। वे निम्न जातियों के थे :--

| | |
|---|---|
| सिख .. .. .. .. | २ |
| जाट .. .. .. .. | ८ |
| ब्राह्मण .. .. .. .. | १० |
| ठाकुर .. .. .. .. | ९ |
| गूजर .. .. .. .. | १ |
| त्यागी .. .. .. .. | २ |
| अहीर .. .. .. .. | १ |
| खत्री .. .. .. .. | १ |
| सैनी .. .. .. .. | १ |
| मुसलमान .. .. .. | १ |

## कमलापति मोतीलाल शुगर मिल मोदीनगर, फैजाबाद पर बकाया

*८८---श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

क्या यह सही है कि कमलापति मोतीलाल शुगरमिल मोदीनगर, फैजाबाद पर राज्य सरकार केन यूनियन तथा काश्तकारों का लाखों रुपया बकाया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

इस मिल पर बकाया धनराशियों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

१९६८-६९ सीजन के गन्ना मूल्य के बकाया को वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। इस मिल पर बकाया रुपय की वसूली के लिये जिलाधीश ने इस मिल को कुर्क कर लिया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७८२ पर)

## अतारांकित प्रश्न

## कानपुर जिले में पुलिस चौकियां और थाने बढ़ाने की योजना

१---श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कितने पुलिस थाने व चौकियां नयी बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है और यह योजना कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

कानपुर के नगर क्षेत्र में नौ नये थाने स्थापित करने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई नया थाना या चौकी तथा शहरी क्षेत्र में कोई नई चौकी बनाने की योजना नहीं है।

इस योजना को कार्यान्वित करने के आदेश ३० अप्रैल, १९६९ को जारी कर दिये गये हैं परन्तु प्रस्तावित नये थाने उनके कार्यक्षेत्र सरकारी गजट में प्रकाशित होने पर ही चालू होंगे इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है।

## बरखास्त किये गये थानेदार

२---श्री रामरतन (जिला बलिया)---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ से १९६१ तक कितने थानेदार बरखास्त हुये उनके आरोप क्या थे और कितने विभागीय कार्यवाही द्वारा, कितने अदालती तथा कितने सी० आई० डी० द्वारा आरोप से बर्खास्त हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सन् १९५९ से सन् १९६१ तक १० सब-इंस्पेक्टर बरखास्त हुये। इन पर जो आरोप थे वे नीचे दिये गये हैं। १० सब-इंसपेक्टरों में से ९ वैभागिक कार्यवाही द्वारा तथा १ न्यायालय की कार्यवाही के पश्चात् बरखास्त किये गये।

## आरोपों का विवरण

४ सब-इंसपेक्टर---केस डायरी काफ़ी विलम्ब से प्रेषित करना।

१ सब-इंस्पेक्टर---ड्यूटी पर निर्धारित वर्दी न पहनना तथा पुलिस गार्ड के चेकिंग के संबंध में गलत रिपोर्ट लिखना।

१ सब-इंस्पेक्टर---बिना छुट्टी या अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहना।

१ सब-इंस्पेक्टर---भा० दं० वि० की धारा १६१ व प्रीवेन्शन आफ करेप्शन ऐक्ट की धारा ५ के अन्तर्गत

१ सब-इंस्पेक्टर---पुलिस अधीक्षक फ़ैजाबाद व क्षेत्रीय पुलिस उप महा निरीक्षक की आज्ञाओं का उल्लंघन।

१ सब-इंस्पेक्टर---प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा डेली रिपोर्ट में इन्टरपोलेशन करना।

१ सब-इंस्पेक्टर---पैरा २४ गवर्नमेन्ट सरवेन्ट कान्डक्ट रूल्स का उल्लंघन, पत्नी के नाम अचल सम्पत्ति की सूचना विभाग को नहीं दिया था।

३---श्री मंजूर अहमद---

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

## सोरों थाने में विभिन्न अपराध

४---श्री लियाराम (जिला एटा)---

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६८-६९ व जून, १९६९ तक थाना सोरों, जिला एटा में कितने लोगों को धारा २५ आर्म्स ऐक्ट में बन्दी बनाया गया इस अवधि में वहां कितनी डकैतियां एवं कत्ल हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

थाना सोरों जिला एटा की पुलिस द्वारा वर्ष १९६८-६९ में व जून, १९६९ तक धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत कुल २८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में ५ डकैती तथा ८ कत्ल के मामलों की रिपोर्ट थाने पर प्राप्त हुई।

५—श्री अनीसुर्रहमान—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

## घोड़ाखाल तथा सरोजिनी नगर सैनिक स्कूलों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

६—श्री डूंगर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के घोड़ाखाल तथा लखनऊ के सैनिक स्कूल में परिगणित एवं पिछड़ी जातियों के प्रवेश के लिये आरक्षण है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

घोड़ाखाल तथा सरोजनी नगर सैनिक स्कूलों में परिगणित एवं पिछड़ी जातियों के बालकों के प्रवेश के लिये कोई आरक्षण नहीं है।

७-८—श्री खचेड़ूसिंह मोहरिया—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

९-१०—श्री जगदीश गांधी—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

## २५ सदस्यों के निलम्बन के कारण सदन के नियमित रूप से गठित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं, आप की इजाजत से एक नुक्तये तरतीबी (प्वाइंट आफ़ आर्डर) रेज करना चाहता हूं और वह यह है कि यह सदन, अंग्रेजी के लफ्ज मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, वैलिडली कांस्टीट्यूटेड नहीं है अर्थात् कुछ माननीय सदस्य इसमें खिलाफ कायदे और कानून निकाल दिये गये हैं, परसों २५-२६ और जब उनक कानून और कायदे के खिलाफ़ निकाल दिया तो उनके अधिकार का हनन हुआ है। वे अगर गैर हाजिर होते तो जब तक कोरम होता है तब तक वह कांस्टीट्यूशनल था लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा मैंने अर्ज किया, जो आप के रूल्स आफ़ प्रोसीजर हैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली है, उसके विरुद्ध उन २५-२६ माननीय सदस्यों को निलंबित किया है, ५ दिन के लिए और अगर कानून कायदे के खिलाफ़ उन्हें निलंबित किया गया है तो आप सहमत होंगे, क्योंकि कानून के खिलाफ़ उनका निलंबन किया गया है, यह हाउस नहीं चल सकता है जब तक कि आप उनको न बुला लें और परसों जो कार्यवाही हुयी, उस सिलसिले में आप उसको एक्सपेज न करदें। एक्सपंक्शन के बारे में मेरी अर्ज है कि जब तक वह कार्यवाही एक्सपंज न हो और साथ ही जब तक आप उनको मौका और काफी वक्त न दें, यहां आने का, तब तक इस सदन को नहीं चलना चाहिए, कायदे और कानून के मुताबिक।

अध्यक्ष महोदय, परसों जब आपके हुक्म से सारा अपोजिशन यहां से निकाल दिया गया तो माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने ब्रीच आफ़ प्रिविलेज का (सदन के अवमान का प्रश्न आप के सामने उपस्थित किया और माननीय सदस्यों की गैर हाजिरी में यह आर्डर हो गया कि उनको बिना मौका दिए, और वे ५ दिन के लिए निकाल दिए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इसे विजिनेस करना है। इस सम्बन्ध में आप जरा नियम ६५ को देखें जिसमें ग्राह्यता की शर्तें या एडमिसिबिलीटी की शर्तें दी हैं। आपने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव भी पास किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप का प्रस्ताव ग्राह्य, एडमिनिसिबिल होना चाहिए था, उन सदन के २५–२६ माननीय सदस्यों को मौका देना चाहिये था, अपनी बात कहने को। इसके प्रोवाइजो में यह लिखा हुआ है कि "परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायत कर्ता को भी सुन सकेंगे। लेकिन अगर किसी नान मेम्बर के विरुद्ध शिकायत हो तो दूसरी बात है। वे लोग मौजूद ही नहीं थे लिहाजा उनकी बात सुनने का सवाल नहीं उठा। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कार्यवाही मैंने देखी है उसमें माननीय बसन्तलाल शर्मा ने जो प्रोवाइजो नियम ६३ का, पढ़ कर सुनाया वह गलत था। उनके पास जो प्रतिलिपि थी वह शायद गलत थी। उन्होंने यह पढ़ कर सुनाया " परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो सदन अध्यक्ष की सम्मति से के बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।" इसमें "के" लफ्ज नहीं है "से" है। आप की सम्मति की तो हर सूरत में आवश्यकता है। हाउस के सामने अवमानना है तो आप की सम्मति आवश्यक है। बसन्त लाल जी ने जो पढ़ा जैसा कार्यवाही में दर्ज है उसमें "के" है। ऐसा लगता है कि पहले की कापी में "के" था लेकिन बाद में करेक्शन हो गया और उन्होंने आपको अनकरेक्टेड कापी से पढ़ कर सुना दिया कि आप की सम्मति की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सही व शुद्ध प्रतिलिपि आप के सामने होती तो मुमकिन है आप इजाजत न देत। लेकिन परसों आप इस इम्प्रेशन में रहे कि आप की सम्मति की आवश्यकता ही नहीं है। एक तो यह गलती हुई।

दूसरी बात यह है कि इन २५ माननीय सदस्यों को आप ने अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आप नियम ६८ देखें जो इस प्रकार है :—

सदन के समक्ष शिकायत का निस्तारण—यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निस्तारणार्थ लाया जाना निश्चित हो जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायगी और उन को स्पष्टीकरण तथा निर्दोषिता सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा तत्सम्बन्धी लेख्य या लेख्यों के निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा।" तो यह मौका देना चाहिये था, वह मौका भी नहीं मिला और न मिल सकता था। परसों जो कार्यवाही हुई है वह इस ढंग से हुयी है मानो फैचेहरी हो, कोई गैर हाजिर हो तो कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, एकतरफा सब कार्यवाही करो।

इसके अतिरिक्त मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, जुरिसप्रूडेंस का य बुनियादी उसूल है कि आप सजा नहीं दे सकते जब तक आप किसी को अपनी बात कहने का अवसर न दें। यहां तक कि किसी आदमी का कत्ल अगर सेशन जज, जिलाधीश, जस्टिस अथवा चीफ जस्टिस के सामने हो जाय तब भी आप उसे फांसी नहीं दे सकते जब तक उसे वह मौका न दें कि उसने कत्ल क्यों किया क्योंकि उसके कत्ल करने का कोई कारण हो सकता है, और बहुत सी बातें वह कह सकता है। ९९ फैक्ट्स आ जाय इस बात के कि यह आदमी गिल्टी है लेकिन एक फैक्ट ऐसा आ सकता है जो ९९ तथ्यों पर पानी फेर दे और आप ही मजबूर हो जायं यह कहने के लिये कि यह निर्दोष है। लिहाजा जो कांस्टीट्यूशन का बेसिस है, दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जूरिसप्रूडेंस का जो आधार है वह यही है कि मौका दिया जाय दोषी आदमी को, वह उनको दिया नहीं गया। यह सजा दी जा रही है और सजा दी गयी अनहर्ड, उन्हें बिना मौका दिये हुए।

इन २५ सदस्यों का जो निष्कासन हुआ और ५ दिन के लिये निलम्बित कर दिये गये, मेरी गुजारिश यह है कि यह खिलाफ कायदा और कानून है और अगर आप मुझको इजाजत दें तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अपना दिमाग लगाया नहीं गया। मस्लन् माननीय लक्ष्मी

[श्री चरण सिंह]

रमण आचार्य अक्सर यह काम करते हैं। माननीय गुप्ता जी ने मालूम होता है कि उनको जनरल पावर आफ़ अटार्नी दे रख है। यों तो हर मिनिस्टर बोल सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले में उन को आम अख्तियार है। तो वह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यह ब्रेच आफ़ प्रिविलेज हुआ और कुछ नाम पढ़ दिये। अब उनमें एक नाम तो ऐसा है कि जो हाउस के मेम्बर ही नहीं हैं। इससे ही मालूम होता है कि कितना ध्यान दिया गया, कितना विचार किया गया। दूसरे ऐसे लोग हैं कि जिनकी बाबत दो रायें नहीं हो सकतीं, और सब की बाबत दो रायें हो सकती हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बाबत दो रायें हो ही नहीं सकतीं कि उन्होंने विशेष धिकार की अवहेलना नहीं की, जो दूसरों को समझाने में लगे हुये थे उनके भी नाम उसमें हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लिस्ट पहले पढ़ कर सुनायी गयी थी उसमें नहीं थे और बाद में उनका नाम दर्ज कर दिया गया। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने सुना यह है, मुझको तो जाने का हुक्म परसों पहले ही दे दिया था, लेकिन मैंने सुना यह है कि आप के सामने एक दीवार थी पुलिसमैनों की और लक्ष्मीरमण जी के सामने भी पुलिसमैनों की एक दीवार थी, शायद गुप्ता जी के सामने उतनी नहीं थी लेकिन लक्ष्मीरण जी की रक्षा की अधिक आवश्यकता थी और उन्होंने ही प्रस्ताव पेश किया। पता नहीं उन्होंने उस दीवार के इधर क्या हो रहा था यह देख पाया या नहीं देख पाया और मुझे यह भी पता नहीं है कि मेरे दोस्त उन २५ आदमियों को पहचान भी सकेंगे या नहीं। तो सब परफ़ंक्टरी तरीके से, गुस्से में, आवेश में और कुछ अधिकार के मुगालते में कि हम कुछ कर के दिखा सकते हैं वह सब काम हुआ।

इसके बाद मैं एक दूसरा प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाने वाला हूं कि जिस तरह से आपने क्लियर कराया लोगों को और जो बातें मेरे मन में हैं वह इससे संबंध तो रखती हैं लेकिन डायरेक्टली उनका इससे संबंध नहीं है। तो पहला मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर यह है कि हाउस आगे अपना कार्य नहीं कर सकता, आप को इजाजत नहीं देनी चाहिये इस हाउस को काम करने की जब तक वह २५ माननीय सदस्य जिनके खिलाफ़ कायदा कानून निकाल दिया गया है वापस न बुला लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में नित्यानन्दजी ने भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय नित्यानन्द जी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रख दी है।

श्री अध्यक्ष—

आप भी संक्षेप में रख दीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं भी संक्षेप में ही रखूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने लिखित रूप से व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने उपस्थित किया है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, कि जो प्रक्रिया इस सदन के अन्दर २६ तारीख को हुई मैं यह समझता हूं कि भारत के इतिहास को छोड़ दीजिये, उत्तर प्रदेश असेंबली के इतिहास को छोड़ दीजिये, शायद संसार के इतिहास में कोई ऐसा नमूना नहीं मिलता जिस तरह का व्यवहार विरोधी दल के सदस्यों के साथ उस दिन हुआ। यह नियमानुकूल नहीं था और उसकी भर्त्सना ही की जायगी नियम २९९ के अन्दर जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने स्पष्ट किया, यह बिलकुल स्पष्ट

है कि आप इंगित करेंगे कि उसके बाद सदस्य यदि सदन के बाहर नहीं जाता है और बार बार व्यवधान करता है तो माननीय नेता सदन प्रस्ताव करेंगे और उनके प्रस्ताव के बाद फिर कोई शक्ति का प्रयोग होगा । किन्तु वे उपस्थित थे । यदि माननीय नेता सदन उपस्थित न हों, तो नियम २९९(३) में यह दिया हुआ है कि अगर किसी सदस्य को इंगित किया जाय और माननीय नेता सदन उपस्थित न हों तो "कोई सदस्य" । लेकिन माननीय नेता सदन उपस्थित थे । कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको झुठलाया नहीं जा सकता और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ अथवा नहीं हुआ ।

माननीय आचार्य जी भी इसको स्वीकार करेंगे कि नेता सदन उस समय उपस्थित थे । उनकी उपस्थिति में यह प्रस्ताव रखा गया । उनका प्रस्ताव उसी समय उचित हो सकता था जब कि आप इंगित करते और माननीय नेता सदन उपस्थित न होते । हुआ यह कि पुलिस क फोर्स को बीच में खड़ाकर दिया गया और विरोधी दल के लोगों को बाहर निकाले जाने की आज्ञा दे दी गई । उनको यह भी नहीं बताया गया कि उनको किस नियम के अनुसार निकाला जा रहा है । मैंने इन नियमों में किसी ऐसे नियम को ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई ऐसा नियम नहीं मिला जिसके अनुसार उनको बिना इंगित किये निकाला जा सकता हो । यदि कोई ऐसा नियम हो तो आप उसको अपनी व्यवस्था में बतावें, व्यवस्था देने का आपको हक है । होना तो यह चाहिये था कि एक एक सदस्य को आप इंगित करते और माननीय नेता सदन प्रस्ताव लाते तब उसको निलम्बित किया जाता । लकिन बिना ऐसा किये विरोधी दल के सदस्यों को एन-ब्लाक निकाल दिया गया । उसके बाद माननीय लक्ष्मीरमण जी ने प्रस्ताव रख दिया । यह तो उसी प्रकार से हुआ कि शेर भर गया हो और बाहर जंगल में कोई जाय और उसको लाठी मारने लगे । उस दरोगा वाला व्यवहार किया गया है जो डकैती पड़ जाने के बाद किसी गांव में जाता है और बिना जाने ही १०-२० लोगों के नाम लिख देता है । प्रभुदयाल भी एक ऐसा ही नाम रहा जिसके नाम का कोई सदस्य ही नहीं है । मैं लक्ष्मीरमण जी से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रभुदयाल नाम का कोई सदस्य है ? यह मैं जानता हूं कि उस लिस्ट में हमारे दल के किसी भी माननीय सदस्य का नाम नहीं है क्योंकि जैसे ही हमारे दल के नेता से बाहर जाने के लिये कहा गया उन्होंने पूरे अपने दल के साथ सदन का त्याग कर दिया । लेकिन जिस प्रकार से विरोधीदल में बैठे और माननीय सदस्यों को, यद्यपि उनमें जनसंघ में के सदस्य नहीं हैं, सदन के बाहर निकाला गया और निलंबित किया गया, वह नियमानुसार नहीं किया गया । उनक विरुद्ध पहले निकालने का प्रस्ताव आना चाहिये था, उनके सामने । परन्तु ऐसा न करके पहले उन लोगों को निकाल दिया गया और उसक बाद उनको निलंबित करने का प्रस्ताव लाया गया । सारी नियमावली को पढ़ कर भी कोई इस ऐक्शन को जस्टीफाई नहीं कर सकता । इसके बारे में कृपा कर आप अपने भी विचार रखें कि यह नियमानुसार हुआ या नहीं हुआ और उसके बाद सरकार की तरफ से इस पर खेद प्रकाश किया जाय । उसके बाद सरकार अपने उस प्रस्ताव को वापस ले, तब ही आगे की की कार्यवाही चल सकेगी । मुझे आशा है इस पर आप उचित व्यवस्था देने की कृपा करेंगे ।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मुझे दुख है कि आज सदन में अपने नेता की अनुपस्थिति में मुझे यह कार्य करना पड़ रहा है । माननीय नेता विरोधीदल और माननीय व्हिप जनसंघ ने जो कुछ कहा है, उनसे अपनी सहमति प्रकट करते हुए मैं कुछ शब्द निवदन करना चाहता हूं । प्रश्न यह है कि क्या परसों जो विरोधीदल के सदस्यों को निकाले जाने की प्रक्रिया हुई, वह नियमानुकूल हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय प्रश्न दूसरा है । इस समय २५ सदस्यों को निलंबित करने का प्रश्न है ?

श्री रामधारी—

मैं उसी के बारे में निवेदन कर रहा था। उनको विशेषाधिकार के प्रश्न पर निलंबित किया गया। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अवमान का प्रश्न दो तरह का है। एक तो अगर आदरणीय सदन के किसी माननीय सदस्य से अवमान हो जाय तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जायेगी और जब किसी अन्य व्यक्ति से सदन का अवमान हो जाय तो कौन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी ? जैसा कि मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा और लोगों से सुना उससे मुझे ऐसा आभास हुआ, उससे मैंने अर्थ निकाला कि श्रीमन् ने नियम ७१ का प्रयोग किया। आप देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस समय जो कुछ कारण रहे हों, नियम ७१ या ६३ से लेकर जितने भी, विशेषाधिकार के प्रश्न हैं, उनका कैसे निस्तारण करेंगे, उस तरफ ध्यान नहीं गया।

श्रीमन्, आप नियम ६७, ६८ को देखें तथा खंड १, २ और ३ को देखें तो उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसमें किसी अन्य विधि की गुंजाइश नहीं है। सदस्यों के लिये अलग प्रक्रिया प्रदान की गई है और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य सदन का अवमान करेगा तो श्रीमन् को इसमें कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि उस सदस्य को सुनें और नियम ७१ में "व्यक्ति" शब्द का प्रयोग जानबूझ कर किया गया है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा सदन का अवमान हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते थे। लेकिन मेरी तुच्छ सम्मत्ति में यह विभेद नहीं किया जा सका और ऐसा आदेश दे दिया गया कि विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों को निष्कासित कर दिया जाय। माननीय नित्यानन्द जी ने जो २९९ का हवाला दिया है उसकी ओर केवल मैं संकेत करूंगा। हमको दो बातों पर निकाला जा सकता है। यदि श्रीमन्, कंविन्स हो जायं कि हमारी ओर से अव्यवस्था हो रही है, जब आपको पूरा यकीन हो जाय कि हमारी तरफ से अव्यवस्था पैदा की जा रही है तो श्रीमन्, इंगित करें, और ट्रजरी बेंचेज की ओर से मुख्य मंत्री द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य सदस्य की ओर प्रस्ताव आ जायेगा। लेकिन वह नहीं आया और उसके न लाने पर मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह कंस्ट्रक्टिव नो कांफीडेंस हुआ, यह कन्ट्रक्टिव अविश्वास हुआ।

कल मुझे आपने इंगित किया और फिर क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? पुलिस के जरिये जिस तरह से हम लोगों को निकाला गया उसको सारी दुनिया जान गई है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वह सदन के इतिहास में अनूठी थी। बहुत से सदस्य ऐसे थे जो सदन में रहना चाहते थे जैसे माननीय विकल जी, माननीय किदवई जी तथा महन्त दिग्विजयनाथ जी। उनसे मार्शल ने तथा पुलिस ने कहा, आपकी आज्ञा से या आपकी छत्रछाया में मुख्य मन्त्री जी के इशारे पर यह काम होने लगा कि अगर यहां बैठना है तो कांग्रेस बेंचेज में चले जाओ वरना हाउस से बाहर चले जाओ। आप इस आसन पर विराजमान हैं, यह अच्छा है या नहीं, इसके निर्णय का अधिकार मुझको नहीं है, आपको ही है। लेकिन २१२ में स्पष्ट है और हिमाचल प्रदेश में यह तय किया गया है कि इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती जिससे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन होता हो। २६ सदस्यों को जो निष्कासित किया गया उसमें एक तो सदस्य भी नहीं था, यह किस बात का द्योतक है, उस समय क्या स्थिति थी ? यदि विवेक से होता, इस तरह की जल्दबाजी न हुई होती तो मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि यह सदन कांस्टीट्यूटेड नहीं था।

१९२६ में मैं इस देश के सर्वमान्य नेता स्वर्गीय विट्ठलभाई पटेल सेंट्रल असेंबली के स्पीकर थे। उस समय एक ऐसी स्थिति आई जब कि पूरा का पूरा विरोधी पक्ष चला गया। आपके कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने दिखाया होगा और न दिखाया हो तो देखने की कृपा करेंगे। उन्होंने कहा कि सदन को कांस्टीट्यूट करने के लिये तीन चीजें जरूरी हैं। अध्यक्ष, विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष। उन्होंने कहा कि जब विरोधी पक्ष पूरा का पूरा नहीं है तो यह सदन ड्युली कांस्टीट्यूटेट नहीं है। इसलिये स्पीकर होने की हैसियत से हमारे लिये कोई चारा नहीं है कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूं। यह सदन किसका है ? मैं याद दिलाना चाहता

हूं कि इस सदन की अध्यक्षता स्वर्गीय राजर्षि टंडन ने की है जिनके संबंध में श्रीमन् को मालूम है। श्रीमन् को अनुभव है इस सदन की अध्यक्षता और सदस्यता का, जब लीग और कांग्रेस एक दूसरे की विरोधी बेंचों पर बैठते थे। बड़े काबिल लोग थे। बड़ी तीखी मार होती थी संवैधानिक। उस समय जहीरुल हसनैन लारी ने माननीय टंडन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किया और बाद में वापस ले लिया। टंडन जी ने कहा—संभवतः अक्तूबर या नवम्बर, १९४७ में जो स्पीच दी थी वह स्मरणीय है। उन्होंने कहा आपने वापस ले लिया वरना एक भी सदस्य का मेरे प्रति अविश्वास होता तो इस कुर्सी पर न होता और मेरा इस्तीफ़ा आपके सामने होता"। उन्होंने यह भी कहा कि "सरकारी पक्ष इतना प्रबल है कि मेरी विजय हो जाती सकती है। मैं अविश्वास के प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव वापस न होता तो मैं इस कुर्सी पर विराजमान नहीं होता"। इस सदन में आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं, उसकी महिमा है। ये चीजें क्यों हुयीं? इस पर भी विचार किया जाना चाहिये। मुझे यहां उर्दू का एक शेर याद आता है—"जिसने दिल पैदा किया उससे शिकायत कुछ नहीं, दिल से जो पैदा हुई वह आरजू बदनाम है।"

उस दिन जो काम हुआ, सरकार को बचाने के लिए जिस तरह से काम हुआ और जिस तरह के हालात थे उसमें अगर विरोधी पक्ष ने आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाना चाहा तो यह उसका अधिकार था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय जो प्रक्रिया अपनायी गयी वह मूल कारण है अब तक की झंझटों का और जो आपस में डेडलाक बना हुआ है, उसका वही कारण है। केवल कानूनन चेयर की आज्ञा को स्वीकार करना काफी नहीं है। इंस्टिंक्टिवली, प्रवृत्ति से चेयर को आज्ञा मानने के लिये मजबूर हो जायं, यह भाव होना चाहिये प्रत्येक सदस्य के मन में चेयर के प्रति। लेकिन यह रेसिप्रोकल है। एकतरफा नहीं है। केवल हम आज्ञा मानें और चेयर हमारी भावनाओं का ध्यान न रखे, तो यह नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इस उच्च आसन से पूरी तरह से हमारी भावनाओं का आदर नहीं हुआ, आदर क्या, हमारी भावनाओं का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं हो सका। जब यह हो जाता है तो क्या होता है—हद से बढ़ जाती हैं इंसान की मजबूरियां, अमन पसन्द भी बगावत की बात करते हैं। आज क्या हो रहा है? क्या किया था हमारे नेता जायसवाल जी ने? आपका पुलिस फ़ोर्स आ गया था। उसके बाद उन्होंने मार्शल से कहा कि हमको इंगित कर दें, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने यह कहा, मैं भी बैठा हुआ था। कुछ नहीं अध्यक्ष का आदेश है, यहां से चले आओ, विरोधी पक्ष का कोई नहीं रहेगा। यह कहां तक उचित है? श्रीमन्, फ़ैसला करें या कोई अथारिटी हो आपके अलावा वह फ़ैसला करे। मेरी समझ से यह निश्चित रूप से संविधान की अवहेलना हुई और भावावेश में हुई।

कैसे होगा, या उसका क्या निदान है? मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में उसकी मर्यादा भी है। हमको इंगित करना चाहिये था। लेकिन उसके बदले एक असंवैधानिकता हुई, एक बड़ी अनियमितता हुई है और उसको ढकने के लिये एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया जो फ़र्जी और झूठा है। इसके लिये एक इलाज है विधान में कि जो झूठा विशेषाधिकर का प्रश्न लगावे उसके विरुद्ध पांच सौ रुपये जुर्माने की व्यवस्था तो है ही। किन्तु इतना ही काफ़ी नहीं है कि उस दिन की कार्यवाही एक्स्पंज की जाय क्योंकि सदन उस दिन लीगली कांस्टीट्यूट नहीं था और हमें उस दिन सुना नहीं गया जो कि हमारा इन्हरेन्ट राइट है। इसके लिये यही काफ़ी नहीं है कि एक्सपंज की जाय कार्यवाही, लोगों की मुल्तवी को वापस लिया जाय, बल्कि जिन्होंने झूठे आरोप लगाये और प्रोक्लीजर को फ़ालो नहीं किया, उनके खिलाफ़ भी संविधानसम्मत कार्यवाही की जाय। यदि आप निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं और हमको दण्ड देने के लिये हमारे दारुलशफ़ा को पुलिस घेरे हुए है, हमारे दरवाजों के आगे पीछे पुलिस का पहरा है, तो वह भी हमारे विशेषाधिकार का अपमान है जो कि शायद आपके आदेश से ही हो रहा है, उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

[श्री रामधारी]

सन् १९४१ में मैं भी टांगकर निकाला गया था जब कि महात्मा गांधी जी के आदेश से जेल चला गया था, लेकिन उस समय भी पुलिस द्वारा इतनी ज्यादती और अत्याचार नहीं किया गया था जो आज इन दिनों हुआ। हमें चारों ओर से आपकी पुलिस और सी० आई० डी० घेरे हुए है। क्या किसी ने कम्पलेंट फ़ाइल की है कि वहां (दारुलशफ़ा) पर व्यवस्था की आवश्यकता है? आज मैं समझता था कि शायद आपके दिल में परिवतन आ गया हो, आपके दिल में कोई बदलाव आ गया हो जिससे कि यह डेडलाक कम हो जाय, लेकिन चारों ओर इतनी बड़ी संख्या में जो पुलिस पड़ी हुई है, उससे मालूम पड़ता है कि आप डंडे के बल पर व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। मैं बहुत अनुनय विनय पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो इस गद्दी की महान् महिमा है, उसको ध्यान में रखते हुए या तो यह सारी बातें पूरी हों नहीं तो मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह गद्दी किसी ऐसे आदमी को सौंप दें, जो टंडन जी की परम्परा का हो। उसे तोड़े नहीं। "राजर्षि टंडन जी जिन्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद"।

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

इस विषय पर विरोध पक्ष की तरफ से विचार प्रकट हो जाय, उसके बाद ही यदि आप आचार्य जी से विचार सुनें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

यह (आचार्य जी) कानूनी राय दे दें, उसके बाद।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अभी वैधानिक राय इस ओर भी आ सकती है, अभी उनको सुनना अपूर्ण होगा।

श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उस पर आप व्यवस्था दें, सदन में अभी यह कहा गया है—'मुर्दाबाद' पहले इसको वापस कराया जाय, तब आगे कुछ कार्य चलेगा। जो कुछ विरोधीदल के माननीय सदस्य कह रहे हैं उसे देखकर यही कहना आता है—

"आप ही जुल्म करें, आप ही शिकवा करें उल्टा।
सच है साहब रविश उल्टी है जमाना उल्टा।"

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने उन्हें रोका, वह रुक गये, अब ज्यादा बात बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सदन में एक शान्ति का वातावरण लाने का प्रयास हो रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि उसे और गर्म नहीं करना चाहिये। मैंने वित्त मंत्री जी को बुलाया है। आप अगर उनके बोलने के बाद बोलने की कोशिश करें तो अच्छा है।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्रीमन्, अभी परसों जो इस सदन में घटना घटी वह श्रीमन् लज्जाजनक और खेदजनक है। श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी अभी जब मैं अपने कमरे से आ रहा था तो गेट पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आने पर पुलिस वालों ने मुझको रोका। श्रीमन्, किसके आदेश से यह पुलिस वाले सदस्यों को सदन में आने से रोक रहे हैं। सदन की दर्शक दीर्घाएं खाली पड़ी हैं और सदन को पुलिस बुरी तरह से घेरे हुए है। श्रीमन्, वहां पर प्रजातंत्र है डेमोक्रेसी है वहां यह मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कौन सा डिक्टेटराना तरीका है जिसके द्वारा विधायकों के पीछे पुलिस वाले लग रहे हैं? श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। श्रीमन्, परसों की घटनाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि अहले आप सदन का क न्फीडेंस सीक करें उसके बाद इस गद्दी को सुशोभित करें। मैं इन सब बातों पर व्यवस्था चाहूंगा कि दर्शक दीर्घाएं क्यों खाली पड़ी हैं? क्यों आप प्रदेश के लोगों को यह नहीं देखने देना चाहते कि हम यहां पर कैसे जूता और चप्पल चलाते हैं क्यों दर्शकों को और विधायकों को दरवाजे पर रोका गया है? क्या इन सब बातों से सदन की गरिमा कम नहीं हो रही है। चार-चार छः-छः सिपाही दरवाजे पर लगा रखे हैं।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक माननीय सदस्य को रोकने की बात है, मैं समझता हूं कि रोकने का अधिकार उन्हें नहीं है। मैंने कह दिया है कि जो सदस्य कहें कि वे सदस्य हैं, वे अन्दर आ सकते हैं। यह बात करने के आदेश कर दिये हैं। आपने जो दूसरी बात कही तो शान्ति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट मिली होगी जिसके आधार पर उन्होंने व्यवस्था की है। तो इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है। सदस्यों के आने के बारे में तो मैंने बताया इस तरह की व्यवस्था दे रखी है। अब आप श्री लक्ष्मी रमण आचार्य जी को सुनें।

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पुलिस वाले सदस्यों को सदन में नहीं आने देते हैं। जिस दरवाजे से सदन में सदस्य आते हैं उस दरवाजे से पुलिस वालों ने आज मुझे नहीं आने दिया। क्या यह कार्यवाही ठीक है? हम विरोधी दल के सदस्यों को यह बात बहुत बुरी महसूस होती है। कृपा करके आप उस दरवाजे से पुलिस को हटा दें और सदस्य जिस दरवाजे से आते हैं उनको आने दिया जाय। हमें अफसोस है कि सदस्यों को पुलिस इस तरह से सदन में आने से रोक रही है। दरवाजे पर पुलिस के अधिकारी या डी० एस० पी० हैं वह सदस्यों को रोक रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप उनको हटवा दें। मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या यह बड़ा प्रदर्शन हो रहा है या क्या यह इस बात का प्रदर्शन हो रहा है कि आप हम को जबर्दस्ती खामोश बैठा रहे हैं? हम अपनी मर्जी से खामोश बैठे हैं। हम आप की मर्जी से खामोश नहीं बैठे हैं। हम डेमोक्रेटिक तरीके से कार्य करना चाहते हैं मगर आप ऐसा प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम को जबर्दस्ती खामोश बैठाया गया है। इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

माननीय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने माननीय सदस्यों को सदन में आने से रोक रखा है क्या आप उसी तरह से विधान परिषद् के सदस्यों को भी दर्शकदीर्घा में नहीं आने देना चाहते हैं और दर्शक दीर्घा खाली रखी गई हैं? इसके अलावा इस सदन में जो सदन के सदस्य हैं वह बैठे हैं और जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनको आपने यहां पर किस के आदेश से बुला लिया है? मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है? जो इस सदन के सदस्य हैं उन को यहां रहने दिया जाय बाकी लोगों को यहां पर न रहने दिया जाय। बाकी लोगों को आपने सदन में क्यों रोक रखा है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

वह तो सदन का कार्य कर रहे हैं।

श्री छांगुर--

मैं अभी यह कह रहा था कि अभी जब मैं आ रहा था तो विधान परिषद् के माननीय सदस्य श्री राम चन्द्र शुक्ल और एक दूसरे सदस्य को दर्शक दीर्घा में जाने से रोक दिया गया। तो क्या आप ने विधान परिषद् के सदस्यों को भी दर्शक दीर्घा में जाने से रोका है ? अध्यक्ष महोदय, कृपया इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया है कि उनको गैलरी में जाने दिया जाय। वह यहां नहीं आ सकते हैं।

श्री छांगुर --

आपकी पुलिस ने हम को अन्दर नहीं आने दिया। विधान परिषद् के सदस्यों को जो उनकी गैलरी थी उसमें नहीं जाने दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने, जब मेरे पास शिकायतें आयीं तो कह दिया है कि उनको अपनी दीर्घाओं में बैठने दिया जाय।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था के प्रश्न पर मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने आदमियों को माननीय सदस्यों के अतिरिक्त आपने यहां रहने की व्यवस्था की है ? यह पूरी बटालयन तो आप के पीछे नहीं बैठी है, जरा इसको मना कीजिये। यह सब कानाफूसी कर रहे हैं, उनको मना कर दें।

श्री अध्यक्ष--

ये सब विधान सभा के कर्मचारी हैं।

श्री जगन्नाथ राव--

विधान सभा के अतिरिक्त कितने विधान सभा के कर्मचारियों को आप इस सदन के अन्दर बैठने की इजाजत दे सकते हैं ? आपने यह तमाम क्या तमाशा कर रखा है ?

श्री अध्यक्ष--

जितने कार्य के लिये आवश्यक हैं वे ही रहते हैं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के गुप्तचर विभाग के लोग विधायक निवास ए, बी और दूसरे जितने ब्लाक्स हैं सबमें लग हुये हैं। मैंने उधर की दीर्घा में स्वयं देखा है और इलाहाबाद के तीन गुप्तचरों को मैं पहचानता हूं क्योंकि उनके द्वारा मुझे उधर रोका गया कि उधर से क्यों जा रहा हूं विधान सभा के अन्दर और मुझे दूसरी ओर से आना पड़ा। तो मैं विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या ५४ जिलों से गुप्तचर विभाग के लोग यहां पर बुलाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

गुप्तचर विभाग के लोग तो सदन के अन्दर नहीं आ सकते। मेरे पास अवश्य एक चिट्ठी आयी थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कि कुछ लोग ईंटा पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं सदन में ले जाने के लिये और दीर्घाओं से उन्हें फेंकना चाहते हैं, ऐसी सी० आई० डी० की रिपोर्ट है।

कई सदस्य—

बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप सब कह रहे हैं लेकिन मेरे पास ऐसी सूचना आयी थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कि उनको ऐसी खबर मिली, मैं उसको बिलकुल ठीक ही नहीं कहता, लेकिन उनको खबर ऐसी मिली, वह खबर सही हो या गलत, लेकिन यह आप सब लोगों की ही सुरक्षा के लिये उन्होंने कहा कि यह ऐसी चीज चाहते हैं कि जिससे सब की सुरक्षा हो तो ऐसी परिस्थिति में सदन के बाहर भी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाती है और सी० आई० डी० वगैरह बाहर घूम रहते हैं और यह आपकी सुरक्षा के लिये ही है इसलिये आप को उसमें कोई भय की बात नहीं है। जहां तक आप लोगों के लिये अन्दर आने की बात है उसके लिये कोई अड़चन नहीं है और उसके लिये तो दरवाजे खुले हुये हैं। सिर्फ उन लोगों को जिनके लिये मनाही है वे सिर्फ उन्हीं को रोक सकते हैं और दूसरों को नहीं रोक सकते। अब यह शांति और व्यवस्था तो नहीं हुई कि आप लोग बारबार व्यवस्था के प्रश्न उठाते चले जावें और लक्ष्मीरमण आचार्य जी जिन्होंने कल वह प्रस्ताव पेश किया था उनके ऊपर आक्षेप किये गये हैं बहुत से तो उसका उत्तर वे न देने पायें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

(ऊपर की सरकारी कर्मचारियों की दीर्घा की ओर इशारा करते हुये) श्रीमन, ऊपर देखें, तमाम गैलरीज खाली हैं और किसी को किसी में बैठने की इजाजत नहीं है लेकिन व्यक्ति किन कारणों से और किसकी इजाजत से बैठे हैं या किस के पास से उपस्थित हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यहां की यह प्रथा रही है कि सेक्रेटेरियट के कर्मचारी यहां बैठते हैं और आज बजट के सिलसिले में जो मंत्री आप को सूचना देंगे उसमें उनको सहायता के लिये बैठते हैं, नीचे आफिसर्स बैठते हैं और ऊपर अन्य कर्मचारी हैं।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन् ने अभी बताया कि आप को कोई सूचना प्राप्त हुई है सी० आई० डी० विभाग से कि सदन में दर्शक दीर्घाओं से कुछ बाहर के लोग ईंट पत्थर फेंकने की चेष्टा करेंगे तो श्रीमन, मैं निवेदन करूंगा कि सी० आई० डी० की इस रिपोर्ट को आप सही मान कर, उन रिपोर्ट देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय। उन लोगों को तत्काल जेल में डाला जाय। पुलिस अधिकारी, जो इस प्रकार से गलत रिपोर्ट भेजते हैं, उन को सजा दी जाय। मुझको ऐसा लगता है कि यह गलत बात है। सदन के अन्दर बाहर से कोई आदमी आकर ढेले पत्थर चलाये, यह बहुत ही गलत बात है। इस पवित्र सदन के अन्दर कोई व्यक्ति बाहर से आकर ईंट पत्थर चलाने की चेष्टा करे यह नितान्त असत्य और काल्पनिक बात है।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, इस माननीय सदन के समक्ष दो प्रश्न उठाये गये हैं और मैं इन दोनों का उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहला प्रश्न यह उठाया गया है कि यह २५ माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में सदन का जो निर्णय हो गया है कि उन को ५ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाय, यह वैधानिक रूप से सही है या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि श्रीमन् ने जो आदेश देकर माननीय सदस्यों को सदन से निष्कासित किया है वह उचित है या नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

मान्यवर, मुझे दुःख है कि प्रक्रिया नियमावली को हम लोग शायद जिस प्रकार से उसको इण्टरप्रेट करते हैं, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि उसको समझने की चेष्टा की जाय। इस प्रक्रिया नियमावली में ११ अध्याय हैं। उस अध्याय में यह है कि जब सदन का अवमान हुआ हो तो उस समय सदन के अवमान का प्रश्न उठाया जायगा। प्रश्न उठने के बाद वह सदस्य के द्वारा प्रश्न उठाया गया जाय या अन्य किसी के द्वारा प्रश्न उठाया जाय तो उस पर रूल ६४, ६५ और ६६ के अनुसार कार्यवाही होगी। प्रक्रिया नियमावली में बहुत तर्क संगत ये बातें बताई गई हैं। सदन का जब अवमान होता है तो उसके सम्बन्ध में कितनी तर्क संगत प्रक्रिया है। ६३ में यह है कि "किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उस की किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, याचिका द्वारा, अथवा समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा" अब एक प्रक्रिया समाप्त हुई। अब आगे उसमें है कि "यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।" यह दूसरी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया को उस समय आवश्यकता होती है जब अध्यक्ष या सदस्य या सचिव या याचिका के द्वारा उपस्थित हो। दूसरी प्रक्रिया तब होती है जब सदन के सामने सदन का अवमान हुआ हो। उस समय किसी शिकायत की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमन, मैंने उस दिन सदन में लिखकर प्रश्न नहीं उठाया था। इसके विपरीत किया था। एक प्रस्ताव किया था। कृपा कर उसको सदन के सामने पढ़ दिया जाय। मैंने प्रस्ताव किया है, प्रश्न नहीं किया है। मैंने प्रस्ताव किया। "यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा"। मैंने शिकायत नहीं की। उस पर ध्यान दिया जाय कि मैंने अपने प्रस्ताव की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। अब आप नियम नम्बर ६४ को देखें। वह है सदस्य द्वारा शिकायत---इस पर अप्लाई नहीं करता। शिकायत नहीं है---"जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सचिव को लिखित सूचना दें गे।" किसी ने नहीं दी। "यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ सलग्न की जायेगी"।

"ग्राह्यता की शर्तें---(१) ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों से नियंत्रित होगी.." यहां वह प्रश्न नहीं है, बल्कि एक सूचना दी गयी कि सदन के समक्ष यह हुआ है। तो यह नियम ६४ अप्लाई नहीं करता, ६५ अप्लाई नहीं करता। ६६ में शिकायत का प्रस्तुत किया जाना है, जो कि नियम ६३ के १, २, ३, ४, में है जो कि ६४ में आती है और जिसकी ६५ में ग्राह्यता होती है। फिर उसके बाद ६७ है---"विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न पर सदन द्वारा विचार"। तो मेरा "प्रश्न" नहीं है, प्रश्न का कोई प्रश्न नहीं है, यह सूचना है, मेरा प्रस्ताव है---उस अवमान के संबंध में जो कि सदन के समक्ष हुआ और उस पर जो प्रोवीजो है वह अप्लाई करता है। इसी तरह ६८ नहीं, ६९ नहीं, ७० भी नहीं कि उस को स्वीकार कर लिया जाय तो प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजें। अब आप ७१ पर आ जायें---"उस दशा को छोड़ कर जबकि विशेषाधिकार को अवहेलना अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष किया गया हो, सदन कोई आदेश देने के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये गये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषता-सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर देगा..."। तो इसमें है "उस दशा को छोड़ कर जब कि सदन के समक्ष अवमान हुआ है," उसमें वह प्रोवाइजो ही लागू होगा और उससे ही गायडेड है जो कि नियम ६३ का है, उसके बाद में ७१ में है "स्पष्टीकरण देने के लिये या निर्दोषता सिद्धि के लिये अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर प्रदान किया जाय"।

मान्यवर, मुझे इस सम्बन्ध में एक ही चीज निवेदन करनी है कि स प्रकार की परिस्थिति में क्या कानून अपने को बिलकुल विवश पाये---यह जो कानून और प्रक्रिया नियमावली है वह अपंग पाये अपने को? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अवमान हो उस का हो, निरंतर नारे लगाये जा', यह कोशिश की जाय कि यहां पर विधान या कायदा न चल सके, अध्यक्ष न बैठें,

सरकार न बैठे और उसके बाद यह विधान और प्रक्रिया अपने को विवश पाये--ऐसी प्रक्रिया संसार में कभी नहीं हो सकती। २९९ का भी प्रश्न उठाया गया मेरे माननीय मित्रों द्वारा। नहीं चाहता था, लेकिन उठाया गया। उस प्रश्न पर भी दो क्रियायें हैं। एक तो वह जिसमें आप इंगित करते हैं एक जिसमें इंगित करना आवश्यक नहीं है। प्रथम है "अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उन की राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल सभा-मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे"। मान्यवर, समें यह है कि बिना इंगित किये वह अनुदेश नहीं दे सकेंगे। मुझे दुख है कि इस प्रकार की छोटी चीजें जो बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं उसके बारे में कहूं। यहां अवज्ञा हो पूरे सदन में "अध्यक्ष जायं, अध्यक्ष यह है अध्यक्ष वह है" यह लोग कहते हैं और अध्यक्ष अपने को, विवश पाकर कुर्सी पर बैठे रहें।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगावार--

मैं आचार्य जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक सदस्य या दो चार सदस्यों का उदाहरण आपने दिया, लेकिन नियमावली की प्रक्रिया में क्या कोई ऐसी धारा जिसका उल्लेख कर सकें जिसमें ऐसा उल्लेख हो कि आपको श्रीमन्, हक है कि सारे विपक्ष को बलपूर्वक एस० पी० या पुलिस के जरिये ढकेलवा कर सदन से निष्कासित करवा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मुझे बहुत दुख है कि ला की एलीमेन्ट्री चीजें मुझे कहनी पड़ेंगी। "सिंगुलर इन्क्लूड्स प्लूरल, ही इन्क्लूड्स शी और शी इन्क्यूलूड्स ही"। अगर मैं इन एलिमेन्ट्री चीजों को कहूंगा तो कहीं चौधरी साहब मुझे ला क्लासेज में नौकरी न दिलवाने के लिए कहें क्योंकि उन्हों ने एटार्नी जनरल तो बना दिया तो कहीं ऐसा न हो अब वह मुझे ला क्लासेज के लिए नौकरी करने की व्यवस्था करा दें। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि २९९ को फिर से पढ़ लें "अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य, (किसी सदस्य मीन्स सभी सदस्यों) जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो", सारी बातें श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थीं। वह सभी अवज्ञापूर्ण थे।

(व्यवधान)

श्रीमन्, २९९ का एक हिस्सा यह है कि जब सदन में अव्यवस्था हो तो श्रीमन्, व्यवस्था कायम रखेंगे और श्रीमन्, जिस सदस्य को चाहेंगे जिसको श्रीमन् ने देखा है कि शोर कर रहा है या कर रहे हैं उनके लिये आप का आदेश होगा सदन के बाहर निकालने का और यदि वह उस आदेश का पालन न करें तो उस की वह प्रक्रिया है जो हुई। मान्यवर, यही तो प्रश्न यहां उठाये ग। मेरा निश्चित रूप से विश्वास है और मैं केवल तना कहना चाहता हूं, यदि चौधरी साहब मुझसे नाराज न हों क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा कि संसार का कोई ऐसा विधान नहीं हो सकता है। श्रीमन, क्या संसार में यह विधान जरूर होना चाहिये कि जिस विधान में यहां सदन की अवज्ञा हो, कान्टेम्प्ट, वर्स्ट टाइप आफ कान्टेम्प्ट हो जैसी की सारे भारतवर्ष के सदनों के इतिहास में कभी न हुई हो वह होती रहे और ऐसा करने वालों के प्रति हम प्रस्ताव न कर सकें। मान्यवर, मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं यदि ऐसा न हो सकता हो। मान्यवर, मैं प्रश्न नहीं उठाये हैं, मैंने प्रस्ताव किये हैं। मैंने तीन प्रस्ताव रखे हैं। सही है, श्रीमन, चौधरी साहब का कहना ठीक है, सबको अपनी आंखों से देख रहे थे। एक साहब जो सबसे ज्यादा नाराज थे, नारे लगा रहे थे। मैं उनको जानता नहीं था। मैंने पूछा यह कौन साहब हैं ? एक साहब ने कहा कि इनका नाम

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

बसंतलाल है, मैंने लिख लिया। उसमें गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिये। लेकिन इसमें बदनीयती या बेईमानी की बात नहीं थी। मैं उन्हें अब भी पहचान सकता हूं। लेकिन उनका नाम नहीं जानता था। इसलिये मैंने पूछा और नाम मुझे बतलाया मैंने लिख दिया। बाद में पता लगा कि यह नाम नहीं है। मैं यह नहीं चाहता था कि मैं भागूं और पता लगाऊं कि कौन साहब हैं और पकड़ कर लाऊं, यह मैं नहीं करना चाहता था। चौधरी साहब ने शिकायत की कि बाद नाम जोड़े गये। जोड़े नहीं गये। जब प्रस्ताव बन रहा था तो दो नाम, यदि श्रीमन् यकीन करें, दूसरे कागज पर लिखे हुये थे। वे नाम उस समय रह गये जिनको बाद में जोड़ दिया गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में जिक्र करेंगे, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया यहां अपनायी गयी वह वैधानिक थी, उचित थी और नियमानुकूल थी। कोई प्रक्रिया संसार में ऐसी नहीं हो सकती जो इन परिस्थितियों में अपने को विवश पाये।

*श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं आचार्य जी द्वारा उठायी गयी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करूं, मैं श्रीमान का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिस ओर इस माननीय सदन के सदस्यों ने पहल आकृष्ट किया है। श्रीमन् जानते हैं कि कल से और आज सुबह से दोनों पक्षों की ओर से इस बात की कोशिश होती रही, विशेषकर हमारे सरकारी पक्ष के जो मित्र हैं उन्होंने यहां तक प्रयास किया कि श्रीमन् के निवास स्थान पर इकटठा करके यह बताने की कोशिश की कि जो हुआ वह भूल जाना चाहिए और आगे ऐसी बात करनी चाहिए जिससे शांति और व्यवस्था कायम रहे। श्रीमन, मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के विभाग और दिल पर क्या असर पड़ा होगा जब हमने देखा होगा कि एक तरफ तो चाय पर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ माननीय सदन पुलिस लाइन बना है, जैसे कि जिले में पुलिस लाइन होती है जहां पुलिस के लोग रहते हैं। मैं जिस वक्त सदर के दरवाजे से चला और अपने कक्ष तक पहुंचा तो केवल पुलिस ही पुलिस, पुलिस के सिवाय दूसरी चीज देखने को नहीं मिली।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपा कर शांत रहें। मैं चाहता हूं कि शांति का वातावरण बने।

श्री उदित नारायण शर्मा—

आप कहने को कह सकते हैं कि हमें क्या पता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इतना बड़ा इंतजाम कर दिया। और अगर हमने यह देखा तो क्या उधर के माननीय सदस्यों ने नहीं देखा। अगर उन्होंने भी देखा तो क्या मुनासिब नहीं था कि इस पुलिस को तुरन्त हटवाते। उनका यहां रहना जले पर नमक छिड़कने का काम है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर पीटे जायेंगे, इसमें इस बात का आश्वासन लेने की कोशिश की जा रही है कि हम शांत होकर काम करेंगे लेकिन यहां नहीं सिवाय उत्तेजना के कोई चीज नहीं मिली। हमारे उधर के माननीय सदस्यों को इस बात का ज्ञान है, मैं ऐसा नहीं समझता, कि जितना दीर्घायें हैं, जितने रास्ते हैं उन सब में पुलिस लगी हुई है।

मान लीजिये दो मिनट के वास्ते कि आप का यह ख्याल था हम लोगों में आपस में बातचीत हो रही थी। यह आवश्यक था कि हम लोग उसी के मुताबिक काम करें। श्रीमन्, विश्वास भी कोई चीज होती है। यहां पर बहुत कुछ कहा गया कि किसी तरह का कोई अव्यवहारिक कार्य नहीं हुआ। अभी भी श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा कि इस प्रकार का व्यवधान यहां पर एसेम्बली में कभी नहीं हुआ था। श्रीमन्, वह दिन आयेगा, वह दिन आज नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने प्रस्ताव रखा है कि एसेम्बली में कौन-कौन से व्यवधान हुए हैं। एसेम्बली में १० मिनट तक हल्ला मचता रहे, वह तो कोई बहुत खास बात नहीं है, मगर अगर इस सदन की निष्पक्षता में लोगों को शंका होने लगे और लोगों का विश्वास उठ जाए, तब तो डिमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी और जनतंत्र नहीं रहेगा।

एक दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां तक माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी का सम्बन्ध है, जब कभी भी वे बोलते हैं तो सबसे पहले उनको यह कहने की जरूरत पड़ती है कि "आप अपनी समझ से काम लें"। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग यह बात कन्सीड करते हैं, हम लोग इस बात को मानते हैं कि अल्ला मियां ने इस दुनिया में जितनी समझ और अक्ल थी उन्हीं को दी है और दूसरों के हिस्से में वह बची ही नहीं है। हम इसको लेकर ही बात किया करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैंने जो आज चर्चा की थी उसमें यह नहीं कहा था। (विरोधी पक्ष की ओर से "शेम शेम" की आवाजें।)

श्रीमन्, न मैंने यह बात आज कही और न कभी कही। माननीय सदस्य मेरे लिए यह कह कर कि "सारी समझ मुझ में है और किसी में नहीं है" मेरा अपमान करना चाहते हैं। तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि कृपया वे इन बातों को बढ़ायें नहीं। ये बातें उचित नहीं हैं। उन्होंने यह कह कर कि "सारी समझ मुझमें है और उनमें नहीं है" अपने को छोटा किया है।

श्री उदित नारायण—

श्रीमन्, मैंने यह इसलिए कहा कि आज भी जब माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने अपना भाषण प्रारम्भ किया था तो कहा था—

"अपनी समझ को काम में लाने की कोशिश किया करें।" एक बार फिर उन्होंने यह कहा। अब दूसरों में तो समझ नहीं है—वे क्यों नाराज हो गये।

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

चौधरी साहब तो मुस्करा रहे हैं। श्री उदित नारायण शर्मा भी मुस्करा कर बात करें तो अच्छा हो।

श्री उदित नारायण—

मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा की जो आज्ञा है वह शिरोधार्य है।

श्रीमन्, मैं उस प्रश्न के विषय में निवेदन करना चाहता था जो कि आपके सामने है। पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं कि आपके सामने दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि जो सदस्यों का यहां पर सदन में निलम्बन किया गया और सदन के अपमान की कार्यवाही हुई, उसमें जिनके खिलाफ यह कार्यवाही की गयी उन्हें अपनी स्थिति साफ करने का मौका दिया गया था या नहीं। यह तो एक प्रश्न है, और जिसके बारे में नेता विरोधी दल ने आरम्भ ही में आपके सामने सवाल रखा था। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि यह बात नहीं हुई है इसलिए उनके खिलाफ जो निलम्बन की कार्यवाही की गयी और उनको जो सजा दी गयी वह सब अनुचित है। क्या यह कहना गैर वाजबी है कि इस सम्बन्ध में अधिकारों का हनन हुआ है?

[श्री उदित नारायण]

यह जो हाउस आपके सामने है वह प्रापरली कान्स्टीटचूटेड नहीं है नेता विरोधी दल ने यह बात पहले कही थी। दूसरा प्रश्न जो हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया वह यह है कि आपने लोगों को इंगित किया या नहीं? क्या इंगित न करने के पहले उनको सजा दे दी गयी या नहीं, यह भी एक सवाल है। इस सम्बन्ध में और कौन-कौन-सी प्रक्रियाएं होनी चाहिए थीं, यह दूसरा प्रश्न है। आज दूसरे सन्दर्भ में यह प्रश्न आने वाला है, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जहां तक मुझे मालूम है हमारे माननीय नेता विरोधी दल इस प्रश्न को भी दूसरी मर्तबा आपके सामने उठाने वाले हैं। तो इंगित करने की जो प्रक्रिया होनी चाहिये थी उसके बिना कोई कार्यवाही हुई है, वह अवैधानिक है और इसलिये एक्सपंज होनी चाहिये। यह प्रश्न अभी हमारे नेता जी उठायेंगे। यह पहली कड़ी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को अपनी-अपनी सफाई देने का अधिकार है या नहीं? यही एक प्रश्न है। श्रीमन्, आज तक जितना भी इन्सान का ज्ञान और अनुभव है उसमें आप देख लें कि आदमी को बिना उससे पूछे हुए, बिना उसको मौका दिये हुए सजा नहीं दी जा सकती है यह एक आधारभूत सिद्धान्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि नियमों में ऐसा नहीं है। मैं श्रीमन् से निवेदन करूंगा कि आज के युग में इन्सान का ज्ञान जब इतना परिपक्व हो गया है तो ऐसे नियम न बनाये जायं कि अपराधी को दंड देने की व्यवस्था की जाय लेकिन जवाब तलब करने की व्यवस्था न हो। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसके जो तीन नियम हैं वह यहां पर बहुत रिलीवेंट होंगे। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह अर्ज कर दूं कि माननीय आचार्य जी ने पहले तो इस बात का जिक्र किया लेकिन फिर उसके ब्योर में न जाकर उसको स्किप ओवर कर गये। दो बातें कहनी हैं। पहली बात तो यह है कि जो प्रस्ताव लाया गया वह बिना आपकी सम्मति के लाया गया इसलिये यह अवैधानिक था। दूसरे जिस प्रस्ताव के मातहत सजा दी गई, लोगों को बिना मौका दिये और अपनी बात कहे हुए, वह अवैधानिक हुआ।

पहली बात के सिलसिले में जो पढ़ा और श्रीमन् ने उस दिन की प्रोसीडिंग्स में नियमों की जो प्रक्रिया सुनाई है, तो श्रीमन् वह सदन के गैर सम्मति से और बिना किसी स्वीकृति के हुआ है। इसके अर्थ यह होते हैं कि सम्मति की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसमें कहा गया है कि श्रीमन् सम्मति की आवश्यकता है, भले ही वह अपराध सदन के समक्ष हुआ हो। पहली बात तो निर्विवाद हो जायगी कि श्रीमन् की सम्मति नहीं ली गई। श्रीमन्, शायद आपकी आज्ञा इसलिये नहीं ली गई कि जो नियम पढ़े गये वह गलत पढ़े गये और जो प्रक्रिया सुनाई जा रही थी उसके अनुसार आदेश हो रहे थे। तो इस कारण उस रोज की कार्यवाही अवैधानिक हुई।

श्रीमन्, ग्राह्य की शर्तों में दो बातों में बड़ा सूक्ष्म अन्तर निकालने की बात है। पहली तो यह कि "शिकायत" और "सूचना"। एक तो तर्क यह निकाला कि शिकायत और सूचना में फर्क है और दूसरा यह निकाला कि "प्रस्ताव" और "शिकायत" आपने यह कहा कि मैंने यह प्रस्ताव किया, तो शिकायत तो नहीं की।

श्रीमन्, यह नियम जो ६५ है उसमें ऊपर तो यह दे दिया है कि इतनी-इतनी शर्तें हैं जिनके मातहत अवमान का प्रश्न उठाया जा सकता है। श्रीमन्, अवमान का प्रश्न उठाने और अवमान का प्रस्ताव उठाने में कोई अन्तर नहीं किया जा सकता। शाब्दिक जाल चाहे जितना करने की कोशिश करें लेकिन कोई अन्तर नहीं है। सूचना होगी तब भी प्रश्न होगा कि अवमान हुआ है और प्रश्न होगा तब भी यही होगा। अगर मैं श्रीमान को सूचना दूं तो श्रीमन् यही कहेंगे कि प्रश्न यह है कि सदन का अवमान हुआ है या नहीं। यह तो अपनी-अपनी भाषा है चाहे जैसे कह दें। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऊपर तो चारों चीजें दे दी गयी हैं और नियम ६५ में ग्राह्यता की शर्तें हैं और यह सबके लिए लागू होंगी। इन शर्तों के मुताबिक आप कहेंगे कि अवमान के प्रस्ताव को आरम्भ करेंगे। यहां पर उसके पहले यह देखेंगे कि वास्तव में में

कोई ग्राह्यता है या नहीं और इसके पहले सम्बन्धित व्यक्ति को आप मौका देंगे कि कुछ कहना चाहे तो कहें ताकि आप फैसला कर सकें कि इसमें ग्राह्यता है या नहीं।

दूसरी बात यह है कि नियम ६८ को देखें। यह भी हो सकता है कि मेरी गलती हो लेकिन मैं माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी की बात मानने को तैयार हूं। नियम ७१ में वह आवश्यक नहीं है। नियम ७१ में आरम्भ में ही लिख दिया है कि यदि सदन के समक्ष यह बात हुई थी तो उस वक्त मौका देना आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। श्रीमन् जानते हैं कि जब हम किसी आदमी को सजा देते हैं तो दो-तीन बातें होती हैं। मैं नियमों से बताऊंगा और वैसे भी जो साधारण नियम हैं किसी आदमी को सजा देने का, डिपार्टमेंटल सजा भी दी जाती है तो एक तो पहले देखा जाता है कि प्राइमा-फेसी केस है या नहीं।

प्राइमा-फेसी केस होता है तो पहले नोटिस दी जाती है कि क्यों न कार्यवाही आरम्भ की जाय। जब कार्यवाही आरम्भ हो जाती है तो उसे सफाई का मौका दिया जाता है लेकिन जब अन्त में दण्ड का समय आता है तो फिर मौका दिया जाता है कि आप बताएं दण्ड क्यों न दिया जाय। तो ७१ तो वहां पर है जब आपने यह तय कर लिया कि इनको दंड देना है तो अगर कार्यवाही आपके समक्ष हुई है तब तो यह जरूरी नहीं है लेकिन अगर प्रिविलेज कमेटी में हुई है या दूसरी जगह हुई है तो उस वक्त यह आवश्यक है कि आप इस बात का मौका दें कि जो कुछ कहना चाहें कहें। अब ६८ को ले लें, श्रीमन्, लेकिन उससे पहले ६७ भी पढ़ लें ६७ में यह लिखा है कि यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तारण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाये। मैंने यह इसलिए पढ़ा कि इन शब्दों को पढ़ कर ही यह साबित हो जायगा कि सूचना, प्रश्न और प्रस्ताव में कोई अन्तर नहीं है। मैं फिर पढ़े देता हूं। यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है। तो पहले "सूचना" कहा। आगे लिखा है कि यह प्रस्ताव किया जा सकेगा। तो यह "प्रस्ताव" उसी सूचना का प्रस्ताव है। फिर आगे लिखा है कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाये। तो श्रीमन्, वही "प्रश्न" भी बनेगा तो आचार्य जी ने जो अन्तर निकालने की कोशिश है कि सूचना, प्रस्ताव और प्रश्न अलग-अलग है और सबकी प्रक्रिया अलग-अलग है, ऐसा नहीं है। ऐसा कतई नहीं है कि नियम ६७ इस बात को सिद्ध कर देगा।

श्रीमन्, नियम ६८ देखें, वह इस प्रकार है---सदन के समक्ष शिकायत का निस्तारण--- "यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निस्तारणार्थ लाया जाना निश्चित हो जाये तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायेगी और उनको स्पष्टीकरण तथा निर्दोषिता सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा तत्सम्बन्धी लेख्य या लेख्यों के निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।"

श्रीमन्, उस दिन जो घटना हुई उसके आकार को देख कर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि उसके लिये कुछ दूसरे ही नियम लागू होने चाहिये। श्रीमन्, आपकी इस नियमावली में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि घटना के आकार के कारण प्रक्रिया में अन्तर पड़ जायेगा। यह तो हमको अपने रास्ते से अलग ले जाने के लिये हमारे मन को डिक्टेट करने के लिये यह कहा जा रहा है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया इस नियम ६८ का अवलोकन करें। उसमें यह नहीं है कि आप उनको मौका नहीं देंगे। यह सब इसलिये किया जाता है कि सदन में व्यवस्था रहे। अव्यवस्था करने वाले जब सदन के बाहर चले गये तो फिर तो यहां व्यवस्था ही व्यवस्था है। इसलिये उस वक्त उनके खिलाफ, जब कि वे बाहर चले गये, आप कोई कार्यवाही करें या न करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर एक दो रोज के लिये ठहर जाते तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं था। जब वे बाहर चले गये तब कोई अव्यवस्था होने का प्रश्न यहां पर

[श्री उदित नारायण]

रह ही नहीं जाता। जब वे यहां पर थे नहीं तो आप सूचना किसको देते, जवाब तलब किससे करते, आप यह कह सकते हैं, पर यह सब दूसरे दिन तो आप कर सकते थे। दूसरे दिन आप सारी कार्यवाही कर सकते थे उनके खिलाफ़। मैं यह निवेदन करूंगा कि उस दिन जो कार्यवाही आपने की, जाने में की या अनजाने में की, उसके पहले आपके सामने यह सारी बातें नहीं रखी गयीं। इन बातों को जब आप देखेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह निलम्बन की कार्यवाही सही नहीं की गयी है।

मैं एक मिनट और लूंगा। निसन्देह यह सदन बहुमत के आधार पर चलता है। लेकिन यहां पर जो चर्चा और विवाद होता है उसका भी कुछ असर होता है। यह भी हो सकता है कि अल्पमत के द्वारा कही हुई बात ठीक हो और उसे स्वीकार किया जाता है। जिस कुर्सी पर आप आसीन हैं उसको यह भी अधिकार है कि जो बात ४२५ माननीय सदस्यों द्वारा कही जा रही हो इसको आप कह दें कि यह गलत है, और जो बात एक माननीय सदस्य कहे उसे आप सही घोषित कर दें। तो इसलिये श्रीमन्, इन दोनों सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है। एक आधारभूत सिद्धान्त बहुमत के आधार पर या जोर पर यह नहीं कर दिया जा सकता कि यह सही है या गलत है। वह एक तर्क, बुद्धि और आज तक का जो अनुभव है, जो कान्वेन्शन्स हैं, उनके आधार पर ही किया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो आपके सामने यहां पर प्रश्न उठाया था, प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाया था, उसको श्रीमान् स्वीकार करें और यह फ़ैसला दें कि वास्तव में उस रोज यह बात नहीं हुई और उनका निलम्बन सही नहीं हुआ और उनको निरस्त कर दिया जायेगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहने के पहले सभी माननीय सदस्यों से बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा.....

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे कहा कि मैं आपको समय दूंगा, परन्तु आप समय नहीं दे रहे हैं। मुझ ही पर यह बीती कहानी है पर आप औरों को बुलवाते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद आपका ही नम्बर है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा कि वातावरण बड़ा सरचार्ज्ड है और ऐसे सरचार्ज्ड वातावरण में हम लोग बड़ी शान्ति और धैर्य से एक दूसरे की बात सुनें। इसमें आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। इस समय क्रोध और रोष की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे बड़ा दुःख हुआ कि माननीय शर्मा जी ने आचार्य जी से कुछ विनोद किया। उन जैसा पार्लियामेन्टेरियन तुरन्त रोष में आकर रक्त वर्ण मुंह लेकर कहना शुरू करे, इसका मुझ दुःख हुआ। जनतंत्र में आप कुछ कहें तो सुनने की भी पात्रता चाहिये। मुझे एक फ्रेंच कहावत याद आती है, "La Petite Sand Son lic."

(व्यवधान)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ़ आर्डर है। आपका और मेरा रंग ऐसा है कि अगर रोष भी आ जायेगा तो पता नहीं चलने का.....

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

सावन का महीना खत्म हो गया है और भादों भी लग गया है। एक स्थान की गालियां भी प्रिय होती है। इस से अधिक मैं नहीं कहना चाहता।

इस एटीटयूड से जनतंत्र नहीं चलेगा। माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है उस पर आपको निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा अपना ऐसा मत है कि जब परसों आपने सारे विरोधी दल को निकाल दिया तो सदन रह ही नहीं गया। आखिर यह सदन क्या है? सरकार ही सदन नहीं है। श्रीमन् भी अकेले सदन नहीं हैं और विरोधी पक्ष भी अकेले सदन नहीं है। ये तीनों मिल कर ही सदन हैं। इस पर विट्ठल भाई पटेल की रूलिंग, जो बहुत पुरानी है, आज भी उपस्थित है। वह रूलिंग काटी नहीं गई। यद्यपि आचार्य जी समझ-बूझ के विश्वासी हैं, लेकिन समझ कर काम नहीं करते। पुस्तक का पन्ना भी कोट कर दूं। शायद पढ़ने के बाद समझ आ जाये।

स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल की आत्म-कथा पृष्ठ संख्या ७१६ में यह रूलिंग आई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, 'जब सदन का एकमत, एक पक्ष चला गया बाहर, तब यह सदन नहीं रह गया और जब सदन ही नहीं रह गया तो उस सदन की कोई भी कार्यवाही अबैध है। मैं तो आपके सामने यह प्रश्न रखने जा रहा हूं कि आप विचार करें कि परसों जब आपने सारे विरोध पक्ष को निकाल दिया तो सदन ही समाप्त हो गया, और जब सदन ही नहीं था तो उस समय किसी के दंड का प्रस्ताव लाया जाना और उस प्रस्ताव का पारित होना ही इल्लीगल है। दूसरा पक्ष, अध्यक्ष महोदय, उसका नैतिकता का है। क्या हम सारी कानूनी कार्यवाही 'टु दि लेटर आफ़ दि ला' करते हैं? क्या निर्जीव कानून को लेकर जनतंत्र चल सकता है? जिस कानून में मानवीय भावनाओं का समावेश न हो, जहां नियमों के साथ मानव भावनाओं का खयाल ही न हो वहां डिक्टेटरी तरीके से या कानूनों की आड़ लेकर जनतंत्र चल नहीं सकता और अगर उसको चलाने की इस तरह से कोशिश की गई तो वह जनतन्त्र न रह कर एक निकृष्ट किस्म की डिक्टेटरशिप बन जाती है।

इस सारी घटना के पीछे क्या भावनायें थीं उनमें मैं नहीं जाता, वह चीज सदन में आयेगी तो उस पर विचार होगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष ने क्या उन भावनाओं का आदर किया? मान लिया कि आप का यहां पूर्ण बहुमत है ठीक है, अगर है तभी तो आपने प्रस्ताव पास करा लिया। अभी आचार्य जी ने कहा कि सदन इतना निर्जीव हो जाता है और तमाम गड़बड़ के होते हुये सदन कुछ नहीं कर सका। मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा कि सन् १७८१ से १९२० तक हाउस आफ़ कामन्स में, जहां की मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस यहां रोज पढ़ी जाती है, वहां पर जो आइरिश मेम्बर्स ने कहा और किया उसका दशमांश भी यहां नहीं हुआ? क्या वहां कभी पुलिस आई, कोई सेना वहां बुलाई गई? उस सेचुएशन को मीट करने के लिये उन्होंने कानून में कांगरू और गिलोटीन के नियम बनाये और नाना प्रकार की चीजें लाई, लेकिन इस तरह से सत्ता का नग्न प्रदर्शन वहां कभी नहीं हुआ। नग्न शक्ति का प्रदर्शन नहीं होना था, इस तरह आपके नियंत्रण पर सदन में नहीं होना था। लेकिन अभी पुलिस तो आपके निमंत्रण पर आयी है, अगर यही रवैया रहा तो एक दिन वह अपनी इच्छा से भी आयेगी और यहां बंगाल भी दोहराया जायगा और वह चाहे यहां गुप्ता जी बैठे हों, चाहे चरण सिंह बैठे हों या कमलापति जी बैठे हों वह बगैर किसी लिहाज के सब के सिर पर बूट की ठोकर स्वच्छन्दतापूर्वक लगायेगी।

आप नैतिकता के पक्ष पर विचार करें। आखिर क्या सारे विरोधी दल की भावनाओं को कुचलकर, नग्न शक्ति के बल पर सदन या जनतंत्र चल सकेगा? मुझे आचार्य जी क्षमा करें, उन्हें शायद याद न हो मैं उन्हें याद दिला दूं। उस दिन का दृश्य ऐसा ही था जिस तरह से सन् ३३ में मैंने जर्मनी में देखा था। मैं अपना सौभाग्य ही कहूंगा कि सन् ३३ में २ मास के लिये

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे]

मुझे जर्मनी में रहने का अवसर मिला था। मैंने वहां पर दृश्य देखा कि हिटलर को अपना एमर्जेन्सी पावर्स बिल पास कराने के लिये Kroll अपरा हाउस में जब वहां Reichstag की मीटिंग हो रही थी, और वहां पर हिटलर माइनारिटी में था, लेकिन उसने S. S. Storm Troops को बुलवाकर हाउस से सारे विरोधी पक्ष को पकड़ कर बाहर फिकवा दिया और इस तरह से जबरदस्ती एमर्जेन्सी पावर्स बिल पास करा लिया। लेकिन आपने इस सबका नतीजा देखा कि अन्त में जर्मनी का विनाश हो गया। उस हिटलर की जबर्दस्ती में और परसों की यहां की घटना में क्या अन्तर है? Police की तरफ से क्या माननीय विकल जी को कहा गया, वह अभी आप को बतायेंगे, उनसे कहा गया कि यदि आपको बैठना है तो आकर कांग्रेस पक्ष में बैठो वर्ना बाहर निकल जाओ। मेरी यह सूचना माननीय विकल जी के मुंह से सुनी हुई है, वह आपको स्वयं भी बता देंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि हम आप कहां जा रहे हैं? क्या आप इस तरह से जनतंत्र की कब्र नहीं खोद रहे हैं? अगर इस तरह से सारी नैतिकता को अवहेलना कर के कानून और नियमों का इन्टरप्रिटेशन किया गया और इस तरह के प्रीसिडेंस बनते गये तो कल जब आप भी इधर बैठेंगे, क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं है कि आप सदा उधर ही बैठे रहें आप इधर भी आ सकते हैं, अगर इसी तरह से तानाशाह मनोवृत्ति को अपनाया गया तो केवल बूट ही नहीं बल्कि आपको बैनेट का भी सामना करना होगा और फिर रोने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है गुप्ता जी से भी और श्रीमन्, आप से भी---कहना चाहता हूं कि आदमी जब वयोवृद्ध हो जाता है तो उसका खून ठंडा हो जाता है लेकिन यहां तो आपका खून १८० डिग्री से भी ऊपर रहता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रिसीडेंस ऐसे यहां न बनाये जो नैतिकता विहीन हों, नहीं तो आप इस तरह का रास्ता खोलेंगे तो खतरा भयानक खड़ा होगा। कि : गाड़ी सम्भाले नहीं सम्भलेगी।

तीसरा पहलू अन्त में अता है कि परसों जो कार्यवाही हुई वह नियमित हुई कि नहीं? लेकिन यह अन्तिम पहलू है इस पर भी आपको विचार करना होगा कि परसों सदन था या नहीं था। क्योंकि जब आपने एक बड़े पक्ष को निकाल दिया तो सदन नहीं रह गया, यह मेरा अपना स्पष्ट मत है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक बात आपसे मैं निवेदन करता हूं और इस बातको मैं मान लेता हूं कि कानून के मत से भले ही आपको अधिकार है कि आप लोगों को सदन से निकाल सकते हैं, इंगित कर सकते हैं, यह ठीक है, लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यह कहां की नैतिकता है, कहां की नीति है, वह कौन सा दर्शन है कि आप एक समूह के समूह को निकाल बाहर करें। यह चीज मैं समझ नहीं पाया। किसी को इन्डिविजुअली निकालने का या इंगित करने का आपको पूर्ण अधिकार है। लेकिन कलेक्टिवली निकालना जब इस तरह की चीज कहीं हुई हो, यह मुझे नहीं मालूम Collective guilt इसका सिद्धान्त माना जाता है cho chen Jujist Republic में एक आदमी ने गलती की और सारे लोगों का एक साथ Punish किया गया अखिर यह कौन सी नैतिकता है, कौन सा नियम है, इस पर आप विचार करें। क्योंकि सारी घटना इस सदन में हुई वह कोई बड़ी शोभा की वस्तु नहीं है।

जब हम लोग इस बात को मानते हैं कि इस तरह की चीजों से हमारी शोभा बढ़ती नहीं है तो घटना पर विचार तर्क के आधार पर और निष्पक्ष व्यक्तिगत आधार पर होना चाहिये, क्योंकि इसका भावी परिणाम क्या होगा, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन मेरी समझ में जो इसका भावी परिणाम होगा वह खतरे से भरा हुआ है। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप जो भी निर्णय लें, न दोनों पहलुओं को सामने रखें उस दिन सदन था या नहीं था और नैतिकता का तकाजा क्या है। और कानून के तराजू पर इसका भावी परिणाम क्या होगा, जनतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी या जनतंत्र की जड़ें खोखली होंगी। इन तीनों बातों को ध्यान में रख कर ही आप निर्णय लें। एक चीज आचार्य जी से मैं और कहना चाहता हूं कि

कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि यह सदन है या नहीं है, इसका कोई उत्तर माननीय लक्ष्मीरमण जी ने नहीं दिया, मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करके आप अपना मत सदन के समक्ष रखें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि परसों की सारी प्रोसीडिंग्स को आप रद्द कर दें।

*श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, मैं गत दो दिनों से इस सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से देखता रहा। मुझे पूरा विश्वास था कि सरकारी पक्ष की तरफ से पुलिस को बुला कर सदन में जो निन्दनीय कार्यवाही की गयी उसके लिये उधर के माननीय सदस्य पश्चाताप प्रकट करेंगे। इस सदन में सदस्यों के निलम्बित किये जाने के ऊपर श्री बिट्ठल भाई पटेल के जमाने के उदाहरण दिये गये। लेकिन सदन में जो सदस्य गैरहाजिर थे उनके लिये निलम्बन का जो प्रस्ताव लाया गया वह अशोभनीय है, जनतंत्र विरोधी है और सदन के अन्दर माननीय सदस्यों को जो चोटें लगीं, उसके लिये किसी मंत्री ने कोई पश्चाताप प्रकट नहीं किया। इस सदन में जब श्री लक्ष्मीरमण जी माननीय सदस्यों के निलम्बन का प्रस्ताव लाये तो केवल श्री रावत जी ने खड़े होकर कहा कि इसमें इतनी गर्मी आने दो। इसी तरह से दुर्योधन की सभा में भी हुआ था कि नीति की बात कहने वाला कोई नहीं था। यहां भी दुर्योधन की सभा का दृश्य उपस्थित था कि उधर से पुलिस द्वारा जनतंत्र की हत्या इस सदन में की गयी और सब लोग बैठे खामोश देखते रहे, तो इस पर भी आपको विचार करना है। बावजूद इसके जब पुलिस मेरे पास आयी तो मैंने कहा था कि मैं तो कल भी शान्त था और आज भी शान्त हूं। तब उन्होंने मुझ से कहा कि अगर सदन में बैठना है तो आप उधर बैठिये। मैंने उनसे यह भी कहा कि आप कोई लिखित आज्ञा लाइये। तब ये नेता सदन के पास जाते हैं, और न मालूम क्या बात उनसे हुयी, दुबारा फिर मेरे पास आते हैं। मैं तब भी नहीं गया। फिर मेरे पास मार्शल आते हैं। मैंने उनसे भी कहा कि मैं शांत बैठा हूं।

दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि अगर मेम्बर शांत बैठा हुआ हो तो उसे खींच कर बाहर ले जायें फिर पुलिस के सिपाही आये। उन्होंने हाथापाई भी की। मेरे साथ माननीय भानु प्रताप सिंह जी भी बैठे थे जो बाहर से आये थे। उनको भी जब पकड़ कर खींचा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर था, मुझे तो पता नहीं कि कल सदन में क्या हुआ। लेकिन उनकी भी एक बात नहीं मानी गयी। माननीय धर्म सिंह जी ने भी उस दिन कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की थी कि उनका निलम्बन होता लेकिन चूंकि वह विभाजन का प्रश्न माननीय धर्म सिंह जी ने उठाया था इसलिये उनका भी निलम्बन कर दिया गया। उस समय धर्म सिंह जी बिलकुल खामोश बैठे हुये थे। उनका अगर कोई कसूर था तो यह था कि उन्होंने विभाजन की मांग को प्रस्तुत किया था। यही नहीं, हमारे पीछे बैठे हुए माननीय रियासत हुसैन को भी खींचा गया। मेरे पीछे जो कम्युनिस्ट सदस्य बैठे थे उन्हें भी खींचा गया। हम सब लोग किनारे पर बैठे हुये थे। हमने कहा कि हम शांति से बैठे हैं लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं माना। मैंने उनसे कहा कि आप अध्यक्ष का आर्डर लाइये, माननीय नेता सदन का आर्डर लाइये लेकिन आपके आदेश के बिना पुलिस ने सदन में कार्यवाही की। मुझे तो विवश होकर कहना पड़ता है कि इस देश और प्रदेश में जनतंत्र नहीं है।

मैं माननीय आचार्य जी से कहना चाहता हूं कि आप अदालत को गुमराह कर सकते हैं, अपराधियों को अदालत से छुड़वा सकते हैं लेकिन जनता की अदालत को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। मुझे श्रीमन, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस दिन से आपने सदन में कहा कि मैं कुछ होशियार वकीलों को बुलवाना चाहता हूं तो हमारी तरफ से माननीय उदित नारायण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

और उधर से आचार्य जी अपने को होशियार वकील समझने लगे और ये दोनों ही अक्सर बोलने लगे । हमेशा उन्होंने तथ्यों को छिपाया है । उनके छिपाने से ही आज सदन में दुर्व्यवस्था आ रही है । श्रीमन्, मेरा १९५२ से तजुर्बा है । सरकार में जाकर मेरा स्वभाव कुछ बदल गया है । मैंने अभी तक एक बार भी वाक आउट नहीं किया है । मैंने सदन भी नहीं छोड़ा, मैंने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता की आज्ञा के खिलाफ कभी बोलने की भी कोशिश नहीं की लेकिन मुझसे भी पुलिस द्वारा सदन छुड़वाया गया । तो मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य जी, आप तो कानून के पंडित हैं, आपने एक चुनौती दी है । मैं उसका स्वागत करता हूं । यह जनता का न्यायालय है । मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि आप इस सदन में बैठने के लायक नहीं है । मैं चाहूंगा कि आप अपना त्याग-पत्र दे दें । अगर यह जीत कर आ जायें तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा ।

सच्चाई दूसरी चीज है । अगर जनतंत्र में आपका विश्वास है तो आपको सच्चाई से कार्य करना चाहिये । आज हर गैलरी में पुलिस रोक रही है और आप जनता के हिमायती बने बैठे हैं । हम तो छोटी मछली हैं । याद रखें नेता सदन कि जब छोटी मछली को मारा गया और जब छोटी मछली को उस कांटे में लगा कर छोड़ा गया तो छोटी मछली ने बड़ी मछली से कहा कि तेरे खातिर तो मैं मारी गयी लेकिन तेरे लिये भी शिकारी खड़ा हुआ है । परसों पुलिस के द्वारा सारा विरोधी दल इस सदन से निकाला गया उसे देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब इस देश में फौजी शासन होगा । आप इस देश को उस तरफ लिये जा रहे हैं हम तो छोटी मछली हैं । लेकिन आप जो बड़ी मछली हैं वह भी नहीं बचेंगे । पुलिस के पहरे में, पुलिस की एक लाइन लगा कर हमको खींचा गया ।

राष्ट्रपति के चुनाव पर उप मुख्य मंत्री की अन्तरात्मा की आवाज ने उनका साथ दिया लेकिन जब इस सदन में पुलिस ने विरोधी दल के सदस्यों को घसीट-घसीट कर सदन के बाहर किया तब उनकी अन्तरात्मा की आवाज नहीं उठी । कुर्सी के लिये उठती है, न्याय के लिये नहीं उठती है । उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि २५ तारीख को कोई व्यवधान नहीं था, आपने सदन को क्यों स्थगित किया । जब पुलिस सदस्यों को खींच रही थी तब सदन स्थगित नहीं हुआ और अध्यक्ष महोदय उस सारे कुकर्म को आंखों से देखते रहे लेकिन २५ तारीख को विभाजन की घंटी के बाद कोई व्यवधान नहीं था तो अध्यक्ष महोदय आपने सदन स्थगित कर दिया ? पुलिस सदन से सदस्यों को खींचती रही और खींच कर जब बाहर कर दिया तो आप निलम्बन का प्रस्ताव पास कराते हैं और हमारे माननीय सरकारी सदस्य आचार्य जी प्रस्ताव पेश करते हैं । चोरी और सीनाजोरी दोनों बातें नहीं चल सकतीं । अपराध भी करो और दंड भी दो । इस तरह से ज्यादा दिन आप कुर्सियों पर नहीं रह सकते क्योंकि जालिम ज्यादा दिनों कुर्सी पर नहीं रह सकता जुल्म करके कोई जनतंत्र में कुर्सी पर नहीं रह सकता ।

आपको तजुर्बा है । ७, ८ महीने पहले इस लखनऊ में क्या हालत थी । माननीय गुप्ता जी, आज फिर वही प्रक्रिया हो रही है । फिर हमको और आपको मुश्किल होगी । जनतंत्र दूसरों के हाथ में होगा । पिछले दो दिन की कार्यवाही पर कुछ पश्चाताप, कुछ थोड़ा सा खेद प्रकट किया गया होगा, लेकिन नहीं किया गया । यही नहीं इस, सदन में सब लोग इस बात को देखते रहे । यह वैधानिक प्रश्न इस सदन में उठता है कि उपाध्यक्ष सही बोलते हैं या अध्यक्ष । इस सदन में एक नई घटना घटित हुई । बंगाल में सदन के अन्दर पुलिस आ गयी केन्द्रीय सरकार बहुत क्रोधित हुई कि वहां पुलिस का आना बहुत खराब था लेकिन इस सदन में पुलिस बुलाई गयी तो केन्द्रीय सरकार खामोश । केन्द्रीय सरकार में गृह मंत्री, प्रधान मंत्री जनतंत्र की दुहाई दे रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि पुलिस बंगाल में बुलायी गई, वहां तो खुद आई लेकिन यहां तो नेता सदन ने बुलाया और जनतंत्र की हत्या की । उत्तर प्रदेश के सदन में पुलिस बुलाई गयी क्योंकि उनका बहुमत बैठा है, लिहाजा वह निपट लेगा, इसलिये केन्द्र के लोग खामोश बैठे रहे

मैं केन्द्र और यहां दोनों सरकारों से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश में जनतंत्र की हत्या की है, जनतंत्र से विश्वास खोया है और मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन वैधानिक रूप से गठित नहीं है।

मैं अध्यक्ष महोदय से भी कहना चाहता हूं कि उनके कार्य से भी हर सदस्य क्षुब्ध है कि वे यहां बैठे रहें और यह सब वह रोक नहीं पाये। चाहे आपकी कोई कमजोरी हो, वह चाहे अवस्था की हो अथवा बिमारी लेकिन जुल्म तो आप भी देखते रहे। यह कुर्सी उस वक्त के लिये है जो जुल्म के खिलाफ अकेली लड़े, लेकिन आप बहुमत के साथ लड़ रहे हैं। यहां पटेल तथा टंडन जी का हवाला दिया गया। जगदीश शरण जी का नाम लेकर कहा गया कि जब कांग्रेस के लोग अल्पमत में थे तो वोटिंग स्थगित की गयी उस समय बनारसी दास और बहुगुणा जी ने सदस्यों को वोटिंग में जाने से रोका था जिसको लेकर झगड़ा सदन में हो गया था, उसकी वजह से वोटिंग की कार्यवाही को जगदीश शरण जी ने स्थगित कर दिया था।

आज तो कोई झगड़ा नहीं था। उस दिन केवल इसलिये कि अल्प मत था आपका और आप निगाह डाल रहे थे कि बहुमत हुआ या नहीं, मैंने खुद देखा था, और आप बिना कुछ कहे उठ कर चले गये थे। सारा कसूर सरकार की तरफ से था और इस सदन में २६ तारीख को माइक किसने इधर के बन्द किये थे? आपत्ति हुई जब इधर के माइक बन्द हो गये थे। (व्यवधान) माइक बन्द होने पर लोगों में आवेश आया और आवेश गलत था, मैं उसका हिमायती नहीं हूं। जिस तरह का आवेश आया वह नहीं आना चाहिये था। लेकिन माइक बन्द करा देना, बुनियाद ही वह थी सारे झगड़े की। अध्यक्ष महोदय, सदन में यह तमाम घटनायें नेता सदन और आपके होते हुये होती रहीं और आज भी पुलिस के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं है। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि हमको नहीं आने दिया जा रहा। आज यहां आपकी कितनी ही पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस के पहरे में जनतंत्र के हिमायती लोग कुछ दिन के ही मेहमान हैं। जहां कांग्रेस की हिस्ट्री इस बात के लिये मशहूर है कि उसने देश को आजाद कराया वहां यह भी होगा कि देश से जनतंत्र का खात्मा कांग्रेस ने ही कराया। कांग्रेस इस बात के लिये कलंकित होगी। गांधी जी ने सही कहा था कि कांग्रेस को तोड़ दो। (व्यवधान) जब कांग्रेस ऊपर से गिर रही हो, राष्ट्रपति कांग्रेस का नहीं चुना गया, यह तो हवा है और उस हवा में पुलिस की ताकत पर अहंकार! यह ज्यादा दिन नहीं चल सकता जनता की ताकत हासिल करिये। गलतियों को मानिये। हमने देखा कि गांधी जी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गलती को मान लेते थे। तब वह महान हुये। गलती कर के वकीलों से तर्क दिला कर, सच्चाई को छिपा कर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। अब भी अगर इस सदन को सम्मानपूर्वक व्यवस्थित रूप से चलाना है तो हम फिर एक सुझाव देते हैं कि सब लोगों को बुला कर बिठाइये और गलती का पश्चाताप कीजिये तब कुछ ठीक बात होगी और अगर पुलिस और मार्शल की कार्यवाही को डिफेन्ड किया गया तो काम कैसे चलेगा? मैं तो कहता हूं कि मार्शल और पुलिस अफसरों के खिलाफ पहले कार्यवाही हो गयी होती तब आप सदन में आते वरना आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। जिस तरह से पुलिस की कार्यवाही हुई उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें तब बात करें तो सद्भावना का वातावरण हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उप मुख्य मंत्री।

श्री छांगुर—

एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये, मैं बैठ जाता हूं। कई बार मैं खड़ा हुआ। हर शख्स को बोलने का मौका मिला लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

इनको बोल लेने दीजिये, उसके बाद।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आपने किदवई साहब को पहले बोलने का मौका दिया था कि उनको बोलने का मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब उप मुख्य मंत्री जी खड़े हो गये इसलिये उनको बोल लेने दीजिये फिर उनको भी मौका दूंगा।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, आपने शायद किदवई साहब को पहले कह दिया है। अगर वे बोलना चाहें तो पहले वही बोल लें। मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री मुस्तफाकामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन् जी, शुक्रिया। मैं एक जिन्दगी को बदल के इस हाउस में आया था और इस उम्मीद से आया था कि मुझको एक मौका मिलेगा कि मैं जिस तरीके से इस प्रदेश की सेवा कर रहा हूं, उसी तरह से यहां बैठ कर सेवा करूंगा। मगर पहले दिन से मुझे यह महसूस हुआ कि बावजूद इसके कि मेरे अजीज दोस्त, जो इतने दिनों के बाद फिर पावर में आये हैं, जिम्मेदारी से काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया। मैंने देखा कि सवालात कुछ किये जाते हैं और जवाबात कुछ दिये जाते हैं। मैंने देखा कि शिकायतें की जाती हैं लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकलता। जनता का यह हक है कि वह मंत्री जी से अपनी तकलीफ को कहे, उसकी सुनवाई की जाय। लेकिन मंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारे आफीसर ने जो कुछ किया है वह ठीक किया है। आफीसर अगर जिना करता है तो भी मंत्रीजी कहते हैं कि जरा तहकीकात कर लें। कोई इज्जतवाला शख्स या कोई भी इज्जतवाली औरत कभी भी यह कहने को तैयार नहीं हो सकती कि उसके साथ जिनाह हुआ है। लेकिन अगर ऐसी बात भी मंत्री जी से कोई कहता है तो मंत्री जी कहते हैं कि वे तहकीकात करेंगे, तहकीकात कमेटी में डाल लेंगे। यह चीज मुझे बेइन्तहा तकलीफदेह हुई।

मैं कभी भी उस तरीके को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं, जो तरीका एक शराफत का तरीका है और पार्लियामेंटरी तरीका है। मुझे अक्सर आपने बोलने का मौका दिया है और अक्सर नहीं भी दिया है, लेकिन मैं फिर भी हमेशा खामोश ही रहा हूं। लेकिन २५ तारीख को इस सदन में जो वाकया हुआ उसको देखकर मुझे इन्तहा तकलीफ हुई। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेम्बरान अपनी चेयर की इस तरह से बेइज्जती भी कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा तकलीफ मुझको तब हुई जब २६ तारीख को मैं यहां आया तो सदन के दरवाजे बन्द थे। बाहर मुझको श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य जी और डाक्टर सीताराम मिले। उनके जरिए से मैं भी अन्दर दाखिल हो गया वरना मुझे अन्दर ही न आने दिया होता। लेकिन जैसे ही मैं सदन में दाखिल होता हूं और सीट पर बैठता हूं कि मुझे पुलिस मिलती है और मुझसे बाहर जाने को कहती है। मैंने कहा कि मैं तो हमेशा से चुपचाप बैठने वाला रहा हूं। मैं चेयर को यकीन दिलाता हूं जिन्दगी में मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी या किसी को जलील करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं समझता हूं कि इज्जत उसी आदमी की हो सकती है जो दूसरे लोगों की इज्जत करेगा। खाह वह स्पीकर हो खाह वह मंत्री हो, जो दूसरे की इज्जत करना नहीं जानता, उसको कोई हक नहीं है कि वह दूसरे से इज्जत का तालिब हो। श्रीमन्, मैं २६ तारीख को आकर अपनी सीट पर बैठ गया। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर एक भी शख्स मुझसे इस वक्त भी कह दे कि मैंने गुजिश्ता २ महीने में एक बार भी जबान से किसी के लिये कोई खराब लफ्ज निकाला है, कभी सदन के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ या किसी मेंबर के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी कहा है, तो मैं आज की बदतबस्ती माफी मांगने के लिये तैयार हूं।

मैं खामोशी से अपनी जगह पर बैठा हुआ था, इतने में मेरे पास मार्शल तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि आप अपोजीशन में हैं या गवर्नमेंट साइड में हैं? मैंने कहा कि मैं अपोजीशन में

हूं। इस पर वे कहते हैं कि आप बाहर चले जाइये। मैं वहां से उठता हूं, इतने में आचार्य साहब मिलते हैं और उन्होंने कहा कि किदवाई साहब आपके जाने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए। मैं फिर वापस जाता हूं। लेकिन मुझे इन्तिहाई परेशानी थी। मैंने अपनी आंखों से उस सदन की जिल्लत देखी थी जिसमें आना मैंने अपने लिये बड़ी इज्जत समझा था। मैं समझता था कि सदन में जाकर मैं कौम और मुल्क की खिदमत कर सकूंगा। उसमें देखता क्या हूं पुलिस के आदमी साथियों को, ऐसे इज्जतदार आदमियों को जैसे माननीय चरणसिंह जी, जायसवाल जी, और विकल जी वगैरा को इस तरह से निकाल रहे थे जैसे वह कोई क्रिमनल्स थे। यह देखकर बेइन्तिहाई तकलीफ की हालत में मैं माननीय गुप्ताजी की ओर गया और उनसे और त्रिपाठी जी से कहा कि यह आप क्या करवा रहे हैं, यह सदन की बरबादी आपकी नजरों के सामने हो रही है। इतने इज्जतदार लोग, जो उसी इज्जत के मुस्तहक हैं जिसके कि आप हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है और आप यह चीज कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इस पर वे कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं।

अगर मुख्य मंत्री जी या दूसरे मंत्री दूसरों की इज्जत आबरू, जान और माल को बचा नहीं सकते हैं तो उनके वास्ते यह जगह नहीं है यहां बैठे हैं। बल्कि इस सदन के बाहर उनके वास्ते जगह है। जिस वक्त दूसरों की इज्जत जाती है अगर इसकी अपील की जाय और मंत्री यह कहें कि हम इज्जत नहीं बचा सकते हैं तब मेरे लिए कोई चारा नहीं रह गया। और मैं नाउम्मीद होकर अपनी जगह पर वापस जाता हूं, चेयर की तरफ देखता हूं। उस वक्त आपकी हालत पर्दानशीन खातून की सी थी, और जिसको परदे में रखा गया था और कोई शख्स देख नहीं सकता था। है जिस तरह लोग दुलहिन को देखने के लिये बेताब होते हैं उसी तरह से मैं भी बेताब था। लेकिन आपको पुलिस वाले ऐसे घेरे हुए थे कि मैं देख नहीं सकता था। जब आपका चेहरा खुला (व्यवधान) मैं आपके सामने खड़ा हुआ तो दूसरी आफत आ गई। मार्शल फिर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अध्यक्ष का हुक्म है, आप बाहर जाइये। मैं किसी से जनाबवाला लड़ नहीं सकता हूं, किसी से गाली गलौज नहीं कर सकता हूं और न मैं यह जहमत गवारा कर सकता हूं कि कोई मुझे अपने कन्धों पर उठाये। मैं फौरन चला गया।

मैं आपसे पूछता हूं और कांग्रेसी भाइयों से पूछता हूं कि मैं चूंकि अपोजीशन में बैठता हूं तो क्या मैं इज्जत का मुस्तहक नहीं रहा? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपोजीशन में बहुत लोग हैं जो बजात खुद उसी इज्जत के मुस्तहक हैं जो मंत्री साहबान और अध्यक्ष अपने को समझते हैं। लेकिन आपके सामने सबकी जिल्लत होती है और आप बरदाश्त करते हैं। मुझे लीगेलिटी और इल्लीगेलिटी के ऊपर बहस नहीं करनी है। जब २६ आदमी एक रिजोल्यूशन के जरिये निकाल दिये गये, मैं समझता हूं और मुझे यकीन है क्योंकि मेरा कानून से ताल्लुक रहा है, जिस वक्त सारे अपोजीशन मेम्बर सदन से निकाल दिये जायं उस वक्त हाउस लीगल कांस्टीट्यूशन नहीं रहता है और उसके बाद जो कुछ हुआ है उस वक्त वह सब गलत हुआ है मुझे किसी आफिस का कोई एम्बीशन नहीं है मैं दस्तबस्ता अर्ज करूंगा कि जिस तरह से हुकूमत चल रही है, वह तरीका बहुत ही गलत है, और यह वह तरीका नहीं है जिसको गांधी जी ने, जिनके कि आप चेले हैं, बताया था।

तवारीख दुनिया में सबक देती है। इसने मुझे भी सबक दिया है। मगर तवारीख को मुमकिन है कि गुप्ता जी और उनके साथी भूल गये हों। मेरा तवारीख सब्जेक्ट था। कुछ याद है। मैं सिर्फ वह वाकया याद दिलाता हूं कि अफगानिस्तान में बच्चा सक्का पैदा हुए थे। छः महीने के अन्दर उनकी हुकूमत खत्म हो गई। बच्चे सक्के का आगाज और उसका इख्तिताम सबके आमेज है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर हुकूमत करना है तो उस तवारीखी वाकए से सबक लें और यह सोचें कि जो तरीका उन्होंने अपनाया है इस तरह से न हुकूमत चल सकती है न हुकूमत मुस्तहकम हो सकती है और न दुनिया में कोई इज्जत हो सकती है। आज वह कुर्सी पर बैठे हैं, इधर के दस आदमी उधर आ सकते हैं, इज्जत मिल सकती है अगर सच्ची सेवा की जाय। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अब भी इस २६ वाले वाकये के

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

बाद जो मेरी जिल्लत हुई, आप उसकी तलाफी करें। मैं साढ़े ग्यारह बजे आचार्य साहब और डाक्टर सीताराम साहब के साथ आया हूं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मैं वह कर ही नहीं सकता था जो यहां पर हुआ। मैं कांस्टीट्यूशनल तरीका जरूर अख्तियार करूंगा जिससे अगर आप पर मुझे भरोसा नहीं है तो आपको यहां से हटाऊं। मगर यह कहना कि जिस तरह से आप कुर्सी पर बैठे हैं, मैं एक लफ्ज आपकी शान में कहूं, मेरे वास्ते गलत होगा। मैंने न २५ को कुछ किया न २६ को कुछ किया न मैं कभी करूंगा। अगर आप वाकई इस हाऊस और इसके मेम्बरान की इज्जत के मुहाफिज हैं तो मैं तालिब हूं कि आप मेरी बेइज्जती की तलाफी करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं खुल्लमखुल्ला आपके सामने कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जैसे किदवाई साहब हैं, रामचन्द्र जी विकल हैं, या पी०एस०पी० के लीडर रियासत हुसैन साहब हैं, उनको मैंने लिख कर दे दिया है, मैं आपसे रिग्रेट एक्सप्रेस करता हूं कि आपको हटाया गया। मेरी इच्छा यह नहीं थी कि जो बाधा न डालने वाले हों उनको हटाया जाय। मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से, जो कि इस तरह से हटाये गये। मुझे नाम भेज दें तो मैं लिख कर भेज दूंगा। मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन यह ढूंढना कि कौन चिल्ला रहा है, कौन किताबें फेंक रहा है बड़ा मुश्किल था, जानना। मुझे जो घेरे हुए थे वह पुलिस वाले नहीं घेरे हुए थे, मुझे विधान सभा के जो लोग, चपरासी वगैरह हैं, वह घेरे हुए थे। मैं देख भी नहीं पाता था। जब मैंने देखा तो उस वक्त जा रहे थे। उसी वक्त मुझे अफसोस हुआ, कि किदवाई साहब क्यों जा रहे हैं? यह मालूम हुआ कि जब सब को निकालते हुए गये तो उन लोगों ने उनको भी निकाल दिया। मैं खुल्लमखुल्ला रिग्रेट एक्सप्रेस करता हूं। गलती अगर है तो मेरी है। जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं आर्डर इस तरह का न देता, जब पहचान में नहीं आ रहे हैं, जो बाधा डाल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाय, कौन-कौन डाल रहे हैं, यह उनको पता नहीं लगता था। अगर मुझसे पूछने वाले आते तो मैं जरूर कहता कि किदवाई साहब को न हटाओ क्योंकि मैं जानता था कि उन्होंने कोई भी ऐसी चीज हाउस में नहीं की। मैं रामचन्द्र विकल जी के बारे में जानता था। लेकिन बात यह थी कि मैं देख नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं बुलहिन बन गया था। बुलहिन आपने बना दिया तो मैं क्या करूं? अगर यहां किताबें आने लगें, जूते पड़ने लगें, तो सुरक्षा के लिये लोग खड़े हो जाते हैं मुझे बचाने के लिये। मैं अपनली क्षमा मांगता हूं। मुझे नाम दे दें। उनके पास मैं लिखित भेज दूंगा जिनके साथ यह हुआ है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

संसोपा के कौन से सदस्य थे जिन्होंने व्यवधान किया था, जो सारे के सारे घसीट कर निकाल दिये गये?

श्री छांगुर—

मैं आप से बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप को मौका दूंगा, पहले उन्हें बोलने दीजिए।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो कई जगह से उठाया गया कि अमुक माननीय सदस्य ने शोर नहीं मचाया, अमुक ने मचाया, तो मेरे विचार से इस को देखने के लिए यदि नेता विरोधी दल तैयार हों तो, एक कमेटी बना दी जाए, जो यह निर्णय करे कि किसने-किसने जूता फेंका और उनको आप परमानेन्टली सदन से निलम्बित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका सुझाव है, यदि नेता विरोधी दल स्वीकार कर लें, तो वह चीज हो जाएगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, कुछ ऐसी हालत पैदा हो गई है दुर्भाग्य से कि इसमें किसी प्रकार कुछ बोलना और अपनी कोई बात कहने में बड़ा भय-सा लगता है। मालूम नहीं कौन सी बात ऐसी मुंह से निकल जाए जिससे परिस्थिति और उलझ जाए और कौन-सी ऐसी बात निकल जाए जिससे माननीय सदन के किसी आदरणीय सदस्य को कुछ चोट लग जाए। बड़ा कठिन हो गया है कि कुछ कहा जाये, मेरा ईरादा तो कुछ था नहीं बोलने का चूंकि नेता विरोधी दल और नेता सदन यहां पर मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं जो आज के विवाद की ओर पहले की घटनाओं के केन्द्र बिन्दु बन गये हैं। "ब्राम्यां तृतीयो न भवामि, राजन्"। मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी पर मैं खड़ा हुआ मान्यवर, इस ईरादे से जो विकल जी ने सुझाव दिया है उसकी ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करूं उन्होंने बहुत बातें कहीं, काफ़ी आक्षेप किए और गांधी जी का नाम भी लिया। लेकिन अन्त में कुछ सुझाव दिये कि अब तक जो कुछ हुआ उस पर हम सब मिल जुल कर पश्चाताप कर लें और यह सोच लें कि ऐसी कोई परिस्थिति भविष्य में न पैदा हो जिससे कि ऐसी घटनायें घटें। तो मैं विकल जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह सुझाव दिया, मैं मान्यवर, उसी इरादे से खड़ा हुआ हूं। मुझे पता नहीं कि मेरे नेता विरोधी दल को ऐसी बात अच्छी लगेगी या नहीं, और मुझे यह भी पता नहीं कि नेता सदन को यह बात अच्छी लगे या नहीं, लेकिन मैं आपके सदन का एक साधारण सदस्य हूं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं पुराना सदस्य हूं। ३५ वर्षों से इन्हीं कुर्सियों पर चाहे इधर चाहे उधर बैठते हो गये। जो कुछ हुआ बड़ा दुखद है। मैं कानून की परिधि में जाना नहीं चाहता। क्योंकि कानून का प्रश्न जब उठाया जायगा तो कानून में ही उसका जवाब दिया जायगा। एक एक नियम की अलग-अलग अभिव्यक्तियां होती हैं वकील लोग अलग-अलग उसकी वाकालत करते हैं। मैं कोई वकील हूं नहीं। दुर्भाग्य से मुझे वकालत करने का मौका नहीं मिला, पढ़ा भी नहीं हूं। तो कानून की परिधि में मैं पड़ना नहीं चाहता और इस पक्ष और उस पक्ष के लोगों से निवेदन करूंगा कि कानून की बात न उठाई जाय।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मुझे बोलने का मौका दे दें। जो आज सदन का मुख्य विषय है, विचार का केन्द्र बिन्दु है और कमलापति त्रिपाठी जी का विषय है, उसमें ज्यादा कुछ जो अंश है वह वैधानिकता का ही है। आप उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं या नहीं, आप सदन चला सकते हैं या नहीं, २५ सदस्यों को जो निकाला गया है वह उचित है या नहीं? मैं चाहूंगा कि आज इस विषय में विशेष कर चर्चा होनी चाहिये। आपने जो कार्य सदन में किया है वह गैर-कानूनी है या वैधानिक, सही है या गलत? इस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। यह सही है कि इस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिये बजाय इसके कि इस वक्त जो भाव प्रकट किये जा रहे हैं कि आपस में शान्ति और सहचर्य के भाव हों यह भाव उचित है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं बहुत नम्रतापूर्वक और करबद्ध प्रार्थना करूंगा विरोधी दलों के नेताओं से, चौधरी साहब से और श्री नित्यानन्द जी और दुबे जी महाराज यहां पर बैठे हैं। वे कृपा करके अपने पीछे बैठने वालों को थोड़ा सा नियन्त्रण में रखें। कानून भी चलता है और नैतिकता भी चलती है लेकिन वह तभी चलते हैं जब उनका पालन दो-तरफ़ा हो। मैं यह अनुभव करता हूं कि कानून और नैतिकता की हत्या जिधर दुबे जी महाराज और दूसरे साथी बैठे हैं उधर भी हुई और इधर भी हुई यानी दो तरफ़ा हुई। मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे मन में जो बात है वह मुझे कहने का अधिकार है। कानून की जो बात है उसका जवाब तो और लोग देंगे लेकिन मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। जब कानून का प्रश्न उठाया जाता है तो उसका कानूनी ढंग से जवाब दिया जाता है और सही यह है कि कानून की भिन्न-भिन्न व्याख्या होती है, उसके भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये जाते हैं और कोर्ट उसका फैसला करता है।

आपने जो कानून का प्रश्न और व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसका फ़ैसला तो मान्यवर, आप करेंगे लेकिन उसके पहले जो मेरी राय है वह मैं आपके सामने रख दूं। जैसे अदालत में वकील बहस करते हैं और अधिकारी जज उस पर अपना निर्णय देता है, उसी तरह से श्रीमन्, आप यहां

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बैठे हैं उस पर और निर्णय दें। व्यवस्था की रक्षा और कानून की रक्षा दो-तरफ़ा होनी चाहिये। मैं २५ तारीख को सारे दिन यहां पर बैठा था। मैं २६ तारीख को भी यहां पर मौजूद था और मैंने सारा दृश्य देखा। प्रश्न केवल इतना रह गया था कि जब किसी कार्य के संबंध में विरोधी दल के मित्रों, साथियों और भाइयों के मन में संदेह हो गया आपकी नीयतपर, किसीने मांग की कि विभाजन करा दिया जाय। यहां पर जो पद्धति चल रही है, एक महीने से बजट चल रहा है उसमें यह रहा है कि जैसा आपस में कुछ समझौता हुआ था कि यदि एक मंत्री की ग्रान्ट ही एक दिन में पास होनी है तो पांच बजे वोटिंग होगा और यदि दो मंत्रियों की ग्रान्टों को पास कराना है तो ढाई बजे और पांच बजे के बीच में वोटिंग होगी, अगर विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे मन में यह था कि अगर विवाद नहीं हो ा है तो दोपहर बाद वोटिंग होगी। यह हमारी धारणा थी। लेकिन आखिर में हमारे मित्रों के मन में कुछ लालच हो गया और उनकी तरफ़ से मांग हो गयी डिवीजन की क्योंकि हमारे मित्रों ने देखा होगा कि इस वक्त हम मेजारिटी में बैठे हुये हैं। लेकिन हम मेजारिटी में बैठे हुये थे अगर वह वोटिंग की मांग कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि वोटिंग का कोई तुक तो नहीं है लेकिन हो जाने दीजिये। उधर के लोगों के ध्यान में चील झपट्टा की राजनीति रही।

चील झपट्टा राजनीति यह है कि बाजार में लोग मुट्ठी में चीज रख कर चले जा रहे हैं और ऊपर से चील ने झपट्टा मारा और हाथ में से चीज ले उड़ी। तो यही बात उस दिन हमारे मित्रों के मन में रही होगी इसलिये वह स्नैप वोट की मांग कर बैठे थे। श्रीमन् चौधरी साहब की हुकूमत में हमने भी स्नैप वोट का फ़ायदा उठाया था और उनके बिल से एक धारा ही गायब हो गई थी और हम चिल्लाये भी थे कि चौधरी साहब इस्तीफ़ा दें। स्नैप वोटिंग में इस्तीफ़ा नहीं होता है। सेंट्रल पार्लियामेंट में स्नैप वोटिंग हुआ था और हमारे यहां भी उस दिन स्नैप वोटिंग का झगड़ा था। मैं यहां पर उस दिन बैठा हुआ था, हमारे नेता सदन नहीं थे। उसकी जो प्रक्रिया थी उसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि जब यह तय हो चुका है कि ढाई बजे से पहले वोटिंग नहीं होगी तो आप १२ बजे कैसे वोटिंग कराने जा रहे हैं और उस पर आप रुक गये और आपने घंटी बजवा दी थी, दरवाजे बन्द करवा दिये थे परन्तु जब यह प्रश्न उठा तो आप रुक गये और आपने सोचा होगा कि और से भी राय ले लें क्योंकि यह आपका तरीका रहा है कि अगर एक व्यवस्था का प्रश्न होता है तो आप उसपर लोगों को घंटों बोलने देते रहते हैं जो प्रश्न एक मिनट भर में हल हो सकता है। तो आपने लोगों की राय लेना चाहा लेकिन यहां पर यह आवाजें आना शुरू हो गयीं कि प्रश्न लिया जाय और आप कांग्रेसवालों को बचा रहे हैं, सरकार को बचा रहे हैं और शोर होने लगा कि बेईमानी हो रही है। उस बीच बात को समझने के लिये आप यह कहते हुये चले कि हम १५ मिनट के लिये उठते हैं और सदन १५ मिनट के लिये स्थगित हो गया। लेकिन श्रीमन्, उस समय इतना शोर हो रहा था उन्होंने न सुना हो, मैं यह नहीं कहता कि उनका यह कहना गलत है कि आप बिना ऐडजर्न किये हुये चले गये। आपने यह कहा कि १५ मिनट के लिये हम उठते हैं और आप चले गये। आपके जाने के बाद हमारे उपाध्यक्ष जी वहां बैठ गये। मैं श्रीमन्, आपसे इस दृष्टि से वहां कहने गया कि उधर सदन बैठा हुआ है, यहां काफ़ी लोग उठ गये थे लेकिन जब उपाध्यक्ष जी वहां गये और शोर हो रहा है तो मैंने आपसे निवेदन किया कि सदन चल रहा है और वहां का वातावरण बड़ा गरम है और आप को इस समय रहना चाहिये। आप लौटकर चले आये। अब उसमें हमारे मित्रों के हृदय में उस परिस्थिति में यह संदेह हुआ कि शायद कांग्रेसवालों का पक्षपात करने के लिये यह प्रक्रिया आपने की। वह संदेह न उत्पन्न हुआ होता तो इतना हो हुल्लड़ न होता। मैंने यही बात माननीय नेता विरोधी दल से जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उसी समय कहा था कि भाई किसी का जजमेंट गलत हो सकता लेकिन आपने हाउस को ऐडजर्न किया था और जो चल रहा था अगर आपने वैसे ही श्रीमन्, चलने दिया होता तो शायद यह संशय न पैदा हुआ होता और न यह परिस्थितियां उत्पन्न होतीं। तो उनके मन में यह बैठ गया कि आपकी नीयतें खराब थीं और जब यह संदेह पैदा हो जाय तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल है।

मान्यवर, "न सौख्यं संशयात्मानां" जो संशयालु होता है उसको सुख नहीं मिलता। तो हमारे विरोधी दल के भाइयों को बड़ा दुःख हुआ। आप लौट के आये और यहां तो वातावरण में

बड़ी भारी गर्मी थी और कितने ही आदमी वहां आपके पास तक चढ़ गये और यहां से हम भी दो-तीन लोग वहां गये और इसलिये कि आपकी रक्षा करें किसी अटैक से। मैं किदवई साहब से और अपने मित्र रामचन्द्र विकल जी से पूछना चाहता हूं बड़ी नम्रता से और हाथ जोड़ कर अपने माननीय मित्र नेता विरोधी दल से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन की प्रक्रियाओं को देखने की कृपा करें। आज हमसे तो कहा जाय कि हमने यह किया, वह किया लेकिन उस दिन २५ तारीख को मान्यवर आपके प्रति इस सदन में वह शब्द कहे गये, इस प्रकार के शब्द कहे गये जिन्हें सदन में नहीं बोलना चाहिये एक अध्यक्ष के लिये। अध्यक्ष अगर गलत कर गया तो हम उसके लिये नो कान्फीडेंस ले आ सकते हैं, और दूसरी कार्यवाही कर सकते है अगर अध्यक्ष गलत कर गया है तो उसका जवाब तलब कर सकते हैं जिस तरह से आज बातें हो रही है उनको इम्पीच भी कर सकते हैं लेकिन उन शब्दों को प्रकट करना अनुचित ही नहीं मेरे निकट निन्दनीय भी था और हमारे भाई माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी आज यहां पर नहीं है लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा था जब वे आपके पास बढ़कर चले आये थे। यह प्रक्रियायें मान्यवर आपके अपमान की यहां पर हुई लेकिन मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि किसी ओर से कोई कन्डेम्नेशन नहीं हुआ। सिवाय जनसंघ के नेता जी ने एक बयान दिया कि वह बात बहुत गलत हुई ऐसा नहीं होना चाहिये था और कहीं से कोई काडेम्नेशन नहीं हुआ। २५ तारीख की बात मैं बताऊं। मैं उस दिन माननीय नेता विरोधी दल से मिला और अन्य मित्रों से भी मिला। लेकिन २६ तारीख को जो घटना हुई उसमें तो बात उससे कहीं अधिक आगे बढ़ी। जिस वक्त आप पधारे, एक आदमी विरोधी दल का नहीं खड़ा हुआ। सारा विरोधी दल बैठा रहा अध्यक्ष के आने पर (व्यवधान) कुछ साहब खड़े हुये थे उन्होंने अध्यक्ष का सम्मान किया।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

इधर सब के बारे में कहा गया लेकिन जब अध्यक्ष आये तो हम लोग खड़े हुये थे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जो लोग खड़े हुये उन्होंने मुनासिब किया और सदन की गरिमा के अनुकूल किया। जब तक श्रीमन, आप पदत्याग न करें या नैतिकता के उच्च शिखर पर पहुंच कर इतना न हो जाय कि एक व्यक्ति को भी यदि सन्देह हो जाय तो त्यागपत्र दे दे अविश्वास प्रस्ताव से आपको हटाया न जाय तब तक अध्यक्ष का सम्मान इस सदन का सम्मान और गरिमा है। आप आये तो यहां पर उधर कुछ खड़े हुये लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बैठे रह गये। यह कोई अच्छी बात नहीं हुई है। जब आप कहते हो कि यह करते हैं तो परिस्थिति पैदा कैसे हुई। आपने एक पक्ष की बात कही और अगर बात कहते जायं तो यह सत्य के पक्ष में बात नहीं आती है। हमारे विरोधी दल के नेता उस समय तक आये नहीं थे। हमारे दूसरे मित्रों ने शुरू कर दिया.....

श्री चरणसिंह--

श्रीमन, मैंने केवल एक बहुत सीमित प्रस्ताव रखा था लेकिन त्रिपाठी जी बहुत व्यापक हो गये। जिस मजमून पर त्रिपाठी जी बोल रहे हैं या और जो मेरे मित्र बोल रहे हैं उस पर बोलते हुये ये बहुत लम्बे चले गये। मैंने तो छोटा सा प्रस्ताव रखा था और थोड़ी बात रखी थी अपने दूसरे विचार भी इस विषय पर जाहिर नहीं किये थे। त्रिपाठी जी को भी उसी विषय पर बोलना था लेकिन मैं एक बात त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण था कि रोज तो खड़े हुआ करते थे लेकिन यह सब बोस्त उस रोज खड़े नहीं हुये उस पर विचार करने की बात है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वजह होगी। वजह यही थी कि उनकी नीयत पर सन्देह हो गया। सारा झगड़ा निश्चित हो गया। उनके हृदय में एक धारणा बन गई कि अध्यक्ष ने इधर वालों के साथ पक्षपात किया इसलिये उन्होंने ऐसी कार्यवाही की। फिर सारा सम्मान और सारी गरिमा अध्यक्ष की आपके हृदय से मिट गई एक सन्देह को लेकर। उसके भी नियम हैं। या तो टंडन जी की तरह से

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

नैतिकता के उच्च शिखर पर पहुंच जाय कि एक को भी संदेह हो जाय तो स्वयं चले जायं या जिनको सन्देह हो जाय तो वे तो कान्फिडेन्स प्रस्ताव ले आते तो हटाते लेकिन जब तक आप श्रीमन्, अध्यक्ष बने हुये हैं तब तक आपको वही सम्मान मिलना चाहिये जो अब तक मिलता रहा है। वह नहीं हुआ। नेता विरोधीदल उस समय तक आये नहीं थे। तब तक हमारे दूसरे मित्र रामधारी जी और गोविन्दसिंह जी ने कहना शुरू कर दिया कि यह न गवर्नमेन्ट है और न अध्यक्ष हैं। इस के बाद ही हुल्लड़ शुरू हो गया। कहते हैं कि पक्षपात किया है तो किसी नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। जब वैधानिक तरीके से कोई रिलीफ पाने की बात हमारे मित्र नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि अवैधानिक तरीके से हल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नैतिकता की पुकार है जूता फेंकना, तबतक निकाले नहीं गये थे सदस्य, सदन चल रहा था। ये गद्दियां उठा-उठा कर फेंकना, उन कागजों और फाइलों को अध्यक्ष के ऊपर फेंकना--"तुम बेईमान हो", 'मु बिाद", "चले जाओ", "तुम को रहने नहीं देंगे", "काम नहीं हो सकता", "सदन नहीं चलने पायगा"। मुझे याद है एक बार और ऐसी समस्या उत्पन्न हो गयी थी। चौधरी साहब वहां बैठे हुये थे। विरोधी दल से एक सज्जन ने अपने भाषण में यह कह दिया कि "सदन को चलने नहीं देंगे"। आपको स्मरण होगा कि हमारे चौधरी साहब ने कहा कि "यह तो साहब विशेषाधिकार का प्रश्न होता है--यह कहना कि सदन को चलने नहीं देंगे।" लेकिन यहां तो आवाज उसकी उठी और तमाम जूते आदि सब फेंके ग । मैं पूछता हूं कि क्या यह कानून का पालन हुआ या नैतिकता का पालन था और यह जो बात कही गयी थी क्या वह मुनासिब थी ? नहीं थी, तो क्या वह चीज रुकी ? बुरा है इस बात का। मैं कहता हूं कि इससे बढ़ कर लज्जाजनक सरकारी पक्ष के लिये भी नहीं हो सकता इस सदन के लिए भी नहीं हो सकता और विरोधी दल के लिये भी नहीं हो सकता कि पुलिस इस सदन के अन्दर प्रवेश करे। बड़े शर्म की बात है और सच बात यह है कि अगर विधान सभा के अभिवेशनों में पुलिस का इस तरह से प्रवेश हो तो लोकतंत्र की रक्षा नहीं है, उपेक्षा है.....

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

यह आप ही कह रहे हैं, गुप्ता जी भी कहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं भी कह रहा हूं वे भी कहते हैं। किसी को इस बात से संतोष नहीं हो सकता कि पुलिस आये। पर पुलिस आती कब है ? पुलिस आती है तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती और रूल आफ ला भी नहीं रहेगा। अब चलाना है सदन तो अध्यक्ष ने एक अधिकार और ले लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दुबे जो बड़ी लम्बी बात कर रहे थे हिटलर की। हिटलर का जन्म कब हुआ ? तब हुआ जब जरमनी की रिपब्लिक कानून का पालन नहीं करा सकी, उसमें कमजोरी आयी। तभी आतंकवाद और तानाशाही आयी और दुनियां में जब-जब डेमोक्रेसी का फेलियर हुआ है वह इसलिये कि रूल आफ ला नहीं चल सका इसलिये तानाशाही पैदा हुई। मान्यवर, जब हम ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि कानून भंग हो और फिर शिकायत हो कि प्रोटेक्ट किया जाय तो उससे बढ़ कर खतरनाक और कोई दूसरी बात लोकतंत्र के लिये नहीं होती। ऐसी परिस्थिति को लाने की जिम्मेदारी उनकी भी होती है जो कानून तोड़ने की चेष्टा करते हैं।

गांधी जी का नाम लिया विकल जी ने। गांधी जी का नाम लेना फिजूल है। गांधी जी ने भी कभी जूता नहीं फेंकवाया अपने विरोधियों के खिलाफ। कभी ढेला नहीं फेंकवाया गांधी जी ने। कड़ी बात भी नहीं कही (श्री रामचन्द्र विकल के खड़े होकर कुछ कहने पर) देखिये, विकल जी बोल रहे थे तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था। गांधी जी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह कराया मान्यवर, तो यह आदेश जारी किया कि रविवार को कानून मत तोड़ो। क्यों साहब ? इसलिये कि रविवार को जितने सरकारी कर्मचारी बड़े-बड़े हैं ये छुट्टी मनाते हैं, उनको सामान खरीदना होता है घर के लिये। तो उसके लिए रविवार ही होता है। और उसके बाद गिरफ्तार

में जाकर प्रार्थना करते हैं। तो रविवार उनका डिस्टर्ब मत करो। छः दिन नोटिस दो कि सरकार का विरोध करते हैं लेकिन इतवार को छोड़कर। गांधी जी का नाम लेना फिजूल है, मान्यवर, हम लोग बहुत दूर चले गये हैं। नैतिकता और कानून इन दोनों की रक्षा दोनों तरफ से होती है। एक तरफ से अगर यह चीज टूटती है तो फिर दूसरी तरफ प्रशासन में बैठे हुए लोग, जो व्यवस्था है शक्ति के उपयोग की, वह करते हैं। बड़े दुःख और खेद की बात है मान्यवर, और हमारे इधर जो लोग बैठे हैं और नेता जी मुझे आज्ञा दें तो मैं उन सभी से क्षमा याचना चाहता हूं जो चुपचाप बैठे थे और उन्हें पुलिस के अधिकारियों ने उठाया। बड़ी भारी भूल हुई। (व्यवधान) मैं उनसे क्षमा याचना कर सकता हूं और करता हूं। मैं आपसे यह कहता हूं, श्रीमन्, कि पुलिस जब इन ऐक्शन होती है, कभी ऐक्शन में उसे आने नहीं देना चाहिए, परिस्थिति ही ऐसी पैदा न होने दीजिये, लेकिन जब वह सक्रिय होती है तो मान्यवर, इस प्रकार की गड़बड़ियां, भूलें और अनुचित कार्यवाहियां हो जाती हैं जिस पर हम सभी को लज्जित होना पड़ता है। लेकिन वह परिस्थिति उत्पन्न हुई, पुलिस आई। अब मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से सब कुछ ठीक हुआ, पुलिस बुलाई गई वह ठीक हुआ। निलम्बन हुआ वह भी ठीक हुआ, यह कुछ कृत्यों के परिणाम हैं।

आप यह कहें कि हमने जो कुछ किया ठीक किया, तुमने सारी भूल की, यह भी कुछ कार्यों के परिणाम है। हमारी प्रतिष्ठा घटी है। अखबारों में निकला कि इस प्रकार की कभी अव्यवस्था सदन में हुई नहीं। विट्ठल भाई पटेल का बार-बार संकेत किया गया है। ठीक है उनकी रूलिंग है और वह रूलिंग उस समय हुई थी जब एक अनुत्तरदायी सरकार बनी हुई थी, बिना कायदे कानून के लेन्ट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई थी जिसे आप हटा नहीं सकते थे। सत्याग्रह का आन्दोलन उस समय होने वाला था, उस वक्त अपोजीशन ने वाक आउट किया क्योंकि उस वक्त की सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। आज आपके यहां डिमोक्रेसी है, जनता की सरकार है। यह सरकार आपके दल से आपको मदद से हटाई जा सकती है। चौधरी चरण सिंह स्वयं कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि डेमोक्रेसी में कानून तोड़ने के लिये कोई स्थान नहीं है। जब जबरदस्ती हो जाय तो तोड़ना ही पड़ता है यह अब वह कहने लगे हैं लेकिन पहले यह यही कहते थे कि कानून तोड़ने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो मान्यवर, उस वक्त उन्होंने वह रूलिंग दी थी जब अपोजीशन वाक आउट कर गया था। हमारे इस सदन में न जाने कितनी बार अपोजीशन ने वाक आउट किया है। हमने और आपने भी किया है।

अभी भी एक दो बार वाक आउट हुआ है और वाक आउट होने के बाद सदन चला। उस दिन, मान्यवर, आपने जो प्रक्रिया की, कानून की बात आपके सामने है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि कानून और व्यवस्था के साथ-साथ हम और आप इस दृष्टि से विचार करें इस प्रश्न के ऊपर कि क्या इस परिस्थिति का कहीं अन्त हो सकता है। अगर हम सभी से भूलें हुई हैं तो क्या उन भूलों का परिहार एक दूसरे के सम्मुख यह कहकर कि भूलें हुई हैं हो सकता है? जाने दीजिये और अब ऐसी चेष्टा करें कि भविष्य में ऐसी अव्यवस्था न उत्पन्न हो जो कि हमारे गौरव और गरिमा के विरुद्ध हो और मान्यवर, मैं अपने विरोधी दल के भाइयों और साथियों से निवेदन करूंगा कि दुनियां का तरीका यही है कि कभी-कभी ऐसा क्षण आ जाता है जब हमको एक दूसरे को क्षमा करके और एक दूसरे की भूलों को भूल करके फिर आगे चलना पड़ता है बड़े कामों के लिये। आज मैं समझता हूं कि वैसा ही क्षण आया है। हमारी भूल हुई हो, आपकी भूल हुई हो, हम लोगों ने परम्परा के विरुद्ध, औचित्य के विरुद्ध जो कुछ भी किया हो उसे क्षमा करें और हम लोग मिल जुलकर सदन में ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण उत्पन्न करें कि पुनः हम आगे चल सकें, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री यादवेन्द्र दुबे---

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे इतनी जानकारी चाहता हूं कि जो प्रश्न था वह तो था ही। माननीय त्रिपाठी जी ने २५-२६ की घटना का विवरण दिया। उसके ऊपर भी उत्तर देने का अवसर देंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

वह चाहते हैं कि वह सब भूल जाया जाय। उस से तो और वातावरण गरम होगा अगर बहस शुरू होगी। नेता विरोधी दल ने जो रखा है उसके ऊपर चर्चा रहनी चाहिये और उसके ऊपर व्यवस्था होनी चाहिये। वह चीज मैं करूंगा।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी-अभी उप मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि २५ तारीख के लिए तय हुआ था कि ढाई बजे वोटिंग होगी। लेकिन जब जेल अनुदान पर यह प्रश्न आया और 'हां' और 'ना' के लिये आपने पूछा तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह तय हुआ था। उस समय उन्होंने सोचा कि हमारा बहुमत है और पास हो जायगा। लेकिन जब डिवीजन की डिमांड आयी तब उन्होंने देखा कि उनका बहुमत नहीं है। उन्होंने पहले ही क्यों नहीं रोका।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री छांगुर—

इस सदन में जो घटना घटी उस संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। जिस तरह २६ तारीख को विरोधी पक्ष के सदस्यों को निकाला गया और आज कुछ नियमों का हवाला दिया गया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता और दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उस दिन जो व्यवस्था आपने कर रखी थी वह संसदीय प्रणाली में एकनयी मिसाल थी जो व्यवस्था पुलिस के जरिये आपने कर दी थी उससे हमारा काम मुश्किल हो गया था। हमारे आचार्य जी ने कुछ नियमों का हवाला दिया। जो सदस्य निलम्बित किये गये उनका भी हवाला दिया, जो सदस्य निकाले गये उनका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उसका अधिकार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो सदस्य लाबी में बैठे हुये हैं, जिनको पुलिस पहचानती नहीं थी, पुलिस ने दरवाजा बन्द कर दिया और उनको सदन के अन्दर नहीं आने दिया। मैं जानना चाहता हूं कि किन नियमों के अन्दर नहीं आने दिया गया।

श्रीमन्, यही नहीं उस दिन यह हालत हो गयी कि उस पक्ष का एक माननीय सदस्य, जिनका नाम मैं नहीं जानता, आकर इधर बैठ गये। इनके बैठते देर नहीं हुई कि पुलिस के आदमी आ गये। इन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस का आदमी हूं और वह तुरन्त उधर भाग गये। अगर वह भी बैठे रहते तो उनको भी बाहर निकाल दिया जाता। तो श्रीमन् पुलिस किसी को पहचानती नहीं थी यह सब आप की वजह से है। आपने ही ऐसी अव्यवस्था पैदा कर दी थी और आपने ऐसी अव्यवस्था इसलिए पैदा की क्योंकि श्रीमन्, आपके अन्दर बदले की भावना थी। अभी माननीय कमलापति त्रिपाठी जी बोल रहे थे। हम लोग यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया है कि आप निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं और आपके अन्दर बदले की भावना पैदा हो गयी थी। २५ अगस्त को डिवीजन मांगा गया था। उस पर आपने पक्षपातपूर्ण फैसला दिया और डिवीजन की जो बात विरोधी पक्ष ने रखी थी उसको आपने नहीं माना। इस पर विरोधी पक्ष क्षुब्ध हो गया और अपने उस विरोध में कुछ बातें भी कहीं। तो श्रीमन्, इन सब से आप के अन्दर बदले की भावना पैदा हो गयी थी।

२६ अगस्त को जब विरोधी पक्ष की ओर से कोई अव्यवस्था पैदा नहीं हुयी थी उसके पहले ही आप ने पुलिस का सारा इंतजाम कर लिया था। २६ अगस्त को सदन होने वाला था। यह अच्छा होता कि सदन के अन्दर आकर बैठते और अपनी बात कहते, परन्तु उसके पहले ही आपने सदन के अन्दर पुलिस का बन्दोबस्त कर लिया था। इससे यह मालूम होता है कि आप की नीयत पहले से खराब थी और आप के अन्दर बदले की भावना थी। इसी वजह से

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यह सारा इंतजाम किया गया था। अगर आप चाहते तो सदन में यह अव्यवस्था पैदा नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप के अन्दर बदले की भावना है वह जब तक रहेगी तब तक यह हाउस कायदे से नहीं चल सकता है। इस संबंध में किसी ओर को किसी मंत्री को दोषी नहीं ठहराता हूं और जितना दोष है वह सब आप पर है। आपने पुलिस बुलाकर एक नया इतिहास कायम किया। मैं समझता हूं कि सारी जिम्मेदारी आप पर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब से पहले सदन में माफी मांगें।

श्री रामविलास (जिला आजमगढ़)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री छांगुर—

आप बुरा न मानें तो निवेदन करूं। आपके पास कुछ अलसेशियन हैं, उनको बांध करके रखिए।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कुछ नहीं है। आप अपनी बात कहते जाइये।

श्री छांगुर—

तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि पहला काम यह होना चाहिए और तभी सदन चल सकता है कि आप सदन के सामने माफी मांगें। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

आपको कुछ और भी बोलना है? यदि बोलना हो, तो जल्दी करो।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने अलसेशियन शब्द का इस्तेमाल किया है। इनसे आप कहिए कि ये इस सदन से माफी मांगें। एक तरफ तो नैतिकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिये था।

श्री छांगुर—

अगर अलसेशियन शब्द असंसदीय है तो मैं उसे वापस लेता हूं। मगर क्योंकि यह शब्द असंसदीय नहीं है इसलिए वापस लेने का सवाल नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—

अलसेशियन किसी आदमी को कहना पार्लियामेन्टरी नहीं है। किसी कुत्ते को कहना ठीक है....किसी आदमी को कहना ठीक नहीं है।

श्री छांगुर—

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता था कि उस दिन के बाद से जितनी कार्यवाही हुयी है उसको निरस्त हो जाना चाहिये। आप उसको निरस्त करें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप जल्दी करें।

श्री छांगुर—

उसके बाद ही तब सदन की कार्यवाही चलायी जावे। यह सदन तभी चल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अमल करेंगे और इसके लिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, आप से मेरा निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति आप उत्पन्न करें कि शान्ति का वातावरण बने। डन्डे के बल पर असेम्बली नहीं चल सकती है। तो शान्ति का वातावरण पैदा करने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय आप इस कुर्सी का परित्याग कर दें। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री रामस्वरूप वर्मा को बोलने को कहा था।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि जो नेता विरोधी दल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उससे ही अपने को सम्बद्ध रखूं लेकिन और बहुत सी बातें लोगों ने कह दी है तो उस सम्बन्ध में भी कुछ कहना है।

मान्यवर, यहां पर अभी तक जो बहस हुई, वह २६ तारीख को जो २५ आदमी निलंबित किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही वैधानिक थी या नहीं इस बारे में है। इस सम्बन्ध में मैं संविधान का पैरा २० पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है:

"कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन किया जा सकता था।"

इसी के साथ मान्यवर, इसके दूसरे अनुच्छेद में लिखा है:

"कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित न किया जायेगा।"

अब मान्यवर इस दृष्टि से देखें कि सदन में गड़बड़ी हो रही थी और सरकारी पक्ष ने इस गड़बड़ी के फलस्वरूप विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया। अभी मैं इस बात पर नहीं आता हूं कि इसकी विधि जो ७० में हुई है उसका पालन किया गया या नहीं। पहला सवाल तो यह है कि यह प्रक्रिया नियमावली जो है इसके अन्तर्गत इस पर मुकदमा चल सकता था या नहीं। सदन में कोलाहल को लेकर निकालने का आदेश दिया और वह कार्यवाही की गई। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया विशेषाधिकार की लेकर के हुई। जब कोलाहल के फलस्वरूप सदस्यों को निकाल दिया तो संविधान कहता है कि दूसरी प्रक्रिया नहीं हो सकती है क्योंकि यह अलग अधिकार नहीं है। यह तो मौलिक अधिकार की बात है और यहां के माननीय सदस्यों के तो विशेष अधिकार भी हैं। इसके अन्तर्गत २९९ की प्रक्रिया है जिसमें सदस्यों को हटाया जा सकता है। इसी के अन्तर्गत कार्यवाही करना है। अगर किसी अध्यक्ष के दिमाग में यह आवे कि सरकारी पक्ष कमजोर है और इस समय जीतना कठिन है तो कह सकता है कि सारे विरोधी पक्ष को हटा दिया जाय और उसने अगर कोई प्रक्रिया हो तो यह एक बहुत बड़ी शक्ति अध्यक्ष के हाथ में हो जावेगी, जिसके कारण कोई भी सही निश्चय इस सदन में कार्यान्वित नहीं हो सकेगा।

इस वजह से २९९ की प्रक्रिया है कि जब किसी सदस्य का आचरण कोलाहलपूर्ण, अव्यवस्थाजनक हो जाय तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष उसको आदेश देंगे कि वह सदन से निकल जाय। जब

आदेश का वह पालन नहीं करेगा और मार्शल कहे कि निकल जाइए और न निकले तो मार्शल के वापस आकर ऐसा कहने पर अध्यक्ष उस को इंगित करेंगे और इंगित करने पर नेता सदन उठकर प्रस्ताव करेंगे और यह विनिश्चय सदन के द्वारा होगा कि सदस्य का आचरण कोलाहलपूर्ण और अव्यवस्थाजनक है या नहीं। वह तब होगा जब नेता सदन इस प्रस्ताव को रखेंगे कि इनको अमुक अवधि के लिये निकाल दिया जाय। मान्यवर, यहां पर पहली प्रक्रिया नहीं हुई। रामधारी शास्त्री जी इंगित किये गये। इस सदन में शास्त्री जी जो काम कर रहे थे, जिस मौलिक अधिकार के लिये बात कर रहे थे, उसके खिलाफ बहुमत नहीं था अन्यथा नेता सदन उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश करते। मान्यवर, जो सदस्य को निकालने का सदन का अधिकार है वह अधिकार एक मात्र अध्यक्ष के हाथ में नहीं दिया जा सकता क्योंकि अध्यक्ष किसी पक्ष या विपक्ष का हो सकता है, उसकी रुचि किसी पक्ष या विपक्ष में कार्य कर सकती है। तो मौलिक प्रश्न यह था कि जो अध्यक्ष किसी सदस्य के काम को कोलाहलपूर्ण या अव्यवस्था जनक समझ रहे थे पहले उस पर सदन विनिश्चय करता। वह नहीं हुआ। अध्यक्ष ने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और यह कह दिया कि सारे लोग निकाल दिये जायं। जिस सदस्य को इंगित नहीं किया गया क्यों नहीं उसके विरुद्ध प्रस्ताव किया गया? इसका साफ अर्थ है कि नेता सदन के पास उस वक्त बहुमत नहीं था, जो काम रामधारी शास्त्री जी कर रहे थे, जो मौलिक अधिकार के लिये लड़ रहे थे, उस अधिकार के खिलाफ कहने के लिये सदन में बहुमत नहीं था। दूसरी बात, नियम २९९ इसलिये रखा गया है कि आदरणीय सदस्य के विशेषाधिकार हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह नहीं रखा। २५ आदमियों के बारे में रखा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

श्रीमन्, पहले तो संविधान की धारा २० के अन्तर्गत मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद नियमावली में जो अधिकार है वह भी मुझे कहने पड़ेंगे। तो जब इंगित नहीं हुआ, प्रस्ताव नहीं हुआ तो उसका अर्थ यह हो सकता है कि अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव हो गया। मैं इस वक्त उसकी बात नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि २९९ की प्रक्रिया जो है यह इसी बात की गारन्टी देने के लिये है कि इस आदरणीय सदन का कोई भी सदस्य नियम के प्रतिकूल नहीं निकाला जायगा। मान लीजिये मैं खड़ा हुआ। सदन के सदस्य चाहते हैं कि मैं बोलूं। माननीय अध्यक्ष किसी वजह से इजाजत नहीं देते तो अध्यक्ष और सदन इंगित के प्रस्ताव को पास न करे तो मेरा बोलने का अधिकार हो गया। अध्यक्ष को कुर्सी छोड़ देनी चाहिये। वह छोड़े या न छोड़े यह उनका मामला है। तो यह विनिश्चय सदन के हाथ में है कि किसी सदस्य का आचरण कोलाहलपूर्ण या अव्यवस्थाजनक है या नहीं। उसका तरीका यही है कि इंगित करके सदन की राय लेकर तय कर लें। यह प्रक्रिया अध्यक्ष के उस अबाध अधिकार को रोकती है जिससे अगर कभी सरकारी पक्ष अल्पमत में हो तो विपक्ष के सदस्यों को अध्यक्ष की आज्ञा मात्र से निकाला न जा सके। यह गारन्टी नियम २९९ में है। उसका पालन नहीं किया गया। यह सदन की गरिमा के अनुसार नहीं है और मर्यादा का उल्लंघन हुआ है।

२९९ में जो मौलिक अधिकार माननीय सदस्यों को हैं उनकी रक्षा होनी चाहिये थी। वह नहीं हुई। अब दूसरी बात देखें। हम तो मनुष्य भी हैं और संविधान की धारा २० में व्यक्ति को यह अधिकार है कि एक ही जुर्म के अन्दर न तो दो बार ट्रायल होगा और न दो बार दन्ड मिलेगा। यह धारा यह भी कहती है कि जिस अपराध के लिये जो दंड लिखा हुआ है उससे ज्यादा न दिया जाय। अब इसके अन्तर्गत दो विषय आते हैं। एक तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये है। आपने यहां शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक समझ कर सब को निकाल दिया। यह दंड आपने दिया कि उनको यहां से एक दिन के लि` निकाल दिया। एक सजा यह आपने उनको दे ी। एक

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

जुर्म किया गया और उसको आपने सजा दे दी। उसके बाद एक प्रस्ताव विशेषाधिकार का उसी कोलाहल व अव्यवस्था के सम्बन्ध में आता है। यह दूसरा विषय नहीं है। उसमें यह कहा जाता है कि इतने माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है, तो क्या इसमें दोबारा सजा दी जा सकती है नहीं। अब अगर यह मान लिया गया कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो उसके लिये क्या कार्यवाही और किस तरह की जाय, उसके नियम है।

जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके अन्तर्गत किसी भी गलती के लिये दो बार ट्रायल और दो बार सजा नहीं हो सकती। यह कहा गया कि सदन के सामने ही अगर सदन की अवज्ञा हो तो इसमें किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। इसके लिये श्रीमन्, आप नियम ७० देखें। इसमें है कि "जब सदन इस प्रस्ताव से—कि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान, जो सदन के प्रत्यक्ष ही किया गया हो, के प्रश्न पर विचार किया जाये, सहमत हो जाये तो कोई सदस्य मूल प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे जिसमें यथास्थिति विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान अथवा प्रतिवेदन को अभिदृष्ट करते हुये सुझाव होगा कि सदन को उस पर क्या कार्यवाही करनी चाहिये तथा कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे।

आचार्य जी ने अभी कहा कि हमने कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं। अब आप देखें कि मूल प्रस्ताव आया ही नहीं। एक बार प्रस्ताव आया कि २५ आदमी इतने दिन के लिये निकाल दिये जायें। तो जो नियम ७० में दिया हुआ है वह प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। पहले उसके अनुसार विनिश्चय करते कि सदन का अवमान हुआ है, और फिर दूसरा प्रस्ताव दंड के लिये आता। श्रीमन्, उन्होंने अपनी सजा अपनी ही जबान से कर दी। यह अच्छी बात हुई। मूल प्रस्ताव आया नहीं जिससे विनिश्चय हो जाता कि सदन की दृष्टि में ही अवमान हुआ कि नहीं हुआ। बिना उसके सजा का प्रस्ताव आ गया। इस नियम के अनुसार दो प्रस्ताव आने चाहिये जो नहीं आये। श्रीमन्, विशेषाधिकार की अवहेलना एक अपराध है, और उसके लिये वह सारी प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये जो इसमें दी हुई है। जिस वक्त इधर के सदस्य कोलाहल कर रहे थे, या गोली चलाने वाले थे या और कोई हिंसा करने वाले थे, उसी वक्त उनके विरुद्ध वह आरोप लगाने चाहिये थे कि फलां सदस्य ने गोली चलायी, या फलां सदस्य ने हिंसा की या तमन्चा दिखाया या जो कुछ किया उसके संबंध में उसी वक्त प्रश्न उठाना चाहिये था। वह सदन की दृष्टि में होता और सदन उस पर विचार करके सजा देता। जब सारे सदस्यों को आपने निकाल दिया तो उसके बाद तो कोई विनिश्चय हो ही नहीं सकता। फिर आपने अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था भी दी है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को तत्काल उठाया जाना चाहिये। अगर जरा भी देर हो जाती है तो वह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो जिस वक्त यह सदस्य कोलाहल कर रहे थे उसी वक्त यह प्रश्न उठाना चाहिये था। माननीय आचार्य जी ने उसी वक्त सदन का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं किया ?

श्रीमन्, अगर कोई सदस्य किसी प्रकार सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना करे, किसी से अवज्ञा हो जाय तो माननीय, वह तो यहां विराजमान हों। उसके सामने ही सब बातें हों। वह जवाब देना चाहे तो दे दें और इस तरह सदन फैसला ले सकेगा। जब वह चला गया तो जो बातें पीछे हो गईं वे नहीं कही जा सकतीं कि सदन की दृष्टि में थीं। सदन के सामने कोई भी आदमी इस तरह से किसी कारण से भी प्रस्ताव न कर सके तो ऐसा नहीं होगा। इसलिये स्पष्ट है कि जितनी कार्यवाही हुई वह सब अवैधानिक है। २६ सदस्यों के कार्याधिकार की दृष्टि से और माननीय सदस्यों को प्रदत्त विशेषाधिकार की दृष्टि से, इन सारी दृष्टियों से यह अवैधानिक है। अगर मान्यवर, २६९ के अन्तर्गत यह प्रश्न लिया जा रहा था तो आपको शायद इसने परेशान कर दिया कि विशेषाधिकार के अन्दर इसको बताइये। तीन दिन की सजा उसमें होती थी। तीस तारीख तक सदन चलेगा। इसका मतलब था कि विरोधी पक्ष से फुरसत पा लो। पांच दिन का समय कराने के लिये विशेषाधिकार का प्रश्न लाया गया। इसमें भी बहस हो सकती है। क्या यह जो कार्य था, यह सदन के अवमान का प्रश्न हो सकता है या नहीं ?

विशेषाधिकार की परिधि में कौन सी चीजें आती हैं। सदन में कोलाहल या शोर करने के संबंध में कौन सी चीजें आती हैं, ये अलग बातें हैं। अगर समय हो तो मैं भी इस पर बहस करने के लिये तैयार हूं। कोई भी विधि-विशेषज्ञ आ जाय, जो सदन में इनका आचरण था कोलाहल वाला, जो कुछ भी हो, वह सदन के अवमान का प्रश्न नहीं बन सकता। क्योंकि वह सदन का अधिकार था, वह सदन के अवमान का प्रश्न नहीं बन सकता।

(व्यवधान)

मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में सदन के अवमान के सारे मसले दिये हुये हैं और मैं दावा करता हूं कि यह मसला सदन के अवमान का नहीं है मेरी दृष्टि से। और अगर सदन के अवमान का था तो दूसरी बात यह है कि वह तत्काल उठाना चाहिये था ताकि ये सदस्य सफाई देते। पहले तो अवमान का है ही नहीं। इन्हें बाहर किया गया। इसको अविलम्बनीय महत्व का समझते नहीं थे। इसलिये सारी सजा अवैध है और जो कार्यवाही हुई वह अवैध है। उसको रद्द किया जाना चाहिये। यही मुझे निवेदन करना है।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, २५ और २६ अगस्त को जो घटनायें हुईं उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और विचार को माननीय चौधरी चरण सिंह ने सीमित भी कर दिया है। लेकिन फिर भी माननीय कमलापति त्रिपाठी तथा अन्य सदस्यों ने जो २५ तारीख को घटनायें घटीं उन पर भी.....

श्री अध्यक्ष---

उस पर आप अपने विचार मत प्रकट कीजिये। सबने कर दिये हैं।

श्री हिम्मत सिंह---

मैंने जो २५ तारीख की घटना घटी, जो छीना-झपटी वाली बात कह दी---अगर वे नियमों में बद्ध नहीं हैं और नियमों को बंधनकारक नहीं मानते तो पुलिस-राज और छीना-झपटी इस स्टेज में बढ़ना अनिवार्य मालूम होता है। अगर संविधान और नियमों का पालन करवाते तो शायद यह नौबत न आती और यह दिन न देखना पड़ता जैसा कि २६ तारीख को हुआ। जो सदस्य अन्दर आना चाहते थे उनको रोका गया। जो सदस्य शान्तिपूर्वक इस सदन में बैठे थे, उनको बाहर निकाला गया और जो बाहर निकाल दिये गये थे उनका पांच दिन के लिये निष्कासन कर दिया गया। यह घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि २५ सदस्यों के निष्कासन की कार्यवाही की गई, उस पर विशेषाधिकार रक्खा गया और यह सदन प्रापर कान्स्टीट्यूशन नहीं करता, इन सब पर हम विचार कर रहे हैं। माननीय चौधरी साहब ने जो कहा, उसको अगर आप विश्लेषण करके देखें। तो सदन के अन्दर जब नेता जी अपनी बात कह रहे थे और उसी दौरान में सारे सदस्य एकदम खड़े हो गये, जब खड़े हो गये और खड़े होने के बाद तुरन्त ही पुलिस आ गई, तो उस समय आपका एक ही कर्तव्य रह गया था कि २९९ नियम के अन्तर्गत और जो २९९ की धारा ६ है उसके अन्तर्गत जब पुलिस बुलाई जा रही थी और यहां वह आ गई इधर से सभी माननीय सदस्य खामोशी से खड़े थे और शोर हल्ला हो रहा था उस वक्त आपका कर्तव्य था कि नियमानुसार सदन को एडजर्न कर के चले जाते लेकिन आपने ऐसा न करके मार्शल और पुलिस दोनों का प्रयोग किया।

पुलिस के एस० एस० पी० ने माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के पास आकर कहा कि अध्यक्ष जी के आदेश से हमें सभी विरोधी पक्ष के सदस्यों को यहां से बाहर हटाना है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा आदेश है तो हम बाहर चले जाते हैं। इसलिये मैं आपसे अनुरोध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह]

करूंगा कि आप की कार्यवाही २९९ (६) के अन्तर्गत होनी चाहिये थी और उसके अनुसार आप सदन का एडजर्नमेंट करते लेकिन आप ने ऐसा नहीं किया। फिर भी आप के आदेश पर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के साथ हमारा समस्त जनसंघ दल सदन से चला गया। सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव २५ माननीय सदस्यों के निष्कासन के निलम्बन का रखा है वह उचित है और यह सही है कि निष्कासन अवैध हुआ है और आचार्य जी ने जो कहा उसकी परिधि में वह नहीं आता है। उन्होंने कहा कि हमने तो ध्यान आकृष्ट किया था, यह सही है लेकिन उसके बाद भी तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिये थी जुर्म की सजा के लिये।

अवमान होने पर जो प्रक्रिया नियमावली में है वह नियम ६८ में दी गई है, जो इस प्रकार है "सदन के समक्ष शिकायत का निस्तारण—(१) यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निस्तारणार्थ लाया जाना निश्चित हो जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायगी और उसको स्पष्टीकरण तथा निर्दोषिता सिद्धि के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा तत्सम्बन्धी लेख्य या लेख्यों के निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा।" तो इसके अनुसार इन सदस्यों को कोई अवसर नहीं दिया गया और उनसे पूछा भी नहीं गया कि क्या वह सदन में आकर कुछ कहना चाहते हैं। अगर वह मना कर देते कि हम कुछ नहीं कहना चाहते तभी आचार्य जी की बताई हुई प्रक्रिया पूरी होती और सही होती क्योंकि नियम में आगे दिया है "कि वे अध्यक्ष को अनुपस्थिति के कारण की सूचना देंगे और सदन में दिये गये कारण को देखते हुए उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगा।" जानबूझ कर वह अनुपस्थित नहीं रहे बल्कि उनको सदन में आने का अवसर या सूचना नहीं दी गई। इस तरह से वह सारी कार्यवाही ही निलम्बन की अवैधानिक थी और वह निरस्त होना चाहिये। जब तक निलम्बित सदस्य सदन में आयें और उनको अवसर नियम ६८ के अनुसार न दिया जाय तब तक सारी कार्यवाही गलत हुई है। आज की कार्यवाही भी ठीक नहीं होगी जब तक उनको बुला कर मौका न दिया जाय। यह सदन प्रापरली गठित नहीं है। नियमावली के अनुसार उन २५ सदस्यों को यहां आना चाहिये और प्रक्रिया गलत तरीके से की गई है वह समाप्त हो।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्य मंत्री जी के बोलने और उनके द्वारा अपने विचार व्यक्त कर देने के बाद मेरे लिये इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि मैं भी इस सदन के समक्ष अपने तुच्छ विचार रखने की धृष्टता करूं। मैं २५ तारीख को यहां नहीं था और २६ तारीख को जो घटनायें सदन में मेरे सामने हुईं वह मैंने स्वतः देखीं। ये घटनायें अवश्य ऐसी हैं जिनके लिये प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो गणतंत्र में विश्वास रखता है, जो गणतंत्र की परम्पराओं को फैलाना चाहता है, और उनकी जड़ों को मजबूत करना चाहता है, उसे उन घटनाओं से केवल दुख ही नहीं होता है परन्तु दूसरों की नजरों में उसे शर्मिन्दा भी बनना पड़ता है। और खासकर मेरे ऐसे, चौधरी साहब जैसे और कई और बुजुर्ग साथियों के ऐसे व्यक्तियों को और भी शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है और वह इसलिये उठानी पड़ती है कि चाहे चौधरी साहब उधर बैठे हों और चाहे मैं इधर बैठा हूं और चाहे और बुजुर्ग साथी इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों, जिन्होंने कि अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रदेश के और देश के सार्वजनिक जीवन में व्यतीत किया है और जो गणतंत्र के लिये मरे हैं, खपे हैं उन्हें यदि अनुभव होता है कि सदन के बीच में हमारे कई नये साथी जो अब चुन कर आये हैं जो अब इस देश को और सरकार को चलायेंगे, जब ऐसी कोई भी बात करते हैं आवेश में आकर, गुस्से में आकर, भ्रान्ति में पड़ कर, तो उससे यहां कोई भी—किसी भी दल का नेता क्यों न हो, जब वह गम्भीरता से उन बातों पर विचार करता है तो उसको दुख प्रतीत होता है और तब वह गम्भीरता से इन प्रश्नों पर विचार करके सोचता है कि हो क्या रहा है, वह कैसे हटे, कैसे दूर हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन में जब ऐसी घटनायें हों जो कि इस सदन को दूसरों की नजरों में गिरायें और साथ में दूसरों के लिये ऐसी मिसाल बनें कि दूसरे गणतंत्र को गिराना चाहें, और गणतंत्र के विश्वास और मर्यादाओं के अनुकूल कार्य न करना चाहें। २५ तारीख की घटना के बारे में तो आज चर्चा भी नहीं है, जैसा कि चौधरी साहब ने स्वतः कहा है। उन्होंने तो इस बात की चर्चा की है कि २५ व्यक्तियों का जो निलम्बन हुआ वह नियम के अनुकूल नहीं हुआ है और जब वह नियम के अनुकूल नहीं हुआ है और जब वे अनुपस्थित हैं तो यह सदन सही प्रकार से कांस्टीट्यूटेड नहीं है। जितना मैंने नियमों का अध्ययन किया है, सदन तो कांस्टीट्यूटेड उसी वक्त हो जाता है जब कि अध्यक्ष आकर बैठ जाते हैं और सदन का कोरम हो जाता है। चाहे उस कोरम को इधर के बैठने वाले बनावें, चाहे उधर के बैठने वाले बना दें। इसलिये चौधरी साहब के उस मत से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन चौधरी साहब ने जो कानून का अध्ययन किया है, श्री उदित नारायण जी ने किया है और श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने भी किया है, उसके विषय में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और न कोई आलोचना करना चाहता हूं। अपने अपने तर्क जैसे वकील लोग पेश करते हैं और हर वकील जब अपना केस रखता है तो वह इस बात की चेष्टा करता है कि जो बात वह कहता है वही सही और ठीक है और उस चीज को वह अदालत के सामने रखता है, उसके सामने रखता है जिसे फैसला करना होता है।

उस दिन आपकी कार्यवाही करने के विषय में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किये। उस दिन आपके द्वारा कुछ बाहर के आदमियों को, जिसे पुलिस कहते हैं, के बुलाने के कार्य पर आलोचना हुयी। ग्रेट ब्रिटेन में भी, जैसा कि मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को देखने से विदित हुआ, कभी कभी ऐसे अवसर आये कि वहां के मेम्बरान ने सार्जेन्ट एट आर्म की बात नहीं मानी और उसे बाहर से फोर्स को मंगाना पड़ा और उसका प्रयोग हुआ। जब यहां पर पुलिस आती है तो प्रत्येक को चिढ़ होती है लेकिन मैं तो यहां पर पुलिस को नहीं बुलाता हूं। अध्यक्ष जी, जिन्हें सदन का विश्वास प्राप्त है, जब आवश्यकता महसूस करते हैं तो वे पुलिस के लिये होम सेक्रेटरी या आई० जी० को लिखते हैं या यहां से जिलाधिकारी को लिखा जाता है। उनसे ये मांग करते हैं तो वे यहां आते हैं और जब वे यहां आते हैं उस कार्य के सिलसिले में जिस कार्य के लिये वे यहां बुलाये जाते हैं, वे माननीय अध्यक्ष से आदेश लेते हैं और उन्हीं के आदेशों के अन्तर्गत वे कार्य करते हैं।

जो परिस्थितियां यहां घटी वे ऐसी थीं जिनकी कोई तारीफ नहीं कर सकता। यदि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं तो वे अशोभनीय थी और इस सदन की गरिमा और गौरव को बढ़ाने वाली नहीं थी। यदि अध्यक्ष को उन तमाम बातों को रोकना है तो वह क्या व्यवस्था करें ? क्या वह इन तमाम बातों को अपने सामने घटते हुए देखें, उनको दूर करने का प्रबन्ध करें या न करें। उन्होंने उस पुलिस को जो उनके तहत में कार्य कर रही थी, जैसा कि उनके मार्शल आदि, उनके तहत में काम करते हैं, वे कार्य कर रहे थे। उसने कार्य किया और कार्य करते वक्त कुछ हमारे साथियों को सदन से जाने के लिये विनम्रतापूर्वक भी कहा था। कुछ ने जाने से इन्कार किया तो उनको वे उठा कर भी ले गये। कुछ आपस में संघर्ष भी हुआ होगा, मैंने संघर्ष तो देखा नहीं, परन्तु जो बातें मुझे बाद को अस्पताल से पता चला कि १०–१२ पुलिस के कर्मचारी, जो यहां पर कार्य करने के लिये आये थे अध्यक्ष की आज्ञा से उनके छोटी मोटी चोटें भी लगीं और कुछ साथियों को भी जब छीना झपटी हुयी चोटें लगी, उसका मुझे बड़ा दुःख है।

चूंकि मैं पुलिस का मंत्री हूं और पुलिस का महकमा अध्यक्ष जी की सहायता के लिये जब यहां कार्य करता है तो उसे उलाहने भी सहने पड़ते हैं और वह कार्य भी जो बहुत क्षेत्रों में अप्रिय समझा जाता है, करना पड़ता है, लेकिन अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी है और वह कार्य सम्पादन के लिये उन्हें बुलाता है। तो मैं यहां पर विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर सदन में, आज के हालात में जगह-जगह परिस्थितियां पैदा हो जायं कि जिससे सदन के संचालन में तमाम दिक्कतें और अड़चनें

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

पैदा हों तो फ़िर कौन सी व्यवस्था अध्यक्ष करें जिससे सदन चल सके। अगर हम सब स्वीकार करते हैं गणतंत्र की परम्परा को तो, हमने इसलिये स्वीकार किया है कि इसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक विचार व्यक्त करने का अधिकार है और प्रत्येक विचार विनिमय के पश्चात एक निर्णय लिया जाता है और पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में जब तक किसी का बहुमत रहता है वह दल सरकार को चलाता है और अपनी नीतियों को सम्पादित कराता है। यही तौर तरीका है।

आज हम यहां बैठे हैं और कल चौधरी साहब या कोई अन्य साहब यहां आ कर बैठ सकते हैं और वे अपनी नीतियों का संचालन करेंगे। यदि हम वहां बैठ कर उसी प्रकार की प्रक्रिया करें जिसका दिग्दर्शन २६ तारीख को यहां हुआ तो चौधरी साहब अथवा उनके साथी जो सरकार को चलाते होंगे वे क्या करेंगे ? वे क्या अध्यक्ष को सहायता देने में यदि वे सहायता मांगेंगे, हिचकिचायेंगे ? (व्यवधान) जरा मेरी बात सुन लें। बाद में आपको कहने का पूरा अधिकार है। क्या वह ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ? क्या पुलिस पहली मर्तबा इस सदन में बुलाई गयी ? माननीय सदस्य सोशलिस्ट पार्टी के नाराज हो जायंगे लेकिन १९६१–६२ में भी इसी प्रकार की दो-तीन मर्तबा बातें हुईं और पुलिस को आना पड़ा और पुलिस के जरिये से कुछ साथी हटाये गये। यदि हम यह परम्परा मान लें कि किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नेम कर दें और नेम करने के बाद मार्शल उसके पास पहुंच जायं और मार्शल के कहने से वह हट जायं तो फ़िर अध्यक्ष को मजबूर होकर जो दूसरा कांड करना पड़ता है वह न करना पड़े। आखिर को कुछ न कुछ हमसे भी भूल होती है। जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं और उनका पालन नहीं करना चाहते हैं तो हमारे बीच में कार्यवाही होती है।

मैं विनम्रतापूर्वक सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ भूलें उस दिन भी हुईं कुछ साथी अवश्य ऐसे थे जो न तो जाना चाहते थे बाहर और जो न इन तमाम बातों में हिस्सा ले रहे थे। अध्यक्ष जी ने स्वतः उन साथियों से क्षमा-याचना भी कर ली और मैं भी करता हूं हालांकि मेरे लिये कोई अवसर नहीं था। अध्यक्ष के आदेशों को सम्पादित किया जा रहा था। मैंने किसी को आदेश नहीं दिया था कि अमुक को पकड़ो या अमुक को रखो। मैं सलाह देता तब ही शिकायत होती। हां, मेरे विभाग के कर्मचारी, अधिकारीगण अवश्य थे जो कि व्यवस्था कराने के लिये आये थे और जिनको अध्यक्ष जी ने आदेश दिया था। किदवई साहब की चर्चा की गयी कि मुख्य मंत्री जी के पास आये। मैंने यही तो निवेदन किया था कि इस विषय में कुछ कीजिये लेकिन मैं तो उन्हें आकर आदेश दे नहीं सकता। आदेश अध्यक्ष के हैं। आप चाहते हैं तो उन्हें जाकर बतलाइये, वही यह व्यवस्था करें। मैंने कई साथियों को देखा खास कर पी० एस० पी० वाले जो लाल टोपी लगाये हुये थे वे लोग यहां बैठे हुये थे। वे भी बाद में चले गये। या तो मार्शल ने कहा या पुलिस वालों ने कहा यह मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने उनकी टोपियों को देखा। सामने पुलिस वालों की लाइन पड़ती थी जिसके कारण देख नहीं सकता था। उस लाइन के पीछे क्या हो रहा था मैं नहीं देख पाया। लेकिन इतना अवश्य देखा कि किताबें आईं जूते भी आये, गद्दियां भी आईं इधर भी और उधर तो काफ़ी संख्या में गयीं। तो यह कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसकी भर्त्सना न की जा सके।

मैं जानता हूं कि जहां तक विषयों का सम्बन्ध है चौधरी साहब को कोई इंकार नहीं है। लेकिन पुलिस का मामला जब आयेगा तो उन्हीं की जो कथनी है, जो कुछ उन्होंने कहा है वह पढ़ दिया करूंगा, यह मैंने तय कर लिया है, क्योंकि मेरे और उनके विचार मिलते जुलते हैं, मुझे उनसे कोई इंकार नहीं है। अगर वह मेरठ के जिले अथवा उत्तर प्रदेश के कुछ झगड़े न रखते तो शायद बहुत कुछ विचारों में नजदीकपन हो जाय लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि मैं उस विषय में कुछ चर्चा नहीं करना चाहता।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक कांड हो गया जो दुर्भाग्यपूर्ण है, अशोभनीय है और जिसमें कोई दो मत नहीं हैं, जिसने कसूर भी किया है वह भी जब गम्भीरता से विचार करता होगा तो

सोचता होगा कि कोई अच्छी बात हमने नहीं की और सदन के गौरव और गरिमा को बाहर नहीं बढ़ाया और दूसरों की नजरों में अपने को गिराया। तो अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय आपने नियमों के अन्तर्गत लिये, मेरी अकल जितनी काम देती है और जितना मैंने उन नियमों को समझा है उससे मैं समझा कि सदस्यों के साथ आपने जो कार्यवाही की वह कोई कानून के खिलाफ़ नहीं थी। मैं समझता हूं कि वह ठीक कार्यवाही हुई। परन्तु वह वातावरण बदलना चाहिये और बदलाव लाने के लिये सब दलों के नेतागण स्वतः विचार करें और इन चीजों को रोकने के लिये ऐसा प्रबन्ध करें कि जिन साथियों ने कोई फूल की है—जिसने नहीं की है वह तो लिख कर दे सकता है कि हमने नहीं की है—क्या हमारी मान्यताओं का यह तकाजा नहीं है कि हमसे भूल हो गयी तो सदन को पूरा अख्तियार रहेगा कि ऐसे साथियों को यहां आने के लिये इजाजत दे। पहले भी सदन के कुछ साथी एक-एक महीने के लिये निलम्बित किये गये परन्तु जब वह सदन के सामने आये तो स्वतः उन्होंने रिग्रेट शो कर दिया तो उन्हें बुला लिया गया और सदन का कार्य करने की इजाजत दे दी गयी। तो क्या वह कांड जो हमने पहले रचा है वह दोहराया नहीं जा सकता। और वह कांड ऐसा था जिससे कि जो आपस में मनोमालिन्य या भ्रान्तियां पैदा हो गयी थीं वह दूर हो गयी थीं। तो जहां मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं वहां विनम्रतापूर्वक सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुये ऊपर उठिये और ऊपर उठ कर उन सब साथियों से जिन्होंने भूलें कीं उनसे निवेदन करें कि अपनी भूलों को स्वीकार करें। मुझे यकीन है कि जिन साथी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे और अध्यक्ष महोदय उन्हें क्षमा प्रदान करने के लिये तैयार होंगे। इस तरह से वातावरण ठीक होगा और इस तरह से हमारे बुजुर्ग साथी नौजवान साथियों को उस रास्ते पर चलने के लिये आमंत्रित करेंगे जिस पर चल कर जनतंत्र की जड़ें इस देश और प्रदेश में मजबूत होंगी।

चौधरी साहब कहते थे कि हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हमने कुछ किया नहीं है। लेकिन क्या यह वाकया नहीं है कि यहां दो-तीन आदमी नाच रहे थे। श्री डी० पी० बोरा नाच रहे थे और कह रहे थे कि "गुप्ता मुर्दाबाद"। तो गुप्ता ने क्या किया था? लेकिन वह नाच रहे थे और एक दफा हटाये गये, दूसरी दफा हटाये गये मगर बराबर नाच-नाच कर कह रहे थे "गुप्ता मुर्दाबाद"। तो क्या यह शोभनीय है। क्या मेरे लिये यह मुनासिब होगा कि मैं ऐसे साथी को तरजीह दूं। मुझे मालूम है कि चौधरी साहब ने अपने साथियों की काफी मात्रा में ताड़ना की है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। माननीय कमलापति जी, चौधरी साहब, राजा साहब और भी बहुत से साथी यहां हैं उन सबसे सदन यह मांग करता है कि जितने हमारे नवयुवक गलत रास्ते पकड़ रहे हैं चाहे सदन के बाहर हों या सदन के भीतर, उन्हें सही मार्ग दिखाने की चेष्टा करें। इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और इसके द्वारा हम गणतंत्र की रक्षा कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि चौधरी चरण सिंह और अन्य दलों के नेतागण मेरी भावनाओं को उसी स्पिरिट में लेकर मेरी बातों को स्वीकार करने की क्षमता प्रदर्शित करेंगे।

*श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मिठास और माधुर्य के साथ अपनी बात रखी। मैं देख रहा हूं कि बहुत दिनों से इधर गुप्ता जी अग्रसर हो रहे हैं और मेरे प्रति उनकी मुहब्बत बहुत उमड़ रही है। लेकिन मुझे यह डर लगता है कि दांत दिखाने के और हैं और खाने के शायद और हैं। मुझे यह डर है कि जनतंत्र, गणतंत्र प्रणाली और स्वस्थ परम्परा आदि की बातें हम माननीय मित्र से बहुत दिनों से सुनते हैं और उन्हीं बातों को सुनने में फिर खुशी होती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है।

पिछली बार मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन प्वांट के बारे में बोलते हुये कहा था कि जनतंत्र की कामयाबी के लिये कुछ कुछ बातें जरूरी हैं। उनमें से एक बात मैं यह कहना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

कि डैमोक्रेसी में जब गवर्नमेंट बदलती है तो उसकी नीति बदलती है लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं आता है। जब कोई गवर्नमेंट बदलती है तो एडमिनिस्ट्रेशन यथापूर्व वैसा ही रहता है। लेकिन यहां पर जमीन आसमान बदल गया। जब आप विजयी हुये तो दूसरी तरह से बिहेव किया और आज भी बिहेव कर रहे हैं और माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा और कृष्णानन्द राय जी से मैं कह भी देता हूं कि आप उसी तरह से अमल कर रहे हैं। आपकी फौज बाहर से आई और प्रदेश में फतह प्राप्त कर ली। हम मफ्तूह हैं और फातह हैं। आज कांग्रेस सदस्यों के अलावा हर सदस्य यह महसूस करता है कि वह सेकिन्ड ग्रेड सिटीजन है। यह मेरे मुताल्लिक नहीं है बल्कि सभी दल इस चीज को अहसास करते हैं। आपके साथियों को जो अधिकार हैं वह हमारे साथियों का नहीं है। जब आप यह हमारा खयाल मिटा देंगे तो आपको बड़ी भारी कामयाबी होगी और तभी जनतंत्र कामयाब होगा। आपके स्पीच देने से कामयाब नहीं होगा। आप फाइल्स पर लिखते हैं उसकी छाप अफसरों पर पड़ती है कि वह कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार करें और दूसरी पार्टी वालों के साथ दूसरी तरह का व्यवहार करें।

आज के सिलसिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही सीमित बात कही थी। मैंने यह कहा था कि कानून और कायदे के खिलाफ इन २५ आदमियों को निकाला गया है और जब उनको नियमावली के नियमों के विरुद्ध निकाला गया है तो यह माना जाना चाहिये कि वे इस माननीय सदन के सदस्य हैं। उनको सदन में नहीं आने दिया जा रहा है तो इसके मानें यह हैं कि यह सदन इनकम्पलीट है। इसलिये पहले उनको बुला लिया जाय। उनको यहां आने की इजाजत दी जाय और उनके निलम्बन का सवाल उठा लिया जाय। यह मैंने कहा था लेकिन बहस का दायरा बहुत बढ़ गया। मैंने यह भी अर्ज किया था कि मैं दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर पेश करने वाला हूं कि पुलिस द्वारा जैसे उनको निकाला गया और उसके बाद सदन में जो कार्यवाही हुई वह नाजायज, इनवैलिड और इल्लीगल है और उसको एक्सपंज किया जाय। उस सिलसिले में मेरा इरादा था बहुत सी बातें कहने का लेकिन मेरे दोस्तों ने बहुत खूबी के साथ कह दीं। लेकिन उनमें से कुछ बातें जो मेरी राय में हैं वह दोहराना चाहता हूं, लेकिन एक दूसरी बात और है वह २५ तारीख की बात है, जो त्रिपाठी जी ने उठायी, आपके सम्बन्ध में जो हम लोगों को शिकायत है जिसमें आप का व्यक्तित्व आता है उस पर आज हम कुछ कहना नहीं चाहते। वह आज बहस का विषय नहीं। आपके सिलसिले में मोशन आ चुका है। वह गालिबन १०, १२ सितम्बर को आयेगा तब उस पर मैं और मेरा दल शायद विचार का इजहार करेंगे। उस वक्त स्नैप वोट वगैरह और डेमोक्रेसी कैसे चलती है, डेमोक्रेसी चलने के लिये क्या क्या शर्तें जरूरी हैं उन सब का जिक्र होगा। इसलिये उसका इस वक्त जिक्र करना नहीं चाहता लेकिन आपकी इजाजत से यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो अजेंडा मिला है बिजिनेस का वह २०–२१ सितम्बर तक का है। लेकिन मेरे कान में भनक पड़ी है कि आज, कल या परसों, कोई निश्चय नहीं किया है गुप्ता जी ने या गवर्नमेंट ने, लेकिन शायद विचार कर रहे हैं कि इस हाउस को उठा दें नवम्बर, दिसम्बर या जनवरी में मीटिंग हो। मैं समझता हूं कि मेरी इत्तला गलत है। लेकिन सही भी हो, चूंकि आपके सम्बन्ध में प्रस्ताव आ चुका है, इसलिये १०, १२ सितम्बर को फिर सदन बैठना चाहिये ताकि पूरी बहस हो जाय डेमोक्रेसी वगैरह पर और जो २५ तारीख को वाकायात हुए हैं उन पर। आज उसके सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैंने जो पहले प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया था, उस पर मैं कमरे में बैठा हुआ सुन रहा था, रामस्वरूप वर्मा जी ने भी अच्छा भाषण किया, लक्ष्मीरमण आचार्य जी आये उनका जवाब उदितनारायण जी ने दे दिया, नित्यानन्द स्वामी जी ने, राजा साहब, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। केवल एक बात जो मैं कह चुका उसको दोहराना चाहता हूं कि नियमों में चाहे जो कुछ लिखा हो, और चाहे सदन के सामने कोई घटना हुई हो उसके सम्बन्ध में निकालते हैं तो, उनको मौका जरूर मिलना चाहिये अपनी बात कहने का। वह प्रिंसिपिल आफ नैचुरल जस्टिस है। वह बुनियादी सिद्धान्त है कानून और इंसाफ का।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह यह है कि उस रोज सारे अपोजीशन को निकाल दिया जाना---लेकिन उससे पहले मैं आपके जरिये अपने मित्रों के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ भी २५ को हुआ उसके सिलसिले में पहले कह चुका और २६ को जो कुछ हुआ, जूता फेंका गया या गद्दी या किताब फेंके गये, और अपशब्द इस्तेमाल किये गये, मैं उनको होल हार्टेडली विदाउट रिजर्वेशन कंडेम करता हूं। उसमें दो रायें हो नहीं सकतीं। हमारा हमेशा रुख रहा है कि जनतंत्र ऐसे चलेगा नहीं। पार्लियामेंट एक फ्रेंच शब्द है जिसके मानी हैं टाकिंग प्लेस। पार्लियामेंट में हम विवाद करके निर्णयों पर पहुंचते हैं। विवाद नहीं हो सकेगा अगर नीयत पर हमला किया जायगा, जिसको अनपार्लियामेंटरी कहते हैं। अगर गाली दी जाय या डंडा चलायें या जूता चलायें तो यह फाइटिंग प्लेस हो जायगी, यहां बहस नहीं हो सकती है। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा ---जो कुछ मैंने यह पहले कहा हो, आई स्टैंड बाई आल आफ देम। मेरी राय अब भी वही है। लेकिन इसमें एक लेकिन है। उस लेकिन को मैं बाद में अर्ज करूंगा। मेरे ऐब्सोल्युट स्टेटमेंट हैं, अनक्वालीफाइड नहीं हैं। यह नजीर नदी के दो किनारे की तरह है। यह कह लीजिये कि डेमोक्रेसी एक खेल है जिसमें दो टीमें खेलती हैं जिसमें यदि एक टीम नियमों का पालन नहीं करेगी तो दूसरी टीम भी किसी तरह नियमों का पालन नहीं कर सकती है। तो दोनों टीमों के लिये नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि आप जनतंत्र की रक्षा नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे। जो शिकायत जायज हो या नाजायज, जो बात मेरी तरफ से हुई, बी० के० डी० के लोगों से और यदि दूसरे दोस्त इजाजत दें तो उनकी तरफ से भी कहूं, वह नहीं होनी चाहिये थी।

मैं आपको कैसे बताऊं कि अपनी पार्टी मीटिंग में भी, यदि आप पार्टी मीटिंग की बात यहां पर कहने की इजाजत दें, सब दोस्तों पर यह जेहन तजवीज की है कि हरगिज-हरगिज यह बात नहीं होनी चाहिये। त्रिपाठी जी ने कहा कि किसी ने इस बात को कन्डम नहीं किया, लेकिन यह बात तब मैं कहता जब मुझे समय मिलता, पहले कैसे कह देता। अब चूंकि मुझे मौका मिला इसलिये मैं इस पर कह रहा हूं कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये। अब पुलिस बुलाने की बात यहां पर आती है, दूबे जी बहुत अच्छे तरीके से कह चुके हैं। मैं भी उन्हीं के लहजे में कहना चाहता हूं या अपने को उसमें शामिल करना चाहता हूं कि पुलिस लाईट हार्टेडली, बिना अधिक विचार किये सदन में नहीं बुलानी चाहिये। मान लो सदन में गलती हो रही है तो आपको चाहिये कि आप सदन को मुल्तवी कर दें, अगले दिन बैठें। अगले दिन भी हो रहा हो तो तीसरे दिन बैठ जायं, फिर भी हो तो चौथे दिन विचार हो। आपस में बैठ कर बातचीत कर लें, मामला तय कर लें। लेकिन पुलिस फोर्स जो यहां पर बुलाई जाती है और जिस तरह से वह बिहेव करती है और जैसा गुप्ता जी ने और त्रिपाठी जी ने कहा वे जो जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें हैन्डेल, मिसहैन्डेल या मैन हैन्डेल करने का उनका काम नहीं है। वह जनता में शान्ति और उनकी सुरक्षा के लिये असामाजिक तत्वों से पेश आते हैं। उनका ढंग और तरीका नेकनियती से भी उनसे गलती हुई है जो स्वाभाविक है। लेकिन कसूर उनका इतना नहीं है जितना उन जिम्मेदार लोगों का हो जाता है, जो यह आदेश देते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाय।

चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या और कोई उधर का सदस्य हो आप सब वैसे ही जनता के प्रतिनिधि हैं जैसे कि इस तरफ के बैठने वाले लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं आवेश में या जल्दबाजी में और इस तरह से बिहेव करने लगते हैं जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है। वैसे ही जैसे एक डी० एम० इल्लीगल मॉब को डिस्पर्स करने के लिये टियर गैस छोड़ने का आदेश देता है। श्रीमन्, मैंने तो सुना कि आज यहां पर लाठी चार्ज की पूरी तैयारियां थीं। लेकिन मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। बाहर पुलिस का इस तरह से बैठना और उसका इस तरह से जमघट कितनी अनुचित बात है यह आप सोचें। वे रोज इस तरह की सेवा करने नहीं आते थे जैसे

[श्री चरण सिंह]

आज आये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले समझता था कि जो पहले का बन्दोबस्त था उसे कैंसिल करना चाहिये था। विश्वास करना चाहिये था हम पर और यदि विश्वास पर धोखा होता तो रिस्क लेना चाहिये था। क्या बात थी, १५ मिनट में तो पुलिस लाईन से पुलिस आ जाती। मुझे तो सुन कर बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ कि आपने लाठीचार्ज की व्यवस्था कर ली थी। लाठीचार्ज और पुलिस इकट्ठा करने की बात में समझता हूं---गम्भीरता की बात नहीं है। यह दलील तो बिलकुल ठीक है कि आप काम नहीं करने देंगे तो लाठी चलेगी। ठीक है आपके पास शक्ति है आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा होगा तो जनतंत्र नहीं चलेगा। जो यहां पर हुल्लड़ हुआ, अव्यवस्था हुई, सोच विचार कर उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये थी बजा इसके कि पुलिस यहां पर बुलाना, पुलिस हरगिज हरगिज नहीं बुलानी चाहिये थी।

आपके प्रेडीसेसर श्री मदन मोहन वर्मा थे उनके जमाने में यह तय हुआ था कि पुलिस किसी भी सूरत में सदन में नहीं बुलायी जायगी और आपकी स्पीकर्स कानफरेंस ने भी, उन्होंने भी कई बार स पर विचार किया और यह निर्णय किया कि पुलिस सदन में नहीं बुलायी जानी चाहिये। क्यों नहीं आप इसके ऊपर अमल करते हैं, क्यों पुलिस को यहां पर बुलाया? यहां पर पुलिस को बुलाने की बात छोड़ो, अध्यक्ष महोदय, फिर एक और बात है। यह सारी खराबी की जड़ है। हम कभी भी जम्हूरियत को पुलिस के जरिये से नहीं चला सकते हैं। यह कभी हो नहीं सकता। दूसरे अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करें कि क्या आपका यह इम्प्रेशन है कि बजट पास कराने की जिम्मेदारी आपकी ही है। क्या आप बजट को येन केन-प्रकारेण पास कराना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? आपका यह इम्प्रेशन ठीक नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ समय नियत करने की है। लेकिन आप ने परसों सदन में कहा है, अध्यक्ष महोदय, कि नियम यह है कि बजट पास कराने के लिये हम सब कुछ कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं। यह जो सब कुछ है इसमें बहुत आ गया है। इस सम्बन्ध में जो नियम है उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं। वह नियम १९८ है---

"वित्तीय कार्य के निस्तारण के लिये समय सीमा।"

यह नियम का टाइटिल है उससे मालूम होता है लेकिन आप आगे पढ़िये---

"इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी प्रयोज्य शक्तियों के अतिरिक्त उन समस्त अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो समस्त वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के लिये आवश्यक हों और विशेष रूप से ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों की पूर्ति के लिये समय नियत कर सकें .....।"

यह खास तौर से दे रखा है। आज लगता है कि विशेष अधिकार यानी आपको जो अधिकार और शक्ति है वह यह है कि आप किसी नियम को निरस्त करके या सस्पेंड करके या आर्डर का पालन करके आप समय दे सकेंगे। इसमें उसको विशेषतः मेंशन किया है। मैं इसको फिर से पढ़ता हूं---

"उन समस्त अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो समस्त वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के लिये आवश्यक हों और विशेष रूप से ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों की पूर्ति के लिये समय नियत कर सकेंगे।"

तो अध्यक्ष महोदय, इसमें आपको समय नियत करने का अधिकार है, आप लाठी चार्ज नहीं करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इसका मतलब यह तो नहीं लगा रहे हैं कि आप लाठी चार्ज करा सकते हैं। आप लाठी चार्ज नहीं करा सकते हैं। यह नियम १९८ के मातहत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ़ करें आप हम सब को इस हाउस को रिप्रेजेन्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह है कि फ़ोर्स यूज करके, परसुएड करके, इस तरह से प्रार्थना करके कर सकते हैं। मैंने कहा कि शक्ति यानी मिनीमम फ़ोर्स यूज करके ऐसी चीजें इसमें आती हैं लाठी नहीं आती है इसमें।

श्री चरण सिंह—

मैं ठीक नहीं समझा आपका क्या मतलब है। न्यूनतम फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं यह मतलब नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप हमारे रिप्रेजेन्टेटिव हैं। सारे सदन के नियम बनाने का अधिकार है तो यह नियम नहीं बन सकता था कि आप उनके ऊपर लाठी चार्ज करायें।

श्री अध्यक्ष—

लाठी चार्ज नहीं।

श्री चरण सिंह—

वह आप कह रहे हैं। आपका कहना है कि लाठी चार्ज कराना जरूरी हो।

एक सदस्य—

न्यूनतम फ़ोर्स, सिंपिल इंजरी करके।

श्री चरण सिंह—

न्यूनतम फ़ोर्स से चोट तो लगेगी लेकिन ग्रीवियस इन्जरी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम २९९ (५) देखें। अध्यक्ष को अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूरी शक्ति होगी और पूरी शक्ति होगी कि वे आवश्यक कार्यवाही, किसी भी प्रक्रम पर आवश्यक बल का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री चरण सिंह—

यह मैं बाद में अर्ज करूंगा। आपने कल जो प्रोसीडिंग्स में कहा कि १९८ नियम में आपको यह अधिकार है वह नियम १९८ यह अधिकार स्पीकर को नहीं देता और नियम २९९ भी आपको वह अधिकार नहीं देता कि आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन उस पर मैं बाद में कहूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी नौबत ही नहीं आती। नौबत तो यहां तब आती है जब समय कम रखा जाता है। अब आपने रूलिंग दे दी तो मैं क्या कहूं? लेकिन २ महीने से ज्यादा का वोट आन एकाउन्ट नहीं होना चाहिये लेकिन ५ महीने का, करीब आधा साल का, वोट आन एकाउन्ट रखा गया। फ़िर आपने जल्दी ही क्यों नहीं सेंक्शन कर दिया क्यों २१ जुलाई से शुरू किया गया, क्या पहली जुलाई को शुरू नहीं किया जा सकता। तो २१ जुलाई से शुरू किया गया और यह हुआ कि २४ दिन तक किया जा सकता है। और उसमें वह रखा जाता है और यह कहा जाता है कि इसे २८ तक जरूर पूरा होना चाहिये। यह अपोजीशन के लोग इतने अगर क्रिमिनल हो जाते जिसकी वजह से कल आपने पुलिस को बुलाना जरूरी समझा अगर आप पर टाइम का प्रेशर न होता कि २८ अगस्त तक इसको पास करना है तो आपने पुलिस को न बुलाया होता। अगर आपने १५ दिन पहले सेशन को बुलाया होता और १५ दिन आपके पास होते तो आप सदन को स्थगित करते और इनको-उनको और हममें से सभी को आप बुलाते और बातें करने का आपके पास समय होता।

श्री अध्यक्ष—

मैं इससे एग्री करता हूं ।

श्री चरण सिंह—

बहुत-बहुत शुक्रिया । अब मैं जानता हूं कि जिस तरीके से लोगों को निकाला गया उसके लिये कह कर अब २९९ पर आता हूं । श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने प्रस्ताव पेश किया ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, इसमें ढाई बजे तक ग्रान्ट का समय है । अब चूंकि आप भाषण दे रहे हैं, आप इसको पूरी तरह से जारी रखें । मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं लेकिन यह सब ग्रान्ट्स अब इकट्ठा गिलोटिन करके ली जायंगी और उसके लिये मैं समय नियत करता हूं कि पौने चार बजे सब ग्रांट्स पर एक साथ वोट लिये जायेंगे तब तक आप चाहे इस पर चर्चा करें या ग्रांट के ऊपर । अगर आप ग्रांट के ऊपर चाहें तो उसके लिये मौका हो सकता है लेकिन यह सब इसी के बीच में होगा ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्वाइंट्स आफ़ आर्डर हैं । जब उन दोनों प्वाइंट्स आफ़ आर्डर्स पर जबाव हो जायगा तब हमें यह तय करना है कि हमें यहां रहना है या नहीं रहना है । माननीय लक्ष्मीरमण जी ने प्रस्ताव पेश किया है वह निलम्बन का पेश किया था । मैं समझता हूं कि आपने यहां कहा था और जो प्रोसीडिंग्स मेरे पास हैं उसमें यही है कि जिनको मैंने इंगित नहीं किया है उनका निलम्बन कैसे होगा । लेकिन लक्ष्मीरमण जी ने कहा कि नहीं आपने सबको निकालने का हुक्म दिया और इसलिये आपने सबको इंगित कर दिया और जब वह नहीं माने तब आपने निलम्बन का प्रस्ताव रखा और उसको भी बिना निकाले जाने वालों की बातों को सुने उनको निलम्बित कर दिया गया ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने यह नहीं कहा था मैंने तो यह कहा था·····

श्री अध्यक्ष—

वह आपको आज की बात को नहीं कह रहे हैं, परसों की आपकी स्पीच को पढ़ रहे हैं ।

श्री चरण सिंह—

यह आपके लफ्ज हैं कि 'जब आपने उनको बाहर जाने का आदेश दिया तो उसका पालन नहीं हुआ । उसके बाद जब वह बाहर नहीं गये तो यह खयाल किया जाना चाहिये कि जो लोग बाहर नहीं गये ' उन सब को श्रीमान् ने इंगित कर दिया । आज भी वह यही कहते हैं कि "सिंगुलर इन्क्लूडस प्लुरल" । न तो मैं दीवानी का अच्छा वकील था और न फौजदारी का । दीवानी में वकालत जरूर की थी और जिस जगह की वह अच्छी खासी जगह थी फ़िर भी मैं अपने को अच्छा वकील नहीं मानता हूं । फौजदारी में मैंने कभी नहीं की । लक्ष्मीरमण जी दीवानी के नहीं हैं वे फौजदारी के वकील हैं । वे क्रिमिनल के वकील हैं । अब यह बतायें कि यहां पर भी सिंगुलर इन्क्लूडस प्लुरल करते हैं या नहीं ? होना यह चाहिये था कि तब लोगों को निकाला जाता कि जब उनसे कहा जाता कि निकल जाओ और वे न जाते जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा । एक और बात मेरे साथी ने कही कि क्या कारण था कि बैठे रह गये । जब आप आये लेकिन मैं जब आया तो आपके सामने सिर नवाया और बैठ गया । फिर उसके बाद रामधारी जी से आपकी बात हुई और उनसे डंडे की बात हुई । लेकिन मेरी बाबत आपके २६ तारीख के कार्यवृत्त में क्या लिखा है । यह छपा हुआ है इसमें लिखा है कि "इस समय नेता विरोधीदल तथा विरोधीदल के अन्य सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये और शोर मचाने

सगे।" कौन कह सकता है कि मैंने शोर मचाया। मैं जानता हूं कि आप नहीं कह सकते हैं कि मैं शोर मचा रहा था। यह आपकी प्रोसीडिंग में लिखा गया है। फिर कौन यकीन करेगा कि यह जो यहां पर प्रोसीडिंग लिखी जाती है यह सही लिखी जाती है। यह तो जो हो गया सो हो गया। हमें लोग जब स्कूल कालेज में पढ़ा करते थे तो वहां पर लड़के एक कहावत कहा करते थे कि "गान्धी यह याद है आपको? "गांधी जाग, तेरे घर में चोर।" तो जागो खेर साहब, आपके घर में गड़बड़ है। आपने देखा होगा, मैंने शोर नहीं मचाया।

श्री अध्यक्ष—

बात यह थी कि इसमें है कि सब खड़े हो गये, आपने नहीं, और सदस्यों ने शोर मचाया।

श्री चरण सिंह—

शोर मैंने नहीं मचाया, मैंने तो रोका। और इसमें लिखा है "इस समय नेता विरोधी दल तथा विरोधी दल के अन्य सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये और शोर मचाने लगे।" यह अगर आपकी राय में सही है तो सही है, चलिये छोड़िये।

श्री अध्यक्ष—

आप रोक रहे थे, यह बात सही है। आप शुरू कीजिये। आशय यह था कि ये लोग खड़े हो गये और शोर मचाने लगे, आप से मतलब नहीं था।

श्री चरण सिंह—

लेकिन यहां तो उल्टा हो गया और मेरे दोस्त सुन लें अध्यक्ष महोदय की रूलिंग कि इसमें गलत लिखा है, मैंने शोर नहीं मचाया, बल्कि लोगों को रोका।

श्री अध्यक्ष—

मैं करेक्ट करवा दूंगा, आप ठीक कह रहे हैं।

श्री चरण सिंह—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि आप किसी को आर्डर दे सकते हैं २९९ के अधीन कि सदन से बाहर चले जाओ। न जाय तो आप इंगित कर सकते हैं और आपके इंगित करने के बाद फौरन नेता सदन को खड़े हो जाना चाहिए, वे प्रस्ताव लायें बाकायदा और उसके बाद उन सज्जन को बाहर चले जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर न जायं....

श्री अध्यक्ष—

उसका पांचवां क्लाज पढ़िये २९९ का।

श्री चरण सिंह—

मैं आ रहा हूं पांचवें पर। तो अध्यक्ष महोदय, उसमें उनको बाहर चले जाना चाहिए और अगर बाहर नहीं जाते हैं तब आप बल प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हर एक के खिलाफ़ आप अलग अलग कर सकते हैं, सामूहिक रूप से नहीं कर सकते। कल के भाषण में एक जगह आपने कहा कि "जो शोर मचा रहे हैं उनको निकाल दो" और बाद में आपने पुलिस से यह कनफ़र्म किया कि "सब निकल गये या नहीं निकल गये"। यह आप सोच लीजिये। यह जाहिर है कि कल के उस वातावरण में अध्यक्ष महोदय, हम सभी शायद हो शहवास खो बैठे। कम से कम हमारे ये लोग तो खो ही बैठे। आपने कहा कि सब लोगों ने खाली कर दिया हो तो पुलिस का फोर्स बिदा हो जाय.....

श्री अध्यक्ष—

यानी बाधा डालने वाले.....

चरण सिंह—

नहीं, इसमें तो "सब" लफ्ज हैं। और एक जगह कहा है कि "जो लोग शोर मचा रहे है उनसे खाली करा लिया जाय।"

श्री अध्यक्ष—

"शोर मचा रहे हों और बाधा डाल रहे हों।"

श्री चरण सिंह—

उन्होंने साफ़ ही कर दिया तभी तो बात हुई। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह नहीं हो सकता। अलग-अलग निकाल सकते थे, सामूहिक रूप से नहीं निकाल सकते थे। दूसरा यह है २९९ (५) "अध्यक्ष को अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूरी शक्ति होगी और वे कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेंगे या करने का अधिकार दे सकेंगे।" अध्यक्ष महोदय, यह जो "पूरी शक्ति" है मेरे ख्याल से अथारिटी उसका लफ़्ज है जिसका तर्जुमा किया गया है। शक्ति के माने हैं फ़िजिकल पावर, आर्म्ड पावर। तो अथारिटी शब्द का ठीक तर्जुमा नहीं हो पाया और आपने हिन्दी का पढ़ लिया जिसमें शक्ति लिखा है जिसके माने पूरी माइट जो स्टेट की है वह इस्तेमाल की जा सकती है। नहीं, उसमें लिखा है कि आवश्यक बल प्रयोगकर सकते हैं और उस आवश्यक बल प्रयोग को आपके प्रेडीसेसर्स तय कर चुके हैं और आप स्पीकर्स कान्फ़रेन्स में जाते होंगे। उसमें है कि हाउस गार्ड्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए न कि पी० ए० सी० को बुलाकर उसका उपयोग करना चाहिए। प्रदेशीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी और आवश्यक बल प्रयोग दोनों में फ़र्क है। वह एक पूरी ताकत हो गई, आवश्यक बल, न्यूनतम बल नहीं रहा वह पूरा बल हो गया। पहले तो मैं अर्ज करता हूं कि उसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आप १५ दिन का वोट आन एकाउन्ट और दे देते और तीन-चार दिन बाद बात कर लेते और पुलिस के आने की नौबत नहीं आने देना चाहिए। आवश्यक बल किस सिलसिले में इस्तेमाल करें। जब आप इंगित कर दें और निलम्बित हो जाय। किसी सदस्य को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की या सदन को स्थगित करने या उपवेशन के निलम्बन करने की अध्यक्ष की शक्ति का उल्लेख नियम २९९ के अन्तर्गत एक-एक करके दिया गया है। उसमें यह है कि जब निलम्बन हो जाय और न जाय तो आप न्यूनतम बल इस्तेमाल करते। यह कुछ नहीं हुआ। २९९ के जो सब सेक्शन्स हैं उसका जो मेन परपज है उसकी रोशनी में पढ़ा जाय। इंटरप्रिटेशन का यही नियम है और उसको आप अलग से नहीं लगा सकते।

अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि अगर आपका जजमेन्ट यह हो जाय, परमात्मा न करें, गलती से हो जाय कि चरण सिंह इस वक्त बकवास कर रहा है, सदस्यों को भड़का रहा है और उसका साथ दे रहे हैं माननीय सदस्य यह उनकी मुद्रा से मालूम देता है तो क्या पी०ए०सी० को बुलाकर आप कह सकते हैं कि इन सभी को साफ़ कर दो? यह नहीं हो सकता है? उसके लिए अगर कोई नियम होता तो वह अलग से होता और उससे अध्यक्ष को अनलिमिटेड पावर दे दी जाती तो ठीक था। कल आपने इस तरह से काम करने के लिए मनमानी आपको अनलिमिटेड पावर दी गई है। २९९ में यह है कि बाहर जाने के लिए आप कहें और न जाय, आप इंगित करें, माननीय गुप्ता जी प्रस्ताव पेश करें और वह निलम्बित हो जाय और फ़िर न जाय तो एक-एक करके आप निकलवा सकते हैं आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करके लेकिन सामूहिक रूप से अध्यक्ष महोदय नहीं निकलवा सकते। और वह इससे भी साबित है। २९९(६) पढ़िए। यह कहता है "सदन में घोर अव्यवस्था होने की दशा में अध्यक्ष किसी उपवेशन को ऐसे समय के लिए जिसे वह निर्धारित करें निलम्बित कर सकेंगे।" एक आदमी अव्यवस्था करता है, आपके आदेश का उल्लंघन करता है तो अवश्य निकाल दें बल का प्रयोग करके लेकिन घोर अव्यवस्था हो तो आपको अधिकार सभी को निकालने का नहीं है एडजार्नमेन्ट करने का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एडजर्नमेंट करने का ही आप का सबसे बड़ा अधिकार है। आप भूल जायं कि आप पी०ए०सी० को बुला सकते हैं। अगर पांच के बजाय छः में ज्यादा अधिकार होता तो छठवां पहले लिखा जाता और पांचवां बाद में लिखा जाता लेकिन नहीं, छठवें में आपको फाइनल पावर है। अगर सारी अव्यवस्था हो जाय तो आप "एडजर्नमेंट फार द डे" करके चले जायं। आप अध्यक्ष हैं, आपमें होलिंग टच होना चाहिए। जो कल हुआ वह बिल्कुल गलत हुआ। बावजूद उस सब के जो यहां हुआ था पुलिस यहां नहीं आनी चाहिए थी और इस तरह से कान पकड़ कर नहीं निकलवाना चाहिये था। यह जो कान पकड़े गये तो जैसा राजा साहब ने कहा आज हमारे पकड़े गये तो कल आपका नम्बर आयेगा। यही नहीं जो खामोश बैठे थे वे भी चले गये। मेरे दोस्त राहत मौलाई ने तो मार्शल से लिखवा कर भी ले लिया। आपका कोई परवाने पर आर्डर नहीं था कि जो जोर कर रहे हैं उन्हें ही निकलवायें बल्कि आपके सेक्रेटरी, मार्शल ने कहा कि "आल दो यू आर सिटिंग कामली एन्ड क्वाइटली", सबको निकालना है। अध्यक्ष महोदय, यह गल्ती हो गयी।

पटेल साहब की रूलिंग कोट की गयी। माननीय त्रिपाठी जी ने भी पढ़ रखा होगा। उन्होंने कहा कि वह तो इस वजह से हो गया कि उन दिनों गवर्नमेंट अनरिप्रीजेन्टेड थी। ऐसा नहीं था। स्वराज्य पार्टी अपोजीशन की मेन विंग थी। पं० मोतीलाल जी उठ कर चले गये। आपकी इजाजत से उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। मुझे तो उसे पढ़कर खुशी हुई। वह इस तरह है :

Mr. PRESIDENT—The Chair regrets the circumstances which have necessitated the withdrawal from this Chamber of the largest party in this House.

अध्यक्ष को खेद है इस बात का कि ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने मजबूर कर दिया इस हाउस को लार्जेस्ट पार्टी को जाने के लिये।

Whether the crisis could have been averted or not by tactful and wise handling is not a question on which the Chair is called upon to make any statement. The fact, however, remains that the House ceases to be representative in the sense in which it was intended to be by the Government of India Act, and it is for Government to consider how far they should continue this House or not.

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रिप्रीजेन्टेटिव पीपुल इधर भी हैं और उधर भी हैं। रिसपोन्सिबिल गवर्नमेंट है।

तो जो गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का ऐक्ट था उसी के मुताबिक गवर्नमेन्ट बनी थी, वे लोग अनरिप्रेजेंटेड थे और वे इर्रेसपान्सिबिल थे। वे लोग चुने हुये नहीं थे, जिन्होंने वाक आउट किया।

श्री चरण सिंह—

दोनों तरह के—मैं तो यह कह रहा हूं कि चुने हुए दोनों तरफ के थे। हमारे लीडर्स थे और अपोजीशन से मतलब है जो कांग्रेस में थे और अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन चुने हुये लोग दूसरी तरफ थे। तो मैं यह कह रहा था :

> The fact, however, remains that the House ceases to be representative in the sense in which it was intended to be by the Government of India Act.

[श्री चरण सिंह]

मैं कह रहा था—

And it is for the Government to consider how far they should continue this House or not.

अब और सुनिये :

There is absolutely no doubt that the Assembly, as it is, constituted now, is merely deputed to register the degrees of the Executive Government.

अगर हम सब लोगों को निकाल दिया जाए तो यह हाउस रह जायगा किसका? माननीय त्रिपाठी जी और गुप्ताजी की जो डिग्रीज होंगी उनको रजिस्टर करने का काम करेगा। इसको मेरे दोस्त नहीं मानेंगे।

It cannot be anything else and, therefore, it is for the Government seriously to consider how long they could allow this House to function.

उन्होंने यह कहा कि कोई सीरियस काम नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका मशरा है और अगर सीरियस काम किया तो मैं हाउस को एडजोर्न कर दूंगा। यह रूलिंग पूरी तरह से यहां एप्लाई नहीं करती है। क्योंकि हम लोग तो सब चले गये थे। डेमोक्रेसी का एक कन्वेंशन है और वह यह है कि ट्रेजरी बेंचेज, अपोजिशन और स्पीकर इन तीनों से मिल कर हाउस बनता है। अगर इसमें से अपोजीशन निकल जाता है तो हाउस is not duly constituted and is not properly constituted. उनको पुलिस के जरिये से कितनी बुरी तरह से निकाला गया। अध्यक्ष महोदय, जनतन्त्रीय परम्परा का शब्द तो हमारे दोस्त को बहुत प्यारा है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको उसी परम्परा के अनुसार निकाला गया था? जब वे लोग निकाल दिये गये और हाउस प्रापरली कान्स्टीट्यूटेड नहीं रहा और उसके बाद में जो कार्यवाही हुई, उसके विषय में मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर कहना चाहता हूं। उसके बाद जो कार्यवाही हुयी, बिल्स पास किये गये, रिजोल्यूशन पास किये गये, ग्रान्टस मंजूर की गयीं ये सब इन्वेलिड हैं, खिलाफ कानून हैं, बेमतलब हैं उनका कोई कानूनी असर नहीं है। तो इस संबंध में मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं दो विषयों पर। यह हाउस हरगिज नहीं चलना चाहिए। क्योंकि यह ड्यूली कान्स्टीट्यूटेड नहीं है। हम आपको यह रूलिंग चाहते हैं कि जब तक वे २५ आदमी यहां, न आ जाएं जिनको कि उस दिन निकाल दिया गया था, यह हाउस ड्यूली कान्स्टीट्यूटेड नहीं है। इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी ने कहा कि उन्होंने गल्ती की है, उन्हें निकाल दिया गया और उनको माफी मांगनी चाहिए। यह भी कहा गया कि उन्हें कानून न निकाला गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने उन २५ दोस्तों से पूछा नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिये तैयार नहीं हूं और मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त भी इसके लिये तैयार नहीं होंगे कि अगर वे नियम के अनुसार निकाल गये हैं तो आपकी मेहरबानी पर सदन में आवें।

(विरोधी दल की तरफ से मेजों की थपथपाहट)

तो हम उनको हरगिज नहीं चाहते हैं अगर वे सही तौर पर निकाले गये हैं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि वे खिलाफ कानून निकाले गये हैं। फिर मैं उस चीज को दोहराना चाहता हूं कि इस विषय पर जो आपन कार्यवाही की है हम लोगों को निकाल दिये जाने के बाद वह गैर कानूनी है। उसको निरस्त किया जाए, एक्सपंज किया जाए, वह बअसर समझी जाय और यह समझा जाय मानो कोई कार्यवाही हुयी ही नहीं है।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—

मैं सूचना के लिये नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य अथवा दल यह निश्चय करके आये कि हमको बजट किसी भी तरह से पास नहीं करने देना है और

उसके लिये हिंसा का प्रयोग करे, जूते फेंकें, किताबें उछाले, तो उस समय अध्यक्ष महोदय क्या करें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो माननीय उपाध्यक्ष उनको कागज निकाल-निकाल कर दे रहे थे, तो क्या ऐसा उनको करना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

उपाध्यक्ष को बोलने का अधिकार है, कागज देने का भी अधिकार है, इसमें कोई बात नहीं है ।

एक सदस्य—

उनके जहरीले दांत कट गये हैं या नहीं ?

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से इस सदन को कुछ मूल भूत बातें बतलाने की चेष्टा करूंगा । २५ तारीख को क्या हुआ और २६ को क्या हुआ इसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है । दुखदः घटना हुई और इन दो घटनाओं के बीच में अगर कोई सिलवर लाइनिंग (उज्ज्वल पक्ष) थी तो वहीं पर जहां मैंने हस्तक्षेप किया था । लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं । मैं संकेत के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि सदन के अन्दर और सदन के बाहर कभी भी पुलिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये सिवाय जब बलवा हो या हिंसा हो ।

(व्यवधान)

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं उन सारी मान्यताओं को मानता हूं जो कि डा० राम मनोहर लोहिया ने पुलिस के इस्तेमाल के बारे में समय-समय पर स्थिर की हैं । अब प्रश्न यह है कि आपकी और हमारी क्या ताकत है, शक्ति क्या है ? इसके बारे में मैं आप से कहना चाहता हूं जैसा कि चौधरी साहब ने अभी आप से अर्ज किया कि जो सामान्य शक्ति आपके पास है उसका सीमित इस्तेमाल निश्चय ही कर सकते हैं लेकिन बाहर की ताकत (Borrowed force) लेकर, पुलिस की ताकत लेकर कुछ करना है तो उसके लिये सोचना पड़ेगा कि उसका इस्तेमाल होना चाहिये या नहीं । पुलिस के इस्तेमाल के संबंध में प्रिसाइडिंग आफिसर्स कान्फ्रेंस द्वारा गठित कमेटी ने कुछ सिफारिशें की गयीं । मैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । सदन घोर अव्यवस्था में ही स्थगित किया जाना चाहिये और पुलिस नहीं ही आनी चाहिये । सदन पुलिस आने की जगह नहीं है, विचारों के आदान-प्रदान की जगह है, फैसला लेने की जगह है ।

बहुमत को शासन करने का और अल्पमत को बोलने का अधिकार लोकतंत्र में होता है । तो जो प्रिसाइडिंग आफीसर्स कमेटी में तय हुआ उसे मैं अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं—

"The Committee have further considered a case where the intention to create disorder in the House is premeditated and conceived outside the House. If a Party or a Group which intends to create disorder in the House on a particular day has communicated its intention to the Speaker either verbally or in writing, the Speaker should inform the House and appeal to the members to refrain from such act. If in spite of this, a member or a group of members start disorderly conduct, the Speaker should ascertain as to which

[श्री वासुदेव]

of them were bent upon creating disorder. After this process and without waiting for any further overact on the part of the members, the Speaker may name all those who had showed in the House that they would create disorder. Thereupon the Leader of the House should move a motion for their suspension from the service of the House. In addition, the Speaker may consider the question of withdrawing recognition to a Party or Group whose members have created disorder. The Committee recommend that necessary provisions to this effect may be made in the Rules of Procedure."

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घोर अव्यस्था की स्थिति में जो आपको ताकत है, सामान्यतः जितनी शक्ति आपको मिली हुई है, जितनी कौंसिल हाउस को घरेलू व्यवस्था बनाए रखने के लिए है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। घोर अव्यवस्था के लिए केवल सदन स्थगन होगा और, इसके बाद, जैसा कि प्रिसाईडिंग आफिसर्स कान्फरेन्स में तय हुआ, बातचीत का सिलसिला चलेगा। आप नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और दूसरे नेताओं को बुला कर कोई रास्ता निकालेंगे। सदन क्या है ? सदन एक हाल नहीं है, सदन कुछ उच्च लोग नहीं हैं, केवल आप और हम नहीं है। सदन वह क्रिया और प्रक्रिया है, वह निर्णय और विनिश्चय है, वह मार्गदर्शन और देशकल्याणकारी कानून और नियम हैं जो यहां ढलते हैं, इस सारी क्रिया-प्रक्रिया को सदन कहते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब सदन में प्रतिपक्ष नहीं है तो लोकतन्त्र में एक दल और अध्यक्ष का फैसला अपूर्ण सदन का फैसला होगा। (मेजों की थपथपाहट) अगर मैं कहूं ना तो बुरा लगगा। जो काम मैंने किया है, अपनी जिन्दगी में गांधी, लोहिया, और जवाहर लाल जी का भी नाम लूंगा और साथ-साथ टंडन जी का नाम भी लूंगा, उनके द्वारा सिखाए रास्ते और मार्ग-दर्शन से जो हमारे विचार बने हैं उनको मैं हल्के से दबने नहीं दूंगा। इस सदन की गरिमा जितने भी यहां सदस्य हैं सबकी गरिमा और महिमा में संलिप्ट है। यह सदन कोई कैदखाना या जेल खाना नहीं है। अगर मेरी भावना को आप जानना चाहे तो जिस दिन पहले दिन सारे विरोध-पक्ष के लोग गए और आपने मुझे बुलाकर बैठाया तो अगर २ स्वतंत्र दल के लोग हाजिर न होते तो मैं उसी दिन सदन को स्थगित करता। या मैं सदन के नेता से कहता कि जरूरी काम नहीं होना चाहिये। मैं हिंसा में कतई विश्वास नहीं करता। जन्म से ही, जिस जाति में पैदा हुआ हूं, उस जाति का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। मैं जिन्दगी में कुत्ते का कान भी नहीं काट सका। एक बार सोचा गड़ांसा लेकर कान पर गिरा दूं लेकिन मैं कान नहीं काट सका। मैंने अपनी जिन्दगी में कभी सांप बिच्छू तक नहीं मारे हैं। मैंने शासन की बड़ी-बड़ी यातनायें झेली हैं, जेल काटी है और बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हंसकर किया है। लेकिन जितनी देर पुलिस सदन में रही मेरे दुखतम क्षण थे। जहां तक गलती का प्रश्न है, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सब गलती कर सकते हैं। गलती का स्वभाव सब का है। देह धरे का दोष सभी में है। इस आदरणीय सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्विरोध चुनकर सारे देश के समक्ष जो चीज प्रतिष्ठापित की, जो एक अनुकरणीय उदाहरण सामने रखा, उसको अगर इस तरह से समाप्त कर दिया जायगा तो वह देश के हित में नहीं होगा। हमें आज किसी की नाक ऊंची हो जाय, किसी की नाक नीची हो जाय, इस विषय में नहीं जाना चाहिये। इसलिये मैं सम्पूर्ण सदन स कहूंगा कि सदन का कार्य इस ढंग से चलाया जाय जो सारे प्रदेश और सारे देश का मार्ग दर्शन करता हो और ऐसे उदाहरण सामने रखें जो दूसरों के लिये रास्ता दिखा सकें। यह बात सही है कि जो घटना घटी, वह बहुत दुखद थी। मगर उससे कुछ अच्छाई भी हुई है। उससे बहस का कुछ ढंग बदला है। हम लोगों ने नियमों का अध्ययन किया है, उनको पढ़ने की आदत डाली है। जो घट । घट चुकी, उसको उलटा नहीं जा सकता, लेकिन हमको अपनी बुद्धि और दिमाग को इस्तेमाल करके कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे कि हम सब मिल कर इस सदन को गरिमामय बनायें, इस सदन को कार्यवाही इस तरह से चलायें जिससे कि लोकतंत्र के लिये मार्ग प्रशस्त कर सकें।

मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपके जरिये से स्पीकर्स कान्फ्रेन्स का जो फैसला है उसको पढ़ देना चाहता हूं। यह अंग्रेजी में है। मैं समझता हूं अंग्रेजी में पढ़ कर मैं पाप कर रहा हूं, किन्तु मजबूरी है वह अंग्रेजी में है, उसे मैं पढता हूं—

"It is well-known that within the walls of the House the Speaker's authority is supreme. But, it is equally well to remember that this authority is based on his absolute and unvarying impartiality. His primary duty or fundamental function is to preside impartially over the sittings of the House so as to enable it to function smoothly."

"I am constrained to say that the manner in which the no confidence motion against the Punjab Speaker was brought forward was most unfortunate."

आगे कहा गया है कि सदन के नेता या और दूसरे नेता अविश्वास के प्रस्ताव लायें, इसके पूर्व ही अध्यक्ष के लिए अधिक सम्मानित होगा कि वह त्यागपत्र दे दें। लेकिन जब कोई बात कह दें और दूसरे लोग भी कह दें और जिम्मेदारी के साथ कहें क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव पूरी जिम्मेदारी और छानबीन के बाद आना चाहिये। अपने लिए मैं यह एलान करता हूं कि अगर इस.....

एक सदस्य—

ऊपर गैलरी में कोई बैठे हैं जो बारबार बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

व एम० एल० सीज० हैं।

श्री चरणसिंह—

वे बीच-बीच में कुछ कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

गैलेरी की ओर इंगित करके इधर आप बातें न करें।

श्री वासुदेव—

अन्त में यह भी अंग्रेजी में ही हैं—

"In fact, he cannot discharge his onerous responsibilities effectively if he is denied such respect. It follows that motions or resolutions for the removal of the Speaker should not be brought forward in a lighthearted manner. There are constitutional provisions, rules and conventions in this regard which should be followed scrupulously."

ऐसा लिखा है ऐसी अवस्था में नहीं आने देना चाहिये। तो मैं अपने लिये एलान करता हूं कि अगर गम्भीरता से सदन नेता और प्रतिपक्ष नेता और किसी दल के नेता मुझे कहेंगे कि आप डिप्टी स्पीकर होने लायक नहीं हैं तो एक क्षण भी मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं और मैं वहां से यहां बैठूंगा।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

इस समय का इनका भाषण उपाध्यक्ष की हैसियत से है या सदस्य की हैसियत से ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय तो माननीय सदस्य की हैसियत से हुआ है। उपाध्यक्ष की हैसियत से तो यहां बैठकर होगा।

(कुछ रुक कर)

मेरे सामने कई प्रश्न यहां पर रखे गये। उसमें व्यवस्था का प्रश्न है दो बातों के बारे में। एक तो यह कि सदन में से अगर लोग निकाले गये विपक्षी, तो सदन नहीं रहा और उसके द्वारा जितना काम हुआ है वह निरस्त किया जाय।

श्री उदित नारायण—

श्रीमन्, प्वाइन्ट आफ आर्डर मेरा यह नहीं है। वे दो हैं। पहला तो यह कि उस रोज जो निलम्बन हुआ था वह विधिवत् नहीं हुआ और उसकी वजह से जिनको नहीं आने दिया, उससे हाउस प्रापरली कान्स्टीट्यूटड नहीं हुआ।

दूसरा यह कि उस रोज जो निकाल गये वे गलत निकाल गये और उसके बाद जो कार्यवाही हुई वह अवैधानिक हुई। उसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप २५ के बारे में कह रहे हैं या सबके बारे में कह रहे हैं।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, जो २५ मेम्बरों का निलम्बन हुआ और उस निलम्बन के कारण जो आज की कार्यवाही में हिस्सा लेने से महरूम हो गये हैं। तो आज वह अवैधानिक था और हाउस इसलिये ड्यूली कान्स्टीट्यूट नहीं है। बिना उसके हाउस की कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। जब तक वह निलम्बन की कार्यवाही कैन्सिल न हो जाय और जब तक उनको शामिल करने का मौका न हो तो आज कल और परसों की कार्यवाही, जो हम सबको निकालने के बारे में हुई है, वह भी अवैधानिक है। जो बजट वगैरह पास हुआ, उसको कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह तो यह है कि जब सदन यह मान जायगा कि सदन नहीं है तब तो यह होगा नहीं पर उसके विषय में मेरा स्पष्ट मत है कि आजकल कितनी ही दफे वाक-आउट हो जाता है और वाक-आउट होने पर भी सदन कायम रहता है और जिस वक्त.....

श्री दीपनारायण मणि (जिला बेवरिया)—

एक तो अपने मन से जाना है और दूसरा निकाला जाना है।

श्री अध्यक्ष—

पूरा विरोधी दल वाकआउट कर जाता है तो भी सदन काम करता रहता है। जब तक कोरम बाकी है नियम के अनुसार तब तक सदन काम कर सकता है। यह नहीं हो सकता कि सदन अवैध है। यह बात दूसरी है कि सदन को कोई ऐसा काम करना चाहिये या नहीं। जो लोग निकाले गये इनके विरुद्ध कोई काम करना चाहिये था नहीं यह बात अलग है लेकिन उस हालत में जिसका मैंने जिक्र किया यह सदन तो सदन रहता ही है यह मेरी निश्चित राय है।

दूसरे आपने पटेल जी की रूलिंग के बारे में कहा। वह चीज एक विशेष परिस्थिति में हुई थी जब कि कोई रिप्रिजेन्टेटिव गवर्नमेन्ट नहीं थी, उस वक्त तक नियम भी नहीं बने थे बल्कि इस रूलिंग के द्वारा ही नियमों को शक्ल देने का प्रयत्न किया गया था और उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि सरकार को स्वयं सोचना चाहिये कि जब मुख्य रिप्रिजेन्टेटिव पार्टी चली गई है तो सदन का काम चल सकता है या नहीं, मतलब यह था कि ऐसा काम इस हालत में नहीं होना

चाहिए जो महत्व का हो। तो जो श्री पटेल की यह रूलिंग आपने पढ़कर सुनाई वह इस पर लागू नहीं है। परन्तु अब तो नियम बन चुके हैं और प्रक्रिया बनी है कि सदन कैसे चलेगा, उठ जाने से परिवर्तन नहीं होता उसमें केवल कोरम का प्रश्न पड़ता है और अगर कोरम कायम है तो सदन का काम चल सकता है।

दूसरा विषय लोगों के बाहर जाने का है और यह कि उनको निकाला जा सकता था या नहीं। इस संबंध में कहूंगा कि अपनी नियमावली जो प्रक्रिया की है उसको मैंने पढ़ा और आप ने जो तवज्जह दिलाई उसको भी मैंने सुना। हमारा जो नियम ७१ है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि किस अवस्था में यह हो। मेरी समझ में जब सदन चल रहा हो और वह लोग भी सामने मौजूद हों, उस वक्त अगर वैसी परिस्थिति होती तो पूछने पर वह खुद ही बता देंगे क्योंकि सदन के सामने की बात होगी। लेकिन जब वह सदस्य बाहर हों उस वक्त तो ठीक ही कहा गया है कि नियम के हिसाब से आपने ठीक किया लेकिन इसमें जूरिसप्रूडेंस का सवाल है कि यदि किसी को सूचना ही न हो कि तुम्हारे खिलाफ यह आरोप हैं और जिसका एक्सप्लेनेशन न लिया गया हो उसको बिना अवसर दिये निकाल देना यह अनुचित सा दिखाई देता है जूरिसप्रूडेंस के हिसाब से। इसलिये जो यहां बहुमत के माननीय सदस्य हैं उनके विचार के लिये मैं छोड़ता हूं कि वह खुद इसको देखें। नियम ७१ के अनुसार उनको अवसर नहीं दिया गया, जब सदन आधा चला गया था और उसके बाद जो प्रक्रिया यहां की गई उन सदस्यों के खिलाफ वह जूरिसप्रूडेंस के सिद्धांतों के हिसाब से अनुचित है। पहले सदस्य से पूछ लेना या अवसर देना आवश्यक है, मैंने इस तरह की रूलिंग दी है बाहर के लोगों के बारे में कि उनसे पूछ लेना जरूरी है मैंने कहा था मैं पूछ लूंगा तब कहूंगा कि प्राइमाफेसी केस विशेषाधिकार का होता है या नहीं चरण सिंह जी के खिलाफ बाजपेयी जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया था उस पर मैंने कहा था कि पूछ लूंगा, सदन में वह नहीं थे, अभी उनसे पूछने का मौका नहीं मिला मैं क्या कर सकता हूं, प्राइमाफेसी दिखलाई देता है मैंने देखा है लेकिन जबतक एक्सप्लनेशन न हो जाय तबतक बातचीत लंगड़ी हो जाती है। दो विरोधी दल के नेता ने जो कहा था कि उन को सदन में आजाना चाहिये आप समय दे दें आधा घंटे का और उसके बाद वोटिंग करायें। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा और मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि अगर वह अवसर देते हैं तो दोनो पक्ष के प्रेम संबंध की दृष्टि से ज्यादा अच्छा होगा और आप इस पर इनसिस्ट न करें।

रहा माफी का सवाल तो माफी किस बात की ? क्या वह इसलिये कि मुझे उन्होंने बेईमान कहा ? तो सीधी बात है मैं उन को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे बेईमान कहा, अगर मेरा हृदय, मेरा अन्तःकरण कहता है कि मैं बेईमान नहीं तो दुनिया में कोई कुछ भी कहे उससे मुझे परेशानी नहीं होती। उन्होंने ऐसा कहा तो वह अभी लड़के हैं, नौजवान हैं मैं तो उनको क्षमा की दृष्टि से देखता हूं, मेरे वे भाई हैं सदन के सदस्य हैं।

अब जो दूसरा प्रश्न है माननीय सदस्यों को निकालने के बारे में। मैं समझता हूं कि उस बारे में किसी और रोज चर्चा हो जाय और अच्छा हो कि हम लोग इस बात को तय कर लें कि बजट की जितनी प्रक्रिया है इतने रोज पहले आ जाय जिसमें गुंजायश इस बात की बनी रहे कि वह बजट समय से पारित हो सके। जैसा मैंने आपसे अपील की थी—इस तरह की प्रक्रिया अगर कर लें तो कोई मौका ही नहीं आये कि अध्यक्ष को समय से बजट को पारित कराने के लिये कोई ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़े। उसमें यह हो सकता है कि वह हाउस को ऐडजर्न करदे लेकिन उस पर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि उस समय विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य ऐसा कह सकते हैं कि हम सदन को नहीं चलने देंगे या मेजें थपथपाने लगें तो एक-एक को निकालने की प्रक्रिया को अख्तियार करें तो नतीजा यह होगा इस तरह से एक एक को, रोज निकाला जायेगा और वे इसी तरह से रोज करते रहेंगे। रहा यह कि जो निलम्बन किया गया वह उचित नहीं था या बाद में जो चीजें की गयीं वे सही नहीं थीं, इस बारे में

[श्री अध्यक्ष]

विचार करने के लिए मैं कोई कमेटी बैठाने के लिये तैयार हूं कि वह इस बात को देख लें कि किसी भी प्रकार से ऐसी परिस्थिति न आवे आगे क्योंकि मैं भी बहुत दुःखी हूं और मैं इसको पसन्द नहीं करता कि एक भी पुलिस वाला यहां आ जाये। मुझे यह भी पसन्द नहीं है कि मार्शल का इस्तेमाल किया जाय इन कामों के लिये क्योंकि एक जमाने में यहां मार्शल था ही नहीं। मैं ही प्रार्थना करता था और यह सब बातें होती थीं। अगर आप उस सिद्धान्त को बना लें कि थोड़ी गलती हो जाय, जो अध्यक्ष हो उसकी गलती हो जाय तो एकदम से उसकी नियत पर हमला कर दें, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि नियत पर हमला करना विशेषाधिकार को अवहेलना है, यह स्पष्ट रूलिंग है कि अध्यक्ष की अथारिटी को सब लोग मानें, उसकी इम्पार्शियलिटी को चैलेंज न करें।

श्री चरण सिंह---

सब का विश्वास हो।

श्री अध्यक्ष---

अथारिटी विश्वास से ही चलती है, यह बात नहीं है कि अथारिटी चले और विश्वास न हो। इसीलिये मैंने कहा कि अगर आपने अपने दिल में समझ लिया कि मैंने कोई पक्षपात किया और इधर के लोगों को गिनता रहा, ऐसी बात नहीं थी, मैं किसी को गिनता नहीं रहा, मैं यह देखता रहा क्योंकि यहां से आवाज आ रही थी कि लाबीज से लोग घुस रहे हैं, फिर मैंने घण्टी बन्द कर दी। मैं चाहता था कि विरोधी दल के साथ समझौता हो जाय और उस पर आधा घंटा बहस होती तो ढाई बजे वोटिंग हो जाती।

जहां तक स्नैप वोटिंग की बात है, इतना तो मुझे ज्ञान है कि अगर स्नैप वोटिंग हो जाती और सरकार हार जाती तब भी वे कह देते कि हम इस्तीफा नहीं देते क्योंकि यह स्नैप वोटिंग है। जहां तक गवर्नमेंट को बचाने का सवाल है, मेरी समझ में नहीं आता कि बचाने का सवाल कहां से पैदा हो गया। जब विरोधी दल की ओर से विभाजन की मांग पर जोर दिया गया तब व्यवस्था का प्रश्न उप-मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और इस बात की कोशिश की इस बात को दोनों पक्षों से जान सकूं कि आप लोगों में क्या समझौता हुआ है। मेरे पास उस समय कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव मौजूद नहीं था बाद में प्रस्ताव देखने पर यह स्पष्ट हुआ कि सरकारी पक्ष का कथन सही है कि केवल ढाई बजे और ५ बजे वोटिंग की बात तय हुई थी मेरी ही अध्यक्षता में लेकिन मैं भूल गया था और वोटिंग कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जब पहले व्यवस्था का प्रश्न किसी ने नहीं उठाया था। जब अध्यक्ष कोई चीज भूल जाता है तब अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट व्यवस्था का प्रश्न उठा कर किया जाता है कि आपने यह व्यवस्था दी थी, यह तय हुआ था फिर यह अव्यवस्था का प्रश्न कैसे हुआ। किसी भी अवस्था में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। जब शोरगुल हो तो सदन को ऐडजर्न करने का अधिकार अध्यक्ष को है। इस तरह के शोरगुल और झगड़े वोटिंग में १९६७ में हुए थे तो श्री अग्रवाल ने सदन को स्थगित कर दिया था। मैंने रूलिंग नहीं दी थी और सदन से निवेदन किया था कि बताइये क्या आपसी समझौता था लेकिन जब शोरगुल हुआ तो मैं इतना कह कर चला गया कि मैं १५ मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं। शोरगुल में हमारे डिप्टी साहब ने भी नहीं सुना। इसी से पता चला कि शोर गुल काफी था। मैं तो जोरों से कहकर चला गया कि मैंने सदन १५ मिनट को स्थगित कर दिया। इससे मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की। अब प्रश्न यह है कि जो शब्द सदस्यों ने मेरे प्रति कहे उसके लिए तो मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। तो आप भी उन्हें, कोई शर्त न लगा कर मेरी रूलिंग के अनुसार, वापस लेने को तैयार हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जो आपने विचार व्यक्त किये, उनको अपनाते हुए जो आपकी आज्ञा है, वह शिरोधार्य है।

श्री चरण सिंह---

श्रीमन्, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि उन लोगों ने भी और बहुत से मेरे साथियों ने भी गल्ती की, यह मैंने तस्लीम कर लिया और जिन्होंने गल्ती नहीं भी की, उनकी भी मैं तस्लीम करता हूं लेकिन यहां पर कुछ आधे के करीब तो बिना गल्ती के ही निकाले गये। मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि सदन की कार्यवाही खिलाफ कानून हुयी और हाउस लीगली कान्सटीट्यूटेड नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

अगर उन्होंने गल्ती की बात की तो उन्हें निकाला, उन्होंने मुझे बेईमान कहा।

श्री चरण सिंह---

वह गल्ती अलग रही। उसको बाद में देखा जायगा। उनकी तरफ से और सब लोगों की तरफ से मैंने दुःख प्रकट कर दिया। प्रश्न यह है कि वह नियमों के विरुद्ध हुआ। जब वे लोग सदन में आयें तो उनकी गल्ती की बात हो सकती है, अगर उठे।

श्री अध्यक्ष---

नियम के अनुसार तो ठीक हुआ लेकिन जुरिस्प्रुडेन्स के हिसाब से यह बिल्कुल अनुचित है। जो काम उस रोज किया गया वह काम करने का अधिकार तो सदन के नियमों के अनुसार ठीक था लेकिन उन लोगों को निलम्बित करना जुरिस्प्रुडस के सिद्धान्तों के हिसाब से ठीक नहीं था।

श्री चरण सिंह---

श्रीमन्, आपकी इन दोनों रूलिंग्स पर हम लोगों को खेद है और उसके विरोध में मैं और विपक्ष के सभी सदस्य हाउस को सारे दिन के लिए छोड़ते हैं।

(विपक्ष के सभी सदस्य सदन का त्याग करके चले गये।)

श्री अध्यक्ष---

(माननीय नेता सदन को सम्बोधित करते हुए) क्या आपका अब कोई प्रस्ताव है जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उनका निलम्बन इतना कम कर दिया जाय या खत्म कर दिया जाय?

(आवाजें---नहीं)

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैंने आपके विचारों को सुनकर और आपकी भावनाओं को ध्यान में रख कर आपके आदेश को स्वीकार कर लिया था लेकिन उसके उपरान्त जो तर्क दिया गया और जो तर्क सदन ने सुना उसे दृष्टि में रख कर मैं कोई प्रस्ताव सदन के समक्ष रखने को उद्यत नहीं हूं।

## १९६९-७० के आय-व्ययक पर अनुदानों के लिये मागों पर मतदान---अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)---

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२२,६२,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२२,६२,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ४३--प्रकीर्ण व्यय

श्री अतीकुर्रहमान--

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४४,९४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४४,९४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या--४--बिक्री-कर

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४--बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८२,२९,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४--बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८२,२९,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ६--स्टाम्प

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६--स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,६०,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६--स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लि लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,६०,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ७--निबन्धन

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७--निबन्धन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २१,६९,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७--निबन्धन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २१,६९,७०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५२,८४,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५२,८४,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ५२--पेन्शनों का राशि मूल्य

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२--पेन्शनों की राशि मूल्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,५५,७०० पये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२--पेन्शनों की राशि मूल्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,५५,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ५४—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५०,९७,७१,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५०,९७,७१,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन अनुज्ञा देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ पुरःस्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं सदन का बहुत अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। केवल एक बात जो कि इस बीच हो गई उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करके यह प्रस्ताव करूंगा कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ को पारित किया जाय। जब बजट इस सदन के समक्ष पश किया गया था तो मैंने अपने भाषण में कुछ चीजों का जिक्र किया था और उनमें से मैंने यह भी आशा व्यक्त की थी कि जो हमारा अनकवर्ड डेफिसिट है वह करीब ३७ करोड़ के लगभग है वह उससे पूरा हो जायेगा जो धनराशि फाइनेंस कमीशन हमें उस समय देगा। वह हमारी आशा सफल हुई और मुझे प्रसन्नता है कि फाइनेंस कमीशन आने वाले ५ वर्षों के लिये हमारे नान प्लान्ट आइटम में हमारे डेफिसिट को पूरा करने के लिये जो धनराशि दी वह ६२० करोड़ है। उसके द्वारा मुझे निश्चित विश्वास है कि हमारा उत्तर प्रदेश निरन्तर और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मैं आपके द्वारा माननीय सदन की ओर से फाइनेंस कमीशन को हार्दिक धन्यवाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहता हूं। यह सही है कि जितनी हम चाहते थे उतनी मांग स्वीकृत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उदारतापूर्वक जितनी मांग स्वीकार की गई है वह उचित है और मैं सदन की ओर से और आपकी ओर से केन्द्रीय सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने फाइनेंस कमीशन की इन सिफारिशों को स्वीकार किया जिसके द्वारा धनराशि इस प्रदेश को तथा अन्य प्रदेशों को प्राप्त होगी।

एक विशेष बात यह हुई कि कुछ अन्य सिफारिशें स्वीकार की गई हैं जिनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने फाइनेंस कमीशन के सामने रखा था और जिनकी सदन में भी चर्चा हुई थी। उनमें से सबसे बड़ा सिद्धान्त यह मान लिया गया है कि किसी भी प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लि जहां तक प्रश्न है उसके लिये जिन उपायों का सहारा लिया जाय। उनमें एक बात यह स्वीकार कर ली गई कि जो हमारी जनसंख्या है, उसके अनुसार फाइनेंस कमीशन विनियोग दे और जो टैक्स पूल है उसका भी वितरण उसी प्रकार से होना चाहिये। यह बड़ी भारी चीज है और मेरा खयाल है और मैं सदन से बिना संकोच कह सकता हूं कि जैसा कि हम लोगों का विचार था कि ९५० करोड़ की योजना पर्याप्त नहीं है और उसको बढ़ाना पड़ेगा तो यह हमा ी आशा भी फलीभूत हो गई है और जो ९५० करोड़ की धनराशि है उसको समय के क्रम से बढ़ाने की चेष्टा करेंगे जिससे हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके और पांच वर्ष बाद जब हम इकट्ठे होंगे ो कह सकें कि हमारे प्रदेश ने निश्चित रूप से प्रगति की है और प्र ेश के पिछड़ेपन को दूर करने में काफी अंश सफल हुये हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विनियोग को उपस्थित करता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विषय पर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह गांधी शताब्दि वर्ष है। आज देहातों में बहुत से गांव हैं जहां पानी पीने के लिए हरिजनों के लिए बहुत ही दुर्लभ हो रहा है। इसलिए हरिजन कल्याण विभाग की तरफ से उनके लिए पानी पीने के साधन मुहइया किये जाने चाहिए। जिस हाथ में समाज कल्याण विभाग दिया गया है वह बहुत ही कमजोर हाथ है। उनसे समाज कल्याण विभाग लेकर माननीय मुख्य मंत्री अपने हाथों में लेने की कृपा करें, जिससे समाज कल्याण का काम आगे बढ़ सके और हम लोगों का उद्धार हो सके। साथ ही सीलिंग से जो जमीनें पड़ी हैं, उनका मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं, शीघ्र से शीघ्र बटवारा होना चाहिए और गांव समाज की जमीन का भी शीघ्र से शीघ्र बटवारा होना चाहिए जिससे हरिजनों और भूमिहीनों को जमीनें मिल सकें जिससे उनका निस्तार हो सके। यही मुझे कहना है।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री की इस खुशखबरी से बहुत खुशी जाहिर करता हूं कि फाइनेंस कमीशन ने उन्हें इतना धन दिया, जिस धन से अपना नियोजन चलेगा। एक ही बात मैं चाहता हूं कि उदारतापूर्वक आ जाय। वह यह भी कह दें कि जहां वह मजबूरी में टैक्सेशन करने की सोचते थे वह टैक्सेशन अब नहीं करेंगे। उसी के साथ मैं उनसे यह भी सुनना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर के ऊपर चाहे किसी भी वित्त का आदमी हो उससे अगले दस पांच वर्ष तक कुछ मांगने की चेष्टा नहीं करेंगे। यह गलती हुई है और वह हुई है वहां से, कि कुछ ऐसे सामान खरीदे जायं जिससे ग्रामीण उत्पादन बढ़े उस पर कुछ टैक्सेशन किया जाय। मैं समझता हूं यह सदन का निश्चित मत होगा, और माननीय वित्त मंत्री जी और यह सरकार इस विचार की होगी कि इस प्र ेश में सबसे अधिक अगर महत्व का कार्य है तो वह खेती कार्य है। उसमें करोड़ों आदमी लगे हुए हैं। वह उत्पादन बढ़ाएं। बड़े किसानों पर टैक्स लगने वाला था, जो आदर्श के रूप में छोटे किसानों में चल सकते हैं, जब कि सीलिंग है, और वृहतापूर्वक सीलिंग से जमीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

लेकर दूसरों को दे सकते हैं तो बड़े छोटे का भेदभाव उत्पादन बढ़ाने को दृष्टि में रख कर उन पर टैक्सेशन न करें। माननीय वित्त मंत्री को उदारतापूर्वक इसका भी ऐलान करना चाहिए।

एक आध बातें ऐसी हैं जिनकी ओर यदि ध्यान न दिलाया जाय तो अपना कर्तव्य पूरा नहीं होगा। सरकार का जो बजट है उसका काम सिर्फ ला ऐण्ड आर्डर मेंटेन करना नहीं है। यह सरकार विकास के लिए नियोजन करती है और करोड़ों देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयत्न करती है। उसके लिए जरूरत पड़ती है कि वह करोड़ों-अरबों रुपये इकट्ठा करे और नियोजित अर्थ व्यवस्था ले आये जिसमें नीचे का आदमी ऊपर उठ सके। चाहे बड़े आदमी की जेब से कुछ निकल जाय लेकिन नीचे वाले आदमी को उठने का मौका मिले।

मैं समझता हूं कि नियोजन का यही उद्देश्य है और कांग्रेस पार्टी कम से कम इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। मैं बार-बार इस सदन का ध्यान दिला रहा हूं। वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिला रहा हूं। (उद्योग मंत्री के द्वारा खड़े होकर आपस में बातचीत करने पर) उद्योग मंत्री जी हमारे काम में दखल न करें तो अच्छा हो। यह तो चीफ ह्विप भी हैं, जो हमारी बातों को नहीं सुनने देते। इन तीन महानुभावों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण अब ऐसी जगह पर है कि अब उसको किए बिना काम नहीं चल सकता।

श्रीमन्, मैं यह किसी गैर से नहीं कह रहा हूं, मैं चीनी मिल मालिकों का कोई दुश्मन नहीं हूं। ये चीनी मिल वाले ३०-४० वर्ष पुरानी मशीनों से चीनी तैयार करने का काम करते हैं इतनी पुरानी और पिछड़ी मशीनों से यह गन्ना नहीं पेर रहे हैं, बल्कि यह किसानों को पेर रहे हैं। यदि इन चीनी मिलों को आधुनिक ढंग से सुसज्जित करने का प्रयत्न किया जाय, तो करोड़ों पया सरकार को अपने खजाने से निकालकर देना पड़ेगा। इसलिये उनको इस तरह से रिनोडेट करना उचित नहीं कहा जा सकता। जनता के टैक्स का, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा मिल-मालिकों को देना, और जिसको वह वापस करें या न करें, अच्छा नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है और जिस तरह से उसने सोचा है कि जिसमें कन्ज्यूमर्स गुड्स पैदा होते हैं उन इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर्स में ले आना चाहिए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि २०५-२०७ फैक्टरियां इस देश में चलती हैं और ५० से ऊपर कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। उत्तर प्रदेश में जहां भी अथाराइज्ड कंट्रोलर के अन्डर में फैक्टरियां आयी हैं, उनमें मुनाफा हुआ है। करोड़ों आदमियों को राहत दिलाने के लिये, हमारे २०-२५ लाख गन्ना पेरने वालों के हित के लिये, लाखों श्रमिकों के लाभ के लिये, जो लाखों-करोड़ों रुपया सरकार टैक्स की छूट करती है, इन सबको कराने के लिये यह आवश्यक है कि २०-२५ परिवारों के हाथों में जो मिले हैं उसको पब्लिक सेक्टर में लाकर सार्वजनिक हित किया जाय। मैं इस अवसर पर यह सूचना मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूं कि १३० आदमियों के दस्तखत कराकर, जो इस सदन के सदस्य हैं और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मैंने एक गैर-सरकारी प्रस्ताव दिया है कि शुगर फैक्टरियों का नेशनलाइजेशन करने के लिये। यू० पी० की सरकार को यदि अधिकार नहीं है तो वह भारत सरकार से कहे कि वह हमें यह अधिकार दे कि उसे नेशनलाइज करने का हम विचार करें। वह प्रस्ताव गया और संयोग है कि वह प्रस्ताव गलती हुई और बजट में वह किसी भाई के नाम से आया। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसकी व्यवस्था करें कि उस पर विचार हो सके और यह सदन अपनी संस्तुति केंद्र को भेजे। मैं निवेदन करूं कि इसका परिणाम क्या होगा। दो एक बात मैं बार-बार कहा करता हूं और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे सामने से एक समाचार

गुजरा। यह 'कामर्स' में छपा था, जो कि एक अच्छी पत्रिका है, उद्योगपतियों का पत्र है, उसमें लिखा है कि पिछले वर्ष यू० पी० को किसी फर्म ने हमारा शोरा पंजाब सरकार को १७५ रुपये फी क्वींटल बेचा और लाखों क्वींटल बेचा जिसे मुलैसेज कहते हैं। यह मुलैसेज जो ६७ पैसा फी क्वींटल का है १७५ रुपये फी क्वींटल में जाकर बिका पंजाब में।

हमारी मशीनरी, हमारा प्रशासन कुछ नहीं समझता है और किस जगह सोया रहा। श्रीमन् इससे ज्यादा करप्शन क्या हो सकता है। ६७ पैसा कंट्रोल प्राइस मुकर्रर हुई थी उस ६७ पैसे क्विंटल से १७५ रुपये क्विंटल पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदा जाते से और उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी को पता नहीं लगा ताकि उसको पकड़ कर करोड़ों रुपया सरकार को आ सकता है। उसको लाने की चेष्टा की जाय। श्रीमन् इस साल हमारे यहां ५६ लाख क्विंटल मोलेसेज पैदा हुआ और ५६ लाख क्विंटल का श्रीमन १० पये क्विंटल के हिसाब से ५ करोड़ ६० लाख रुपया आ सकता है पब्लिक एक्सचेकर को। यह क्यों नहीं किया जा रहा है। श्रीमन यह जरूरी है। सरकार बैठे हुए काम नहीं चला सकती है। हमारे हाथ में करोड़ों नहीं अरबों रुपया आना चाहिये। जरूरत इस बात की है कि अरबों रुपया सरकार के हाथ में आये। अभी हमारे भाई गंगा प्रसाद जो कह रहे थे कि गरीब हरिजनों में और ग्रामीणों को पीने के पानी की दिक्कत है, इसके लिये हम सोच नहीं सकते हैं कितनी देर में हम वह कमी पूरी कर पायेंगे।

श्रीमन्, इस योजना को चलाने के लिये, इस प्रशासन को सुचारू रुप से चलाने के लिये और गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी देने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ से करोड़ों और अरबों पया निकाल कर ले आएं, जिसके पास पैसा है और जो देने लायक हैं, उनसे वह पया निकालने की जरूरत है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ जगहें हैं जहां से करोड़ों रुपया निकाल सकते हैं। यह करोड़ रुपया निकालने की जगह है। आज जैसे सेल्स टैक्स है, उससे ४०-४२ करोड़-करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है। हम उससे ८० करोड़ की आमदनी कर सकते हैं। मैं एक बात उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं। लखनऊ में हमारी नाक के नीचे रबड़ की जितनी चीजें हैं ये दुगुनी और तिगुनी कीमत पर बिकती हैं, यह कंट्रोल प्राइस नहीं है। अगर कंट्रोल होता तो उनको सजा मिल सकती थी कंट्रोल तोड़ने के लिये। जैसे सेल्स टैक्स का कानून तोड़ा जा सकता है उसको पकड़ा जा सकता है क्योंकि कैश मेमो देने की परिपाटी है। अगर कैशमेमो देगा तो पकड़ा जायगा इसलिये कैशमेमो नहीं देता है। कैश मेमो उतने का ही देते हैं जितने की लिस्टेड प्राइस है। तो हमारी कंट्रोल की मशीनरी क्या कर रही है। मेरा यह निवेदन है कि सेल टैक्स से ही साल भर में चालीस करोड़ रुपया दुबारा आ सकता है। मैं ४०-४२ करोड़ कह रहा हूं लेकिन उससे ८० करोड़ रुपया आ सकता है। उसको देखने की जरूरत है। श्रीमन्, उसी तरह से आमदनी का एक और जरिया है।

शुगर मिल कोई घाटे की चीज है? उनसे करोड़ों रुपया पब्लिक एक्सचेकर में जायेगा और हम किसानों की मदद कर सकेंगे और चीनी खाने वालों की मदद कर सकेंगे। यहां पर मांग यह होती है कि जब देश भर में विपत पड़ जाये, चीनी न पैदा हो तो वह उनके लिये अच्छे दिन हैं अच्छे नहीं हैं दिन हमारी सरकार के लिये और हमारे समाज के लिये वह बुरे दिन हैं। अगर अच्छे दिन आने हैं तो आज इस बात की जरूरत है कि टैक्सेसन के जरिये खोजें और शुगर इन्डस्ट्री को नेशनलाइज करें। श्रीमन्, इसके द्वारा आप ऐसा कदम उठायेंगे जो हमारी सरकार में चार चांद लगा सकता है, सूबे को चार चांद लगा सकता है और प्रशासन को लगा सकता है और इस असेंबली के मेम्बर कहेंगे कि हमने ऐतिहासिक काम किया। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ इस बात को अर्ज करता हुआ कि मुख्य मंत्री जी इसके लि शीघ्र कदम उठायेंगे और शीघ्र कदम उठा कर हमारी जिन्दगी बढ़ायेंगे और हमारी सरकार की जिन्दगी बढ़ायेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारी जो बिजिनस ऐडवाइजरी कमेटी थी उसमें यह तय हुआ कि इस सदन से विनियोग विधेयक पास होने के बाद काउंसिल में जाएगा। इसलिये इसमें समय की बात होनी चाहिये। इस समय चार बज रहा है। इसको इस समय तक पास हो जाना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह---

मान्यवर, श्री बसन्त लाल शर्मा जी को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। शुगर इन्डस्ट्री का नेशनलाइज करने के संबंध में जो स्मरण-पत्र दिया है उस पर बसन्त लाल शर्मा जी ने भी दस्तखत किये हैं जिसके संबंध में मैं कह रहा हूं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में बार-बार कहा जाता है कि आप मुझे समय देंगे लेकिन मुझे आपने आज तक समय देने की कृपा नहीं की है।

श्री अध्यक्ष---

पहले श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा बोल लें, फिर आप बोल लें। अच्छा अब आप ही बोल लें।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक का जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है का समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सरकार से इस प्रदेश की उन्नति के लिये पर्याप्त धन प्राप्त किया है। मेरा संक्षेप में निवेदन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के पूर्वी अंचल जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके लिये कहता हूं कि व्यवस्था की जाय, विशेषकर फैजाबाद जिले का जो पूर्वी अंचल है जिसमें हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उसकी तरफ मैं उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह उसकी व्यवस्था करें।

*श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में हिस्सा लिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक दो बातें जो उठाई गई हैं उनके संबंध में केवल दो तीन मिनट में बात कह देना चाहता हूं। पीने के पानी की समस्या के संबंध में हम लोग यहां एलान कर चुके हैं कि हमारी नीतियों के अनुसार यह हमारी प्राथमिकता है। उसको हम पूरा करने की चेष्टा में हैं।

मान्यवर, कुछ बातें टैक्सेसन के संबंध में आईं। माननीय गेंदा सिंह जी ने किसानों की बात उठाई और प्रदेश के हित का प्रश्न आया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि टैक्सेसन की आवश्यकता पड़ी तो हमें इकट्ठा होकर विचार करना पड़ेगा। यह भविष्य का प्रश्न है। इस समय वह समय नहीं है। आपने चीनी उद्योग के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं। चीनी उद्योग के नेशनलाइजेशन की बात आई। माननीय मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि यह केंद्र का विषय है और जहां तक हम लोगों का प्रश्न है मान्यवर, मैं अपने मित्रों से केवल दो शब्दों में एक बात कह देना चाहता हूं कि हम अत्यन्त निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने का प्रयत्न किया है और उसके बढ़ाने के लिये हम सुविधायें दे रहे हैं। सेल्स टैक्स में हमने २३ नई इन्डस्ट्रीज के लिये हमने रा-मैटीरियल फ्री कर दिया है और कई इन्डस्ट्रीज को हमने उसके सेल्स टैक्स में रियायत की है। उसके लिये हम उसी प्रकार से कुछ नई योजनायें बना रहे हैं कि इन्डस्ट्रीज को हम बढ़ायें। उस संदर्भ में यदि आज हम बहुत जोरों से बातें करने लगें। और यह कहने लगें कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे तो इससे न हमारे प्रदेश का हित होगा और न वह इस प्रदेश के हित में होगा। मैं गेंदा सिंह जी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भावनाओं से परिचित हूं लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उसके संबंध में चर्चा अधिक न की जाय। तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो शुगर मिल्स अच्छी नहीं है और जो शुगर मिल्स यहां के किसानों का पैसा लिये बैठे हैं और सरकार का जो टैक्स लिये बैठे हैं उनके लिये हम कुछ सोच रहे हैं और कर रहे हैं। हम घोषणा कर चुके हैं कि कोई भी शुगर मिल अब हम को-आपरेटिव के अलावा किसी और के जरिये प्रारंभ नहीं होने दें। हमारे यहां २७ मिलें हैं जिनमें ५ कोआपरेटिव की हैं। इसी नीति के अन्तर्गत हम बढ़ रहे हैं। इस बीच हमने बैंक नेशनलाइजेशन को स्वीकार किया है। प्रदेश का भी उसमें काफी बड़ी मात्रा में हित होने की संभावना है। सेल्स टैक्स के बारे में जो माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा उसके लिये मुझे इस समय अवसर नहीं है लेकिन सेल्स टैक्स के बारे में हमने ४२ करोड़ रुपये के लगभग वसूल किया है और जितना भी बकाया है उसके लि हमने काफी प्रयत्न किया है। ८ जीपें हमने उसके लिये खरीदी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रयत्न किये हैं। हमने यह तय किया है कि मार्च, सन् १९७० के अन्त तक निश्चित रूप से प्रति वर्ष हम उसको असेस करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय, इस सदन के सम्मुख उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ को रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ और अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६९-७० के लिए ८,८३,६१,०३,१०० रुपये का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३ मार्च, १९७० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तंभ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तंभ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सब का कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९६९ की अनुसूची के स्तंभ ३ में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] ८,८३,६१,०३,१०० रुपये (आठ अरब तिरासी करोड़ इकसठ लाख तीन हजार एक सौ रुपये) होता है, अधिक न हों। उ० प्र० अधि, नियम सं० २, १९६९

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९७० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

| १ | २ | ३ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक | | योग |
| अनुदान संख्या | सेवायें और प्रयोजन | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की संहत निधि पर भारित | |
| | | रु० | रु० | रु० |
| १ | वृहत् जोत-कर .. | ३,९९,३०० | ३,००० | ४,०२,३०० |
| २ | भू-राजस्व | १४,१०,४२,९०० | १६,२०० | १४,१०,५९,१०० |
| ३ | राज आबकारी .. | ५६,१३,१०० | २,००० | ५६,१५,१०० |

अनुसूची--(असमाप्त)

| १ | २ | ३ | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान संख्या | सेवायें और प्रयोजन | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक | | योग |
| | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की संहत निधि पर भारित | |
| | | रु० | रु० | रु० |
| ४ | बिक्री-कर .. | १,२५,२९,४०० | ५,००० | १,२५,३४,४०० |
| ५ | अन्य कर और शुल्क | ३४,६९,८०० | २,००० | ३४,७१,८०० |
| ६ | स्टाम्प .. | १६,४५,४०० | १,००० | १६,४६,४०० |
| ७ | निबन्धन .. | ३७,१५,७०० | २०० | ३७,१५,९०० |
| ८ | राज्य विद्युत मण्डल | ५३,१८,६०० | ९५,६०० | ५४,१४,२०० |
| ९ | निर्वाचन .. | ८५,२३,२०० | .. | ८५,२३,२०० |
| १० | सामान्य प्रशासन | ३,३१,६३,७०० | १९,०८,१०० | ३,५०,७१,८०० |
| ११ | आयुक्त और जिला प्रशासन | १३,५७,८०,९०० | १०,१०० | १३,५७,९१,००० |
| १२ | गांव सभाएं और पंचायतें | २,००,५२,२०० | २,००० | २,००,५४,२०० |
| १३ | न्याय प्रशासन | ३,५४,९२,३०० | ६७,२७,८०० | ४,२२,२०,१०० |
| १४ | कारागार .. | ३,८७,५६,१०० | २,००० | ३,८७,५८,१०० |
| १५ | पुलिस .. | २७,९८,३६,४०० | ६,००० | २७,९८,४२,४०० |
| १६ | खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन। | १,५८,२३,००० | ६१,००० | १,५८,८४,००० |
| १७ | वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य। | ३५,७७,३०० | ३०० | ३५,७७,६०० |
| १८ | शिक्षा .. | ७९,३९,०६,१०० | २,००० | ७९,३९,०८,१०० |
| १९ | चिकित्सा .. | १७,९३,११,९०० | ११,००० | १७,९३,२२,९०० |
| २० | सार्वजनिक-स्वास्थ्य | २२,२६,०९,४०० | ७०० | २२,२६,१०,१०० |
| २१ | कृषि संबंधी विकास .. | २०,५९,२६,२०० | ९५,६०० | २०,६०,२१,८०० |
| २२ | उपनिवेशन .. | ७७,२०० | १०० | ७७,३०० |
| २३ | पशुपालन तथा मत्स्यपालन | ६,३५,६०,४०० | ३,००० | ६,३५,६३,४०० |
| २४ | सहकारिता .. | ३,०३,१७,२०० | २,००० | ३,०३,१९,२०० |
| २५ | उद्योग .. | १३,४९,२७,४०० | ७,५०० | १३,४९,३४,९०० |
| २६ | नियोजन और समन्वय | २१,०८,३३,७०० | ५,००० | २१,०८,३८,७०० |
| २७ | श्रम और सेवायोजन | ४,७१,६८,००० | ८,००० | ४,७१,७६,००० |
| २८ | सूचना निदेशालय | ३७,६३,७०० | ५०० | ३७,६४,२०० |
| २९ | अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां। | ५,४६,१८,४०० | १,००० | ५,४६,१९,४०० |
| ३० | समाज-कल्याण | ५४,११,२०० | ५०० | ५४,११,७०० |
| ३१ | राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य। | २८,९५,१९,१०० | २,००० | २८,९५,२१,१०० |
| ३२ | सिंचाई अधिष्ठान | ११,४५,३६,२०० | ४,००० | ११,४५,४०,२०० |
| ३३ | सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं। | १५,७८,२७,८०० | ६,३०,६०० | १५,८४,५८,४०० |

अनुसूची—(समाप्त)

| १ | २ | ३ | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान संख्या | सेवायें और प्रयोजन | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक | | योग |
| | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की संहत निधि पर भारित | |
| | | रु० | रु० | रु० |
| ३४ | संचार-साधनों का सुधार | १,०७,३५,३०० | .. | १,०७,३५,३०० |
| ३५ | सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान। | ४,६६,५०,५०० | ८०० | ४,६६,५१,३०० |
| ३६ | सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान। | २,१०,२१,७०० | .. | २,१०,२१,७०० |
| ३७ | परिवहन .. | ३९,२१,१०,८०० | ३,५५,००० | ३९,२४,६५,८०० |
| ३८ | दुर्भिक्ष सहायता | ३,४८,०१,००० | १,५०,०१,००० | ४,९८,०२,००० |
| ३९ | अधिवर्ष भत्ते और पेशनें | ४,३३,४४,७०० | २,३८,८०० | ४,३५,८३,५०० |
| ४० | राजनीतिक पेशनें तथा भत्ते | २६,७५,००० | .. | २६,७५,००० |
| ४१ | लेखन-सामग्री और मुद्रण | २,७०,१५,७०० | .. | २,७०,१५,७०० |
| ४२ | वन .. | ७,८१,८३,४०० | ४०,००० | ७,८२,२३,४०० |
| ४३ | प्रकीर्ण व्यय .. | ५,४३,९८,००० | ७,१०० | ५,४४,०५,१०० |
| ४५ | नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन। | २,४५,०१,७०० | १०० | २,४५,०१,८०० |
| | *ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज। | .. | ४२,०५,५८,५०० | ४२,०५,५८,५०० |
| | *ऋण कम करना अथवा उसका परिहार। | .. | १,७७,१५,३७,६०० | १,७७,१५,३७,६०० |
| ४६ | कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय। | ४९,७९,८२,००० | २,००० | ४९,७९,८४,००० |
| ४७ | औद्योगिक और वित्तीय विकास पर पूंजी परिव्यय। | ८,३३,९८,१०० | ५,००० | ८,३४,०३,१०० |
| ४८ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय। | १३,४७,१०,००० | .. | १३,४७,१०,००० |
| ४९ | सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय। | १५,४७,२४,००० | १५,९०० | १५,४७,३९,९०० |
| ५० | सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय। | २२,३७,१३,३०० | ३,००,००० | २२,४०,१३,३०० |
| ५१ | सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय | ४,४१,९०,८०० | १,००,१०० | ४,४२,९०,९०० |
| ५२ | पेंशनों का राशिमूल्य | ७,८१,७०० | ४१,८०० | ८,२३,५०० |
| ५३ | राज्य व्यापार की योजनायें | ६२,३७,९७,५०० | १०० | ६२,३७,९७,६०० |
| ५४ | ब्याज वाले ऋण और अग्रिम | ८६,०४,९५,१०० | .. | ८६,०४,९५,१०० |
| | योग | ६,६१,८२,८३,५०० | २,२१,७८,१९,६०० | ८,८३,६१,०३,१०० |

*भारित विनियोग।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९

३१ मार्च, १९७० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम। १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९६९ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्यों की समाप्ति

श्री अध्यक्ष—

अब ऋषिकेश के निकट गरुड़ चट्टी नामक पहाड़ी पर घने जंगलों के पास भारी मात्रा में चीनी इश्तहार, यंत्र तथा माओ के पोस्टर आदि का फेंका जाना तथा देहरादून के चौराहे पर माओ के पोस्टर लगाये जाने के संबंध में सर्वश्री नित्यानन्द स्वामी, शचीन्द्र नाथ बख्शी एवं उमानाथ सिंह द्वारा दी गई सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगे किन्तु संबंधित सदस्य उपस्थित नहीं हैं। इसलिये इसको समाप्त किया जाता है।

देहरादून नगर के बीच ऋषि पर्णा नदी में टैक्टर की ट्राली के बह जाने से ४० व्यक्तियों की कथित मृत्यु हो जाने के विषय में सर्वश्री नित्यानन्द स्वामी, जगन्नाथ खन्ना तथा इन्द्र लाल द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का वक्तव्य होगा। किन्तु संबंधित सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिये इसको भी खतम किया जाता है।

एटा के विधायक श्री सतीश चन्द्र शर्मा को कायमगंज स्टेशन पर कुछ गुंडों द्वारा गोली मार कर घायल किये जाने के संबंध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा दी गई सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य होना था किन्तु यह भी सदस्य की अनुपस्थिति में खत्म किया जाता है।

आई० टी० आई० गोंडा से मशीन इत्यादि आई० टी० आई० सीतापुर ल जाते बाराबंकी में ट्रक उलट जाने की दुर्घटना के संबंध में ११ अगस्त, १९६९ को पूंछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के विषय में सर्वश्री गंगा प्रसाद, आनन्द सिंह, महेश्वर दत्त सिंह, त्रिवेणी सहाय तथा दीप नारायण मणि की सूचना पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४९ के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा। संबंधित सदस्यों के सदन में उपस्थित न होने के कारण इसको समाप्त किया जाता है।

## स्वतन्त्र भारत में श्री सुरेन्द्र विक्रम के सम्बन्ध में गलत समाचार छापने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, कल २७ तारीख के स्वतंत्र भारत में छठे कालम में मुझे संविद का सचेतक लिखा गया है। मैं संविद का सचेतक नहीं हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का सचेतक हूं। तो यह ठीक कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर अगर उनके कोई प्रतिनिधि हों तो कृपा कर वह इसको ठीक कर दें अगर वे नहीं होंगे तो मेरे दफ्तर से उनके पास चिट्ठी चली जायेगी।

## सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्यों की समाप्ति—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

प्रदेश में एग्रो-इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन द्वारा दिये गये ट्रैक्टरों की संख्या के संबंध में दिनांक १२ अगस्त, १९६९ को पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ के विषय में सर्वश्री रियासत हुसैन, रामकरन सिंह तथा मैनेजर सिंह की सूचना पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४९ के अन्तर्गत आध घंटे की चर्चा। ये संबंधित सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिये इसको भी समाप्त किया जाता है।

## साहू केमिकल्स के मजदूरों पर प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम ५१ क अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो आये थे उन सब को अस्वीकार कर दिया है। नियम ५१ में मने एक सूचना को स्वीकार किया है।

एक सदस्य—

मुझे एक निवेदन करना है, मैंने दफा ५१ में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था जो सुल्तानपुर जिले की जिला परिषद् के अध्यक्ष के बारे में है। उन्होंने ४५ अध्यापकों को बिना किसी पूर्व सूचना के.....

श्री अध्यक्ष—

आप फल भेजिए उसको, मैं मंजूर कर लूंगा। श्री नित्यानन्द स्वामी का अभी मंजूर किया था और उसमें श्री सूबेदार प्रसाद और श्री राम निहोर का है। वह है साहू केमिकल्स के मजदूरों पर प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा लाठी चार्ज, इसको मैंने मंजूर किया था, इस पर माननीय मुख्य मंत्री ८ सितम्बर, १९६९ को वक्तव्य देंगे।

# *उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों और सदस्यों का वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरः-स्थापित कर दूं आज ।

श्री अध्यक्ष---

मैं जरा देख लूं कि पेश हो सकता है या नहीं ।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

२२३ के अन्तर्गत आप दे सकते हैं इसकी आज्ञा/बिल की प्रतियां बांट दी गई हैं ।

श्री अध्यक्ष---

बांट दिया गया है तो ठीक है, लेकिन और सदस्यों को भी भेज दीजिएगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(*देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७८३–७८८ पर ।)

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बज कर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ अगस्त, १९६९ ।

## नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न सं० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८१ पर]

२५ अगस्त, १९६९ तक विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर समितियों के बारे में एकत्र सूचना

| विभाग का नाम | समिति का नाम | सभापति/अध्यक्ष/संयोजक |
|---|---|---|
| नियुक्ति .. | उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्जीक्यूटिव ब्रांच) संवर्ग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये उच्च-स्तर समिति। | श्री जर्नादन प्रसाद शुक्ल, सदस्य, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश। |
| कृषि .. | (१) (क) इन्डो-जर्मन फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट, अल्मोड़ा के संबंध में स्टेट लविल प्रोजेक्ट सुपरविजन कमेटी। | कृषि मंत्री |
| | (ख) जिला स्तर पर सुपरविजन कमेटी। | जिलाधीश, अल्मोड़ा |
| | (२) राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर की गवर्निंग बाडी। | जिलाधीश, बुलन्दशहर |
| शिक्षा .. | (१) पुस्तक चयन समिति .. | श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा, अवकाश प्राप्त जज। |
| | (२) पुरस्कार योजना समिति .. | प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, उपकुलपति, काशी विद्यापीठ। |
| | (३) राज्य उच्च स्तरीय समिति .. | प्रोफेसर के० ए० एस० अय्यर भूतपूर्व उपकुलपति, लखनऊ, विश्वविद्यालय। |
| उद्योग | गैरसरकारी मुद्रणालयों द्वारा छपाई आदि के कार्य को संपादित करवाने की प्रचलित दरों में समुचित संशोधन करने के लिए सरकारी समिति। | श्री राम निवास शर्मा, उप सचिव, उद्योग विभाग। |
| श्रम | १—राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्। | श्रम मंत्री |
| | २—महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परामर्शदात्री समिति। | श्रीमती सुशीला पोहतगी, संसद सदस्य। |
| | ३—राज्य सेवायोजन समिति | श्रम मंत्री। |
| | ४—(१) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, झांसी। | श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, विधान सभा सदस्य। |
| | (२) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, हमीरपुर। | श्री बृजराज सिंह, विधान सभा सदस्य। |
| | (३) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, फतेहपुर। | श्री जयनारायन सिंह, विधान सभा, सदस्य। |
| | (४) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, जालौन। | श्री शिव संपत्ति शर्मा, विधान सभा सदस्य। |

| विभाग का नाम | समिति का नाम | सभापति/अध्यक्ष/संयोजक |
|---|---|---|
| श्रम—(क्रमागत) | (५) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, मथुरा। | श्री अशरफ अली खां, विधान सभा सदस्य । |
| | (६) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, मेरठ । | श्री विक्रम सिंह, विधान सभा सदस्य। |
| | (७) जिला शिक्षण एवं सेवायोजन समिति, नैनीताल। | श्री डूंगर सिंह, विधान सभा सदस्य |
| | (८) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, देहरादून। | श्री गुलाब सिंह, सदस्य विधान सभा । |
| | (९) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, टेहरी-गढ़वाल । | श्री रत्नमणि, सदस्य विधान सभा |
| | (१०) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, चमोली। | श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, सदस्य विधान सभा। |
| | (११) जिला शिक्षण एवं सेवायोजन समिति, पिथौरागढ़। | श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य विधान सभा। |
| | (१२) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, अल्मोड़ा। | श्री हरिदत्त कांडपाल, सदस्य विधान सभा । |
| | (१३) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, बिजनौर। | श्री खूब सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा । |
| | (१४) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, मुरादाबाद। | श्री दाऊ दयाल खन्ना, सदस्य, विधान परिषद् । |
| | (१५) जिला शिक्षण एवं सेवायोजन समिति, रामपुर। | श्री नवाबजादा सैय्यद मुर्तजा अली खां, सदस्य, विधान सभा। |
| | (१६) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, बदायूं। | श्री श्रीकृष्ण गोयल, सदस्य विधान परिषद् । |
| | (१७) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, बरेली। | श्री धर्मदत्त, सदस्य, विधान सभा। |
| | (१८) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, पीलीभीत। | श्री अली जहीर, सदस्य, विधान सभा। |
| | (१९) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, शाहजहांपुर। | श्री राममूर्ति 'अंचल', सदस्य, विधान सभा । |
| | (२०) जिला शिक्षण एवं सेवायोजन समिति, खीरी। | श्री बंशीधर मिश्र, सदस्य, विधान सभा । |
| | (२१) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, सीतापुर। | डा० श्याम किशोर, सदस्य विधान सभा । |
| | (२२) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, हरदोई। | श्री राजा हरिहर बख्श सिंह, सदस्य, विधान सभा । |
| | (२३) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, उन्नाव। | श्री भगवती सिंह (विशारद), सदस्य, विधान सभा। |

| विभाग का नाम | समिति का नाम | सभापति/अध्यक्ष/संयोजक |
|---|---|---|
| | (२४) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, लखनऊ। | श्री रामपाल त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा। |
| | (२५) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, प्रतापगढ़। | श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, सदस्य, विधान परिषद्। |
| | (२६) जिला शिक्षण एवं सेवायोजन समिति, सुल्तानपुर। | श्री शिवकुमार, सदस्य विधान सभा। |
| | (२७) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, फैजाबाद। | श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, सदस्य, विधान सभा। |
| | (२८) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, बाराबंकी। | श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला, सदस्य, विधान सभा। |
| | (२९) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, बहराइच। | श्री बसन्त लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३०) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, गोंडा। | श्री आनन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३१) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, बस्ती। | श्री धनधारी पांडे, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३२) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, गोरखपुर। | श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३३) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, देवरिया। | श्री अवधेश प्रताप मल, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३४) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, आजमगढ़। | श्री राम कुंवर, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३५) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, बलिया। | श्री जगन्नाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३६) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, गाजीपुर। | श्री रामसुरत सिंह, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३७) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, वाराणसी। | श्री लाल बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३८) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, जौनपुर। | श्री माता प्रसाद, सदस्य, विधान सभा। |
| | (३९) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, इलाहाबाद। | डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा। |
| | (४०) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, कानपुर। | श्री बेनी सिंह, सदस्य, विधान सभा। |
| | (४१) जिला प्रशिक्षण, एवं सेवायोजन समिति, मिर्जापुर। | श्री राम प्यारे, सदस्य, विधान सभा |
| | (४२) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, इटावा। | श्री होतीलाल अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा। |

| विभाग का नाम | समिति का नाम | सभापति/अध्यक्ष/संयोजनक |
|---|---|---|
| श्रम—(क्रमागत) | (४३) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, फ़र्रुखाबाद । | श्री महराम सिंह, सदस्य विधान, सभा । |
| | (४४) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, मैनपुरी । | श्री रघुनाथ सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा । |
| | (४५) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, एटा । | श्री गंगा प्रसाद, सदस्य, विधान सभा । |
| | (४६) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, आगरा । | श्री शिव प्रसाद गुप्ता, सदस्य, विधान सभा । |
| | (४७) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, अलीगढ़ । | श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, सदस्य, विधान सभा । |
| | (४८) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, मुजफ़्फ़रनगर । | श्री बलवन्त सिंह, अध्यक्ष, जिला परिषद् । |
| | (४९) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, बुलन्दशहर, | श्री खचेड़ू सिंह, सदस्य, विधान सभा । |
| | (५०) जिला प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति, सहारनपुर । | श्री महमूद अली खां, सदस्य, विधान सभा । |
| | ५—राज्य कार्यान्वयन व मूल्यांकन मंडल (पुनर्गठित) । | श्रम मंत्री । |
| | ६—उत्तर प्रदेश राज्य श्रम कल्याण परामर्शदात्री समिति । | ,, |
| | ७—परिवहन उद्योग के लिये त्रिदलीय स्थायी समिति (पुनर्गठित) । | ,, |
| हरिजन सहायक | जिला समाज कल्याण समिति (जिला-स्तर निवास तथा शिक्षा समितियों का विलयन करके ।) | राज्य सरकार मनोनीत करेगी |
| सूचना | (१) हिन्दी समिति .. | मुख्य मंत्री |
| | (२) राज्य स्तरीयप्रचार समन्वय समिति | मुख्य मंत्री |
| | (३) प्रचार समन्वय समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारिणी समिति । | सूचना निदेशक |
| निवास | (१) गाजियाबाद में उद्योगों के विकास के लिये समिति । | जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ |
| | (२) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् । | श्री मुजफ़्फ़र हसन |
| नियोजन | (१) राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् | मुख्य मंत्री पदेन अध्यक्ष, नियोजन मंत्री कार्यवाहक अध्यक्ष । |
| | (२) फ़ूलपुर स्थित इन्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन प्रोजक्ट के लिये कमेटी आफ़ डायरेक्टरान । | नियोजन मंत्री |

| विभाग का नाम | समिति का नाम | सभापति/अध्यक्ष/संयोजक |
|---|---|---|
| सार्वजनिक निर्माण | (३) पर्वतीय विकास परिषद् जिला सार्वजनिक निर्माण परामर्शदात्री समिति (पुनर्जीवित)। | मुख्य मंत्री<br>अभी सूचना उपलब्ध नहीं है। |
| सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान | (१) राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ परामर्शदात्री समिति (पुनर्गठित)। | मंत्री सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। |
| | (२) उत्तर प्रदेश राजकीय वैधशाला, नैनीताल परामर्शदात्री समिति (पुनर्गठित)। | मंत्री सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। |
| | (३) उत्तर प्रदेश राज्य परिषद् औद्योगिक एवं वैधानिक शोध (पुनर्गठित)। | मुख्य मंत्री |
| राजस्व | (१) राजस्व संहिता सम्पादन समिति (पुनर्गठित) | राजस्व मंत्री |
| | (२) राज्य (परामर्शदात्री) चकबन्दी समिति। | ,, |
| चिकित्सा | (१) राज्य स्वास्थ्य सलाहकार समिति | स्वास्थ्य मंत्री |
| | (२) जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय समिति | जिलाधिकारी |
| | (३) केंद्रीय मेडिकल स्टोर्स की कार्य-पद्धति की जांच के लिये। | स्वास्थ्य सचिव |
| सिंचाई | राजकीय नलकूपों के निर्माण के स्थान निर्धारण हेतु समिति (जिला स्तर पर) | जिलाधिकारी |
| गृह | अवैतनिक स्पेशल मैजिस्ट्रेटों के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति (जिला स्तर पर)। | मंडलीय आयुक्त |

## नत्थो 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७ पर)

## सूची

देहरादून जिले से संबंधित चूना पत्थर की खदानों के ठेकेदारों पर दिनांक ३० जून, १९६९ को बकाया रायल्टी की धनराशि का ब्योरा

| क्रम-सं० | नाम ठेकेदार | ३० जून, १९६९ को शेष धनराशि |
|---|---|---|
| | | रु० पै० |
| १ | श्री जयराम सिंह ओबराय .. .. | १,३४३.४२ |
| २ | मेसर्स पंजाब लाइम एण्ड कं० .. .. | २१,७५१.३० |
| ३ | श्री अमर नाथ .. .. | ६,५६३.२३ |
| ४ | श्री कुन्दन लाल बख्शी .. .. | १,४६०.०० |
| ५ | मेस ए० डोन एन्ड कं० .. .. | ११,४८६.०३ |
| ६ | मेसर्स गार्डन इंडिया लाइम मार्केटिंग एसोसियेशन .. .. | ७७,७२७.१८ |
| ७ | श्री सरदारी लाल ओबराय .. .. | १४,८०४.७५ |
| ८ | श्री शिव नारायण सिंह नेगी .. .. | ७,०४९.०० |
| ९ | श्री सेठ राम औतार .. .. | ५,८७८.९५ |
| १० | लक्ष्मी लाइम स्टोन कं० .. .. | २,९८३.०६ |
| ११ | श्री लक्ष्मन दास गुजराल .. .. | १२५.०० |
| १२ | श्री चतुरगुण गुजराल .. .. | ५,५७८.१३ |
| १३ | श्री राधा कृष्ण सूरी .. .. | २,४६७.७३ |
| १४ | श्री चौधरी बेदपाल सिंह .. .. | ७५०.०० |
| १५ | श्री एस० के० खान संस एन्ड संस .. .. | २,७८६.२५ |
| १६ | श्री आशा नन्द .. .. | २,८५५.९० |
| १७ | श्री गोपाल शाह .. .. | १,७७५.४० |
| १८ | श्री रणजीत सिंह राणा .. .. | ३,७००.०० |
| १९ | श्री जी० एस० वर्मा .. .. | ६९.४० |
| २० | श्री लक्ष्मी चन्द .. .. | १,९१८.७५ |
| २१ | श्री वेद प्रकाश राजवंशी .. | ७,३२४.३३ |
| २२ | श्री पूरण सिंह .. .. | ५,४४९.०० |
| २३ | श्री शेर सिंह रावत .. .. | २,६७७.६० |
| | योग .. | १,८८,५२४.४१ |

## टेहरी-गढ़वाल जिले से सम्बन्धित चूना पत्थर की खदानों के ठेकेदारों पर दिनांक ३० जून, १९६९ को बकाया रायल्टी की धनराशि का ब्योरा

| क्रम-सं० | नाम ठेकेदार | ३० जून, १९६९ को शेष धनराशि |
|---|---|---|
| | | रु० पै० |
| १ | श्री हरी चन्द .. .. | १७,९३७.४७ |
| २ | श्री विलोक चन्द .. .. | १८,५३१.८९ |
| ३ | श्री हिमालय स्टोन ऐण्ड लाइम कं० .. .. | ९,३८१.३० |
| ४ | श्री सी० पी० शर्मा .. .. | ३२,५१८.५४ |
| ५ | श्री सुरेन्द्र मोहन सूरी .. .. | २१,२२१.४० |
| ६ | श्री महालक्ष्मी शुगर मिल्स .. .. | १,७०७.११ |
| | योग .. | ८४,२८९.७१ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ५२-५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९० पर)

**जिला रायबरेली में जनवरी १९६९ से ३० जून १९६९ की अवधि में डकैती, कत्ल, नकबजनी तथा अपहरण की घटनाओं का विवरण**

| थाना | | डकैती की घटना | कत्ल की घटना | नकबजनी की घटना | महिलाओं के अपहरण की घटना |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ |
| कोतवाली | .. | १ | ४ | ३३ | १ |
| डलमऊ | .. | २ | ३ | ४ | — |
| जगतपुर | .. | १ | — | १० | — |
| सरैनी | .. | ३ | ३ | ९ | — |
| बछरांवा | .. | १ | — | २२ | — |
| मुस्तफाबाद | .. | — | १ | ५ | १ |
| गुरबक्सगंज | .. | १ | ३ | ८ | — |
| मोहनगंज | .. | — | — | ५ | — |
| शिवरतनगंज | .. | १ | ३ | ४ | — |
| महराजगंज | .. | ३ | १ | ६ | १ |
| लालगंज | .. | ३ | २ | १४ | — |
| सलबन | .. | २ | — | ३ | १ |
| नसीराबाद | .. | ३ | २ | ११ | १ |
| | योग | २१ | २२ | १३४ | ५ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्र० सं० ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६२ पर)

श्री प्रेम नारायण द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर में उल्लिखित सूचना

| माह | जीप कहां से चली | कहां गई | कार्य | यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| ३१-१-६९ | मऊरानीपुर | झांसी | संयुक्त निदेशक (उद्योग) एवं जिलाधीश से ऋण वितरण संबंधी कार्य, लघु उद्योग संघ के पदाधिकारी एवं संयुक्त उद्योग निदेशक से फरवरी में होने वाली प्रथम औद्योगिक गोली एवं प्रदर्शनी के संबंध में परामर्श, गाड़ी को पूर्ण मरम्मत के लिए छोड़ना। | परियोजना अधिकारी एवं प्राविधिक सहायक | गाड़ी २-२-६९ को न्यू मोटर गैरेज में परिवहन आयुक्त की स्वीकृति के अनुसार पूर्ण मरम्मत के लिए दे दी गई । |
| १८-३-६९ | झांसी | मऊरानीपुर | मरम्मत से वापसी .. | परियोजना अधिकारी | .. |
| २२-३-६९ | मऊरानीपुर | झांसी | ऋण अनुबंध पत्रों पर जिलाधीश के हस्ताक्षर, संयुक्त निदेशक एवं आयुक्त महोदय से ऋण वसूली की ११ फाइलों पर स्वीकृति, स्थानीय ऋणियों से अनुबंध पत्र पूरे कराना एवं कोषागार तथा बैंक में कार्य । | परियोजना अधिकारी एवं प्राविधिक सहायक | |
| २३-३-६९ | झांसी .. | चिरगांव .. | ऋण अनुबंध पत्रों को सम्पूर्ण कराने एवं इस की प्रगति की जांच करने । | ,, | |

अतारांकित प्रश्नों के उत्तर नहीं

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| २३-३-६९ | चिरगांव .. | झांसी .. | कोषागार एवं बैंक कार्य .. | . | परियोजना अधिकारी २४-३-६९ को औद्योगिक गोष्ठी के प्रबंध हेतु आयुक्त के आदेशानुसार उद्योग निदेशालय के अधिकारियों से मिलने कानपुर चले गए। उद्योग, निदेशक एवं आयुक्त ने परियोजना अधिकारी को गोष्ठी का संयोजक नियुक्त करते हुए समस्त कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा था। |
| २९-३-६९ | झांसी .. | मऊरानीपुर .. | मुख्यालय वापसी .. .. | परियोजना अधिकारी | .. |
| ३१-३-६९ | मऊरानीपुर .. | झांसी .. | २९-३-६९ को निदेशालय से प्राप्त अतिरिक्त धन एवं ऋण के बिलों को कोषागार एवं बैंक से पारित कराने। तत्पश्चात औद्योगिक गोष्ठी से संबंधित कार्यप्रबन्ध। | परियोजना अधिकारी तथा प्राविधिक सहायक | .. |
| ४-४-६९ | झांसी .. | मऊरानीपुर .. | वित्तीय वर्ष के अंत के कागजात पूर्ण करने, गोष्ठी संबंधित कागजात एवं सामग्री एकत्र करने और कर्मचारियों को आवश्यक निदेश देने। | ,, | .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ५–४–६९ | मऊरानीपुर | झांसी .. | ७ अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली औद्योगिक गोष्ठी से संबंधित सामान ले जाने तथा उसका प्रबन्ध करने। .. | परियोजना अधिकारी, नियोजन एवं सर्वेक्षण अधिकारी प्राविधिक सहायक। | .. |
| १०–४–६९ | झांसी | मऊरानीपुर .. | समस्त सामान के साथ वापसी .. | परियोजना अधिकारी | |
| १५–४–६९ | मऊरानीपुर बम्होरी | बम्होरी .. मऊरानीपुर | औद्योगिक सहकारी समिति के का' का निरीक्षण करने। .. | ,, ,, सह-विकास अधिकारी (ग्राम उद्योग) | .. |
| १६–४–६९ | मऊरानीपुर | चकारा, घाट लहुचुरा मऊरानी वापसी | ऋणियों को प्रदत्त ऋण उपयोगिता की जांच हेतु। | प्राविधिक सहायक | .. |
| १८–४–६९ | मऊरानीपुर | झांसी .. | जिलाधीश के टेलीफोन पर आदेशानुसार गोष्ठी की कार्यवाही रिपोर्ट उन्हें दिखाने व एक कोर्ट केस में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने। | परियोजना अधिकारी | |
| १९–४–६९ | झांसी .. | चिरगांव .. | प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण, ऋणियों की प्रगति जांचने। | ,, ,, | .. |
| १९–४–६९ | चिरगांव .. | झांसी .. | गाड़ी गैरेज में की गई मरम्मत की चेकिंग के लिए दी गई। .. | ,, ,, | मरम्मत के बाद गाड़ी मई में मिली। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्र० सं० ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९६ पर)

### मोटर मालिकों के नाम तथा अन्य विवरण

| मोटर स्वामी का नाम | बस नम्बर | समय कब से कब तक का बकाया | धनराशि | कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १–स्व० शाकिर हुसैन .. | यू एस डी-४११ | नवम्बर, १९६८ से अप्रैल, १९६९, मई, १९६९ से जून, १९६९। | .. | यात्रीकर नियमावली के नियम ८(१) व १० के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है।<br>नियम ८ (१) व १० के अन्तर्गत नोटिस भेजी जा रही है। |
| २–श्रीमती जहांआरा बेगम | एस जेड २२८ | जनवरी, १९६७ से मार्च, १९६७ | .. | नियम ८ (१) व १० के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है। |
| ३–स० अख्तर हुसैन .. | यू एस जेड-१५२ | जनवरी, १९६६ से मई, १९६९ | ४,०४७.८३ साप्ताहिक मासिक विवरण के अनुसार | जनवरी, १९६६ से मई, १९६९ तक के दिये गये मासिक विवरण जो १९–६–१९६९ को पेश किये गये हैं उनका परीक्षण हो रहा है। |
| | | १–६–६९ से १८–६–६९ | .. | नियम ८(१) व १० के अन्तर्गत नोटिस दिया जा रहा है। १९–६–६९ से गाड़ी एक चुस्तंत संविदा में है और उसके बाद का कोई यात्री-कर बकाया नहीं है। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ४–स० मंजूर हुसैन .. | पीआई-१४३५ | जनवरी, १९६६ से अप्रैल, १९६८; मई, १९६८ से अक्टूबर, १९६८; नवम्बर, १९६८ से अप्रैल, १९६९ तक। | ७,२६८ | वसूली पत्र स्थगित कर दिया गया था पुनः भेजा जायेगा। | |
| | | | .. | नियम ८(१) के अन्तर्गत नोटिस भेजी जा चुकी है। | |
| | | १–५–१९६९ से २०–६–१९६९ तक। | .. | नियम ८(१) व १० के अन्तर्गत नोटिस दी जा रही है। २१–६–६९ से एक मुश्त संविदा में है और इसके बाद का कोई धन बकाया नहीं है। | |

नोट:--जहां कहीं बकाया धनराशि नहीं बतायी जा सकती है उसका कारण यह है कि बकाया यात्री-कर का निर्धारण अभी नहीं किया जा सका है। मोटर मालिक से उत्तर प्राप्त होने पर और उसके साप्ताहिक विवरण के परीक्षण के उपरान्त अथवा नियम ८(१) के अन्तर्गत बकाया धनराशि का निर्धारण किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्र० सं० ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९८ पर।)

तालिका

| ३१-७-६७ तक की स्थिति | | | लाख रुपयों में- |
|---|---|---|---|
| १-गन्ना मूल्य १९६८-६९ सीजन का | .. | .. | १८.७९ |
| २-कमीशन १९६८-६९ सीजन का | .. | .. | १.२३ |
| ३-ब्याज १९६८-६९ सीजन का | .. | .. | ०.७५ |
| ४-ब्याज १९६८-६९ सीजन से पूर्व योजनाओं का | .. | .. | १.२६ |
| ५-अतिरिक्त गन्ना मूल्य वर्ष १९६१-६२ का | .. | .. | ०.९४ |
| | योग | .. | २२.९७ |
| रोजनादेश के अन्तर्गत १-उपकर १९६०-६१ सीजन का | .. | .. | २.६४ |
| २-क्रयकर १९६३-६४ सीजन का | .. | .. | १.३७ |
| | योग | | ४.०१ |
| ३-क्रयकर १९६८-६९ का | .. | .. | ४.३९ |
| | योग | .. | ८.४० |
| गन्ना मूल्य, कमीशन आदि का योग | .. | .. | २२.९७ |
| उपकर एवं क्रयकर का योग | .. | .. | ८.४० |
| | कुल योग | .. | ३१.३७ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'छ'

## उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ ई०, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई०, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२, और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

### अध्याय १

### प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों, सभा-सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा।

### अध्याय २

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ का संशोधन।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९५२ की धारा २ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय-कर से संबंधित किसी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।"

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(२) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय-कर से संबंधित किसी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।"

धारा ४ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ४ के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्;

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में 'रख-रखाव' के अन्तर्गत स्थानीय-कर तथा करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और १०० रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (जिसके अन्तर्गत विद्युत् ड्यूटी भी है) विद्युत की व्यवस्था करना भी है।

धारा ४–क का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ४–क के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—राज्य सरकार विद्युत् उपभोग के व्ययों का ७५ रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा (जिसके अन्तर्गत विद्युत् ड्यूटी भी है) के अधीन रहते हुए वहन करेगी, चाहे सरकारी निवास स्थान की व्यवस्था की गयी हो अथवा नहीं।"

धारा ८ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ८ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक 'धारा २ में उल्लिखित करों' के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर 'धारा २ से ४–क तक में उल्लिखित करों' रख दिये जायं,

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बात का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन पश्चात्वर्ती नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

## अध्याय ३

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई० का संशोधन।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५२ की धारा २ का संशोधन

७—उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों के (वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई०, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय-कर से संबंधित किसी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।"

धारा ३ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—(क) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए, किसी निवास स्थान के संबंध में 'रखरखाव' के अन्तर्गत स्थानीय-कर तथा करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और १०० रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, (जिसके अन्तर्गत विद्युत् ड्यूटी भी है) विद्युत् की व्यवस्था करना भी है।

(ख) किसी उप-मंत्री की दशा में राज्य सरकार विद्युत् उपभोग के व्ययों का, ७५ रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए

(जिसके अन्तर्गत विद्युत् ड्यूटी भी है) वहन करेगी, चाहे सरकारी निवास की व्यवस्था की गयी हो अथवा नहीं।"

धारा ६ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ६ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "धारा २ में उल्लिखित करों" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २ और ३ में उल्लिखित करों" रख दिये जायं,

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालगा।"

## अध्याय ४

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ का संशोधन।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५६ की की धारा ३ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

१०—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

सभी सचिवों के वेतन तथा भत्ते

"३—(१) प्रत्येक सभासचिव को छः सौ रुपये मासिक वेतन तथा एक सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता दिया जायेगा।

(२) उक्त वेतन, तत्समय प्रवृत्त आय-कर से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।"

## अध्याय ५

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ का संशोधन।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२ १९५२ क, संशोधन

११—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में—

(१) उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"और निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन या पास दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा उच्चतर श्रेणी, यदि कोई हो, से यात्रा करने का अधिकारी होगा।"

(२) उपधारा (२) में—

(क) खण्ड (१) में शब्द "जो रेल द्वारा संयोजित न हों" के स्थान पर शब्द "जो रेल या उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा संयोजित न हों" रख दिये जायं,

(ख) खंड (२) में, शब्द "पन्द्रह रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस रुपये" रख दिये जायं; तथा

(३) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिन्धात्मक खण्ड रख दिये जायं; अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी सदस्य को उपरोक्त के अनुसार रेल के निःशुल्क कूपन अथवा उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के निःशुल्क कूपन या पास नहीं दिये जाते तब तक वह अपनी पूर्वोक्त उपस्थिति के निमित्त दैनिक भत्ता तथा आनुषंगिक व्यय के अतिरिक्त विमान या रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए रेल की प्रथम श्रेणी का किराया अथवा ,यथास्थिति, ऐसे स्थानों के बीच जो रेल द्वारा संयोजित न हो की गयी सड़क यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाली दर से मील भत्ता (माइलेज) पाने का अधिकारी होगा।"

प्रतिबन्ध यह भी है कि नेता विरोधीदल को कोई भी दैनिक भत्ता देय न होगा।

'स्पष्टीकरण—इस अधिनियम में पदावधि 'नेता विरोधी दल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य से है जिससे अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।"

नयी धारा २—क का बढ़ाया जाना

१२—मूल अधिनियम की धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध।

"२-क—(१) नेता विरोधी दल प्रतिमाह एक हजार रुपये वेतन और प्रतिमाह एक सौ पचास रुपये परिवहन भत्ता पाने का हकदार होगा।

(२) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय कर से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर के अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।

(३) वह अपनी पदावधि पर्यन्त लखनऊ में बिना किराये के ऐसे निवास स्थान के उपयोग करने का हकदार होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में नियत मान के अनुसार सुसज्जित तथा रख-रखाव किया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी निवास स्थान के संबंध में "रखरखाव" के अन्तर्गत स्थानीय कर तथा करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और, प्रतिमाह १०० रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (जिसके अन्तर्गत विद्युत् ड्यूटी भी है) विद्युत् की व्यवस्था करना भी है।

(४) उसके लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की भी व्यवस्था की जायगी, अर्थात्:—

(क) वैयक्तिक सहायक,

(ख) आशुलिपिक,

(ग) जमादार,

(घ) चपरासी।]

धारा २–ख का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा २–ख में—

(१) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "धारा २ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य" के पश्चात् शब्द "जिसमें नेता विरोधी दल सम्मिलित नहीं है, किन्तु प्रत्येक सभा सचिव सम्मिलित है" रख दिय जायें, तथा उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक तथा शब्द "७५ रु०" के स्थान पर अंक तथा शब्द "९० रु०" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (२) में शब्द "विद्युत् उपयोग के व्ययों की दशा में, सदस्यों द्वारा, और व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले किन्हीं अन्य व्ययों की दशा में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"आवास के प्रयोग के कारण होने वाले समस्त व्ययों को, जिसमें विद्युत् उपयोग के व्यय भी सम्मिलित हैं, राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने"

नई धारा २–ग का बढ़ाया जाना

१४—मूल अधिनियम की धारा २–ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

"२–ग—नेता विरोधी दल को छोड़कर धारा २ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य एक सौ रुपए प्रतिमाह निर्वाचन क्षत्र भता पाने का हकदार होगा।"

धारा ३ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में शब्द "या सभा सचिव" के पश्चात् शब्द "या नेता विरोधी दल" रख दिये जायं।

## उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते में पिछली बार सन् १९६४ में जब वृद्धि की गयी थी, तब से इस समय महंगाई काफ़ी बढ़ गयी है। अधिकांश राज्यों में सदस्यों को उत्तर प्रदेश में देय भत्तों से अधिक दैनिक भत्ता मिलता है। हाल ही में संसद में भी एक विधेयक पारित करके संसद सदस्यों को देय भत्तों में काफ़ी वृद्धि की गयी है। इसके अतिरिक्त सदस्यों को अपने कर्त्तव्य का निर्वहन दक्षता से कर सकने के लिए राज्य की जनता से सामान्यतया तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से विशेषतया बराबर सम्पर्क बनाये रखना भी आवश्यक है। सदस्यों को अपने वेतन में से अपने लखनऊ आवास संबंधी बिजली का खर्च भी देना पड़ता है। इन सब बातों को देखते हुये यह आवश्यक है कि सदस्यों के दैनिक भत्ते में वृद्धि कर दी जाय और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के सम्बन्ध में व अन्य विविध व्ययों की पूर्ति के हेतु १०० रुपये प्रतिमास की दर से निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाय तथा उनसे आवास सम्बन्धी बिजली का खर्च भी न लिया जाय। साथ ही साथ उन्हें उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकारी रोडवेज की बसों द्वारा निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा भी दी जाय।

२—राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों की उपलब्धियों में विगत लगभग १० वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गयी है, अपितु सन् १९६१ में उनका वेतन कम कर दिया गया था और साथ ही उन्हें अपने वेतन में से आय-कर देने का भी प्राविधान किया गया था। महंगाई में वृद्धि के कारण यह आवश्यक है कि उनके वेतन व परिलब्धियों से संबंधित आय-कर का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाय।

३—वर्तमान उपबन्धों के अनुसार सभा सचिवों को कोई वेतन नहीं मिलता है। अतः उन्हें भी ६०० रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन व १०० रु० प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता और सदस्य होने के नाते विधायक निवास में निःशुल्क आवास तथा मुफ्त बिजली देना उचित प्रतीत होता है।

४—इस समय नेता, विरोधीदल को अभी तक टेलीफ़ोन आदि के अतिरिक्त केवल वही उपलब्धियां और सुविधायें प्राप्त हैं जो एक साधारण विधेयक को मिलती हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में नेता विरोधी-दल का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसका राजनैतिक स्तर भी ऊंचा माना गया है। इसलिए नेता, विरोधीदल को भी वही वेतन तथा लगभग वह सुविधायें देना इष्टकर समझा गया जो राज्य सरकार के मंत्रियों को उपलब्ध हैं।

इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त
मुख्य मंत्री।

---

पी० एस० यू० पी०—ए० पी – ७८ एस० ए० –१९६९—९७०।